



राजस्थान सरकार

विनियोग लेखे

1998-99

विषय सूची

	पृष्ठ
भूमिका	1
विनियोग लेखों का सारांश	2-19
विनियोग लेखे :	
राष्ट्रपति/उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल/ संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासक	20
ब्याज अदायगियां	20-26
लोक सेवा आयोग	27
लोक ऋण	28-29
1. राज्य विधान मण्डल	29-30
2. मंत्रिपरिषद्	30
3. सचिवालय	31-32
4. जिला प्रशासन	32-34
5. प्रशासनिक सेवाएं	35-36
6. न्याय प्रशासन	36-37
7. निर्वाचन	37-39
8. राजस्व	40-42
9. वन	42-50
10. विविध सामान्य सेवाएं	50-51
11. विविध सामाजिक सेवाएं	51-53
12. अन्य कर	54-55
13. आबकारी	55-57
14. बिक्री कर	57-59
15. पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	60-62
16. पुलिस	63-67
17. कारागार	68-69
18. जन-सम्पर्क	70-71
19. लोक निर्माण कार्य	71-85
20. आवास	85-89
21. सड़कें एवं पुल	90-97
22. क्षेत्र का विकास	97-108

23.	श्रम और रोजगार	108-111
24.	शिक्षा, कला एवं संस्कृति	111-126
25.	कोषागार एवं लेखा प्रशासन	127-128
26.	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई	128-144
27.	पेयजल योजना	144-155
28.	ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम	156-159
29.	नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	160-162
30.	जनजाति क्षेत्रीय विकास	163-177
31.	पुर्नवास एवं सहायता	178
32.	नागरिक आपूर्ति	179-180
33.	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	181-192
34.	प्राकृतिक आपदाओं से राहत	192-195
35.	विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवायें	196-200
36.	सहकारिता	201-207
37.	कृषि	207-215
38.	लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण	216-221
39.	पशुपालन एवं चिकित्सा	222-225
40.	राजकीय उपक्रम	225-226
41.	सामुदायिक विकास	227-228
42.	उद्योग	228-236
43.	खनिज	237-239
44.	लेखन सामग्री एवं मुद्रण	240-241
45.	राज्य कर्मचारियों को ऋण	241-243
46.	सिंचाई	244-273
47.	पर्यटन	274-276
48.	विद्युत्	276-277
49.	स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन	278
50.	ग्रामीण रोजगार	278-281
परिशिष्ट -	व्यय में कमी के रूप में लेखों में समायोजित वसूलियों के अनुमानों एवं वास्तविक आंकड़ों का अनुदानवार विवरण	282-283

भूमिका

राजस्थान सरकार के वर्ष 1998-99 के विनियोग लेखों का यह संकलन भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 एवं 205 के अन्तर्गत पारित विनियोग अधिनियम से संलग्न अनुसूचियों में निर्दिष्ट राशियों की तुलना में, 31 मार्च 1999 को समाप्त हुए वर्ष में व्यय की गयी राशियों के लेखे प्रस्तुत करता है।

इन लेखों में :-

“मू” मूल अनुदान या विनियोग के लिये प्रयुक्त है,

“अ” अनुपूरक अनुदान या विनियोग के लिए प्रयुक्त है,

“पु” सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत पुनर्विनियोगों, प्रत्याहरणों या अभ्यर्पणों के लिए प्रयुक्त है।

प्रभारित विनियोग और व्यय तिरछे अंकों से दिखाये गये हैं।

भूमिका

राजस्थान सरकार के वर्ष 1998-99 के विनियोग लेखों का यह संकलन भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 एवं 205 के अन्तर्गत पारित विनियोग अधिनियम से संलग्न अनुसूचियों में निर्दिष्ट राशियों की तुलना में, 31 मार्च 1999 को समाप्त हुए वर्ष में व्यय की गयी राशियों के लेखे प्रस्तुत करता है।

इन लेखों में :-

“मू” मूल अनुदान या विनियोग के लिये प्रयुक्त है,

“अ” अनुपूरक अनुदान या विनियोग के लिए प्रयुक्त है,

“पु” सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत पुनर्विनियोगों, प्रत्याहरणों या अभ्यर्पणों के लिए प्रयुक्त है।

प्रभारित विनियोग और व्यय तिरछे अंकों से दिखाये गये हैं।

भूमिका

राजस्थान सरकार के वर्ष 1998-99 के विनियोग लेखों का यह संकलन भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 एवं 205 के अन्तर्गत पारित विनियोग अधिनियम से संलग्न अनुसूचियों में निर्दिष्ट राशियों की तुलना में, 31 मार्च 1999 को समाप्त हुए वर्ष में व्यय की गयी राशियों के लेखे प्रस्तुत करता है।

इन लेखों में :-

“मू” मूल अनुदान या विनियोग के लिये प्रयुक्त है,

“अ” अनुपूरक अनुदान या विनियोग के लिए प्रयुक्त है,

“पु” सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत पुनर्विनियोगों, प्रत्याहरणों या अभ्यर्पणों के लिए प्रयुक्त है।

प्रभारित विनियोग और व्यय तिरछे अंकों से दिखाये गये हैं।

भूमिका

राजस्थान सरकार के वर्ष 1998-99 के विनियोग लेखों का यह संकलन भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 एवं 205 के अन्तर्गत पारित विनियोग अधिनियम से संलग्न अनुसूचियों में निर्दिष्ट राशियों की तुलना में, 31 मार्च 1999 को समाप्त हुए वर्ष में व्यय की गयी राशियों के लेखे प्रस्तुत करता है।

इन लेखों में :-

“मू” मूल अनुदान या विनियोग के लिये प्रयुक्त है,

“अ” अनुपूरक अनुदान या विनियोग के लिए प्रयुक्त है,

“पु” सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत पुनर्विनियोगों, प्रत्याहरणों या अभ्यर्पणों के लिए प्रयुक्त है।

प्रभारित विनियोग और व्यय तिरछे अंकों से दिखाये गये हैं।

1998-99 के विनियोग

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय
	राजस्व रु.	पूंजीगत रु.	राजस्व रु.
राष्ट्रपति/उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल/ संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासक प्रभारित	2,19,45,000	..	2,13,32,010
ब्याज अदायगियां प्रभारित	22,43,42,70,000	..	22,42,92,07,469
लोक सेवा आयोग प्रभारित	4,94,86,000	..	4,20,23,747
लोक ऋण प्रभारित	..	39,16,63,12,000	..
1. राज्य विधान मण्डल दत्तमत प्रभारित	8,96,75,000 15,59,000		8,61,31,329 6,76,066
2. मंत्रिपरिषद् दत्तमत	3,21,22,000	..	3,03,48,435
3. सचिवालय दत्तमत प्रभारित	47,80,72,000 85,000		45,20,39,426 84,478
4. जिला प्रशासन दत्तमत प्रभारित	98,91,37,000 20,13,000	38,00,00,000 ..	94,26,78,412 5,36,202
5. प्रशासनिक सेवाएं दत्तमत प्रभारित	30,41,11,000 75,000		27,54,01,526 75,000
6. न्याय प्रशासन दत्तमत प्रभारित	90,31,59,000 12,71,14,000		88,90,18,866 12,71,06,993

लेखों का सारांश

पूंजीगत रु.	बचत		आधिक्य	
	राजस्व रु.	पूंजीगत रु.	राजस्व रु.	पूंजीगत रु.
..	6,12,990	..	..	..
..	50,62,531	..	..	..
..	74,62,253	..	..	..
35,13,35,61,028	..	4,03,27,50,972	..	..
..	35,43,671	..	..	..
..	8,82,934	..	..	..
..	17,73,565	..	..	..
..	2,60,32,574	..	..	..
..	522	..	..	..
30,70,83,019	4,64,58,588	7,29,16,981	..	..
..	14,76,798	..	..	..
..	2,87,09,474	..	..	..
..	..	..	..	..
..	1,41,40,134	..	..	..
..	7,007	..	..	..

1998-99 के विनियोग

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय
	राजस्व रु.	पूँजीगत रु.	राजस्व रु.
7. निर्वाचन			
दत्तमत	34,53,08,000	..	32,84,57,597
प्रभारित	2,000	..	..
8. राजस्व			
दत्तमत	1,58,86,79,000	..	1,53,49,19,431
प्रभारित	6,000	..	..
9. वन			
दत्तमत	1,09,90,48,000	59,97,89,000	98,05,64,377
प्रभारित	20,00,000	..	14,72,779
10. विविध सामान्य सेवाएं			
दत्तमत	18,37,000	..	14,26,945
11. विविध सामाजिक सेवाएं			
दत्तमत	16,56,80,000	..	10,71,06,233
प्रभारित	26,000	..	..
12. अन्य कर			
दत्तमत	33,55,47,000	..	32,24,28,519
प्रभारित	30,000	..	25,000
13. आबकारी			
दत्तमत	1,11,38,74,000	..	1,03,17,53,506
प्रभारित	2,05,000	..	2,04,492
14. बिक्री कर			
दत्तमत	45,59,28,000	..	43,84,25,212
प्रभारित	17,000	..	15,624
15. पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ			
दत्तमत	8,99,28,12,000	..	8,79,26,44,963
प्रभारित	5,000	..	13,30,906

लेखों का सारांश - (क्रमशः)

		बचत		आधिक्य	
पूंजीगत रु.	राजस्व रु.	पूंजीगत रु.	राजस्व रु.	पूंजीगत रु.	राजस्व रु.
..	1,68,50,403	..	..	..	..
..	2,000	..	..	..	..
..	5,37,59,569	..	..	..	..
..	6,000	..	..	..	..
51,64,27,603	11,84,83,623	8,33,61,397	..	..	..
..	5,27,221	..	..	..	..
..	4,10,055	..	..	..	..
..	5,85,73,767	..	..	..	..
..	26,000	..	..	..	..
..	1,31,18,481	..	..	..	..
..	5,000	..	..	..	..
..	8,21,20,494	..	..	..	..
..	508	..	..	..	..
..	1,75,02,788	..	..	..	..
..	1,376	..	..	..	..
..	20,01,67,037	..	..	..	..
..	..	..	13,25,906	..	..

1998-99 के विनियोग

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय
	राजस्व रु.	पूंजीगत रु.	राजस्व रु.
16. पुलिस दत्तमत प्रभारित	5,97,27,75,000 35,88,000	94,20,000 ..	6,14,61,30,863 35,85,659
17. कारागार दत्तमत प्रभारित	26,59,52,000 5,000		25,39,04,197 ..
18. जन-सम्पर्क दत्तमत प्रभारित	8,25,32,000 1,000		7,15,41,188 ..
19. लोक निर्माण कार्य दत्तमत प्रभारित	2,67,26,13,000 54,000	1,20,70,68,000 ..	2,31,60,24,698 70,064
20. आवास दत्तमत प्रभारित	48,42,09,000 1,000	24,42,06,000 ..	40,38,74,510 ..
21. सड़कें एवं पुल दत्तमत प्रभारित	1,78,22,79,000 77,000	2,49,42,11,000 ..	1,95,12,92,844 ..
22. क्षेत्र का विकास दत्तमत प्रभारित	1,04,75,93,000 1,65,000	1,59,55,66,000 4,03,000	91,01,09,677 1,83,299
23. श्रम और रोजगार दत्तमत प्रभारित	73,36,75,000 3,000		42,88,24,577 ..
24. शिक्षा, कला एवं संस्कृति दत्तमत प्रभारित	28,20,38,11,000 2,05,000	23,38,75,000 ..	26,29,46,09,234 1,40,441

लेखों का सारांश - (क्रमशः)

		बचत		आधिक्य	
पूंजीगत रु.	राजस्व रु.	पूंजीगत रु.	राजस्व रु.	पूंजीगत रु.	
40,68,625	..	53,51,375	17,33,55,863	..	
..	2,341	..	..	..	
..	1,20,47,803	..	..	..	
..	5,000	..	..	..	
..	1,09,90,812	..	..	..	
..	1,000	..	..	..	
89,64,04,898	35,65,88,302	31,06,63,102	..	..	
..	..	..	16,064	..	
17,20,20,804	8,03,34,490	7,21,85,196	..	..	
..	1,000	..	..	..	
2,00,70,64,081	..	48,71,46,919	16,90,13,844	..	
..	77,000	..	..	..	
1,22,05,15,184	13,74,83,323	37,50,50,816	..	..	
2,47,000	..	1,56,000	18,299	..	
..	30,48,50,423	..	..	..	
..	3,000	..	..	..	
21,05,36,659	1,90,92,01,766	2,33,38,341	..	..	
..	64,559	..	..	..	

1998-99 के विनियोग

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय
	राजस्व रु.	पूंजीगत रु.	राजस्व रु.
25. कोषागार व लेखा प्रशासन			
दत्तमत	36,90,62,000	1,93,06,000	35,35,73,388
प्रभारित	12,000	..	9,285
26. चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई			
दत्तमत	8,18,12,67,000	21,40,10,000	7,92,61,40,571
प्रभारित	11,82,000	..	1,90,926
27. पेय जल योजना			
दत्तमत	6,34,21,72,000	7,17,66,02,000	6,40,46,26,569
प्रभारित	4,75,000	..	4,70,742
28. ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम			
दत्तमत	23,78,81,000	15,82,11,000	15,34,70,437
29. नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास			
दत्तमत	2,83,90,04,000	3,25,00,000	2,77,98,18,875
प्रभारित	1,000	..	..
30. जनजाति क्षेत्रीय विकास			
दत्तमत	2,57,39,01,000	84,15,33,000	2,28,35,40,489
31. पुनर्वास एवं सहायता			
दत्तमत	16,13,000	2,000	15,87,210
प्रभारित	1,000	..	..
32. नागरिक आपूर्ति			
दत्तमत	17,87,59,000	1,20,00,000	16,08,72,317
प्रभारित	27,000	..	25,810

लेखों का सारांश - (क्रमशः)

पूंजीगत रु.	बचत		आधिक्य	
	राजस्व रु.	पूंजीगत रु.	राजस्व रु.	पूंजीगत रु.
1,78,50,000	1,54,88,612	14,56,000	..	..
..	2,715	..	..	..
5,18,34,867	25,51,26,429	16,21,75,133	..	..
..	9,91,074	..	..	..
7,39,65,35,756	..	..	6,24,54,569	21,99,33,756
..	4,258	..	..	..
5,73,50,000	8,44,10,563	10,08,61,000	..	..
2,23,49,000	5,91,85,125	1,01,51,000	..	..
..	1,000	..	..	..
66,45,71,576	29,03,60,511	17,69,61,424	..	..
..	25,790	2,000	..	..
..	1,000	..	..	..
1,07,29,984	1,78,86,683	12,70,016	..	..
..	1,190	..	..	..

1998-99 के विनियोग

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय
	राजस्व रु.	पूंजीगत रु.	राजस्व रु.
33. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण			
दत्तमत	2,86,81,08,000	41,23,52,000	2,17,25,04,273
प्रभारित	6,07,000	..	5,70,856
34. प्राकृतिक आपदाओं से राहत			
दत्तमत	4,75,57,32,000	3,000	4,45,06,27,865
प्रभारित	78,000	..	77,058
35. विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवायें			
दत्तमत	77,15,15,000	5,46,17,000	78,34,71,316
प्रभारित	2,000	..	..
36. सहकारिता			
दत्तमत	33,52,89,000	97,68,46,000	27,25,35,783
प्रभारित	1,000	..	..
37. कृषि			
दत्तमत	1,88,72,07,000	87,01,41,000	1,76,00,59,849
प्रभारित	1,73,000	..	93,872
38. लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण			
दत्तमत	1,06,98,14,000	39,35,68,000	99,89,18,485
प्रभारित	1,59,000	..	2,95,844
39. पशुपालन एवं चिकित्सा			
दत्तमत	1,11,85,76,000	86,69,000	1,05,17,69,724
प्रभारित	26,000	..	24,413
40. राजकीय उपक्रम			
दत्तमत	2,71,67,000	1,000	88,10,319
प्रभारित	1,000	..	..

लेखों का सारांश - (क्रमशः)

पूँजीगत रु.	बचत		आधिक्य	
	राजस्व रु.	पूँजीगत रु.	राजस्व रु.	पूँजीगत रु.
14,44,74,682	69,56,03,727	26,78,77,318	..	..
..	36,144	..	..	..
..	30,51,04,135	3,000	..	..
..	942	..	..	..
53,94,331	..	4,92,22,669	1,19,56,316	..
..	2,000	..	..	..
66,10,49,000	6,27,53,217	31,57,97,000	..	..
..	1,000	..	..	..
56,56,15,504	12,71,47,151	30,45,25,496	..	..
..	79,128	..	..	..
18,32,27,528	7,08,95,515	21,03,40,472	..	..
..	..	..	1,36,844	..
25,22,017	6,68,06,276	61,46,983	..	..
..	1,587	..	..	..
..	1,83,56,681	1,000	..	..
..	1,000	..	..	..

1998-99के विनियोग

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय
	राजस्व रु.	पूंजीगत रु.	राजस्व रु.
41. सामुदायिक विकास दत्तमत प्रभारित	1,86,74,36,000 1,000	10,00,000 ..	1,80,91,59,679 ..
42. उद्योग दत्तमत प्रभारित	92,70,90,000 93,000	62,64,08,000 ..	80,75,09,222 92,379
43. खनिज दत्तमत प्रभारित	28,24,94,000 84,000	1,65,00,000 ..	27,59,49,526 82,811
44. लेखन सामग्री एवं मुद्रण दत्तमत प्रभारित	16,94,73,000 2,000	38,40,000 ..	16,89,83,756 ..
45. राज्य कर्मचारियों को ऋण दत्तमत	..	71,12,66,000	..
46. सिंचाई दत्तमत प्रभारित	6,59,80,96,000 17,68,000	7,52,21,60,000 37,33,000	6,38,28,55,662 8,28,318
47. पर्यटन दत्तमत	7,81,08,000	6,91,54,000	6,08,20,705
48. विद्युत् दत्तमत	2,97,80,35,000	2,55,34,08,000	2,97,80,35,875
49. स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन दत्तमत	28,68,92,000	..	28,51,82,382

लेखों का सारांश - (क्रमशः)

पूंजीगत रु.	बचत		आधिक्य	
	राजस्व रु.	पूंजीगत रु.	राजस्व रु.	पूंजीगत रु.
9,50,000	5,82,76,321	50,000	..	..
..	1,000	..	..	..
57,14,83,885	11,95,80,778	5,49,24,115	..	..
..	621	..	..	..
45,32,506	65,44,474	1,19,67,494	..	..
..	1,189	..	..	..
..	4,89,244	38,40,000	..	..
..	2,000	..	..	..
69,81,77,534	..	1,30,88,466	..	..
6,84,83,09,022	21,52,40,338	67,38,50,978	..	..
22,33,956	9,39,682	14,99,044	..	..
3,29,09,620	1,72,87,295	3,62,44,380	..	..
2,55,31,00,000	..	3,08,000	875	..
..	17,09,618	..	..	..

1998-99 के विनियोग

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय
	राजस्व रु.	पूंजीगत रु.	राजस्व रु.
50. ग्रामीण रोजगार दत्तमत	36,01,60,000	1,22,86,41,000	4,33,07,000
योग	1,05,24,52,79,000	30,66,68,73,000	99,36,37,87,842
प्रभारित	22,64,76,30,000	39,17,04,48,000	22,63,08,32,543
कुल योग	1,27,89,29,09,000	69,83,73,21,000	1,21,99,46,20,385

लेखों का सारांश - (क्रमशः)

बचत		आधिक्य		
पूंजीगत रु.	राजस्व रु.	पूंजीगत रु.	राजस्व रु.	पूंजीगत रु.
67,09,38,000	31,68,53,000	55,77,03,000	..	..
26,49,80,25,685	6,29,82,72,625	4,38,87,81,071	41,67,81,467	21,99,33,756
35,13,60,41,984	1,82,94,570	4,03,44,06,016	14,97,113	..
61,63,40,67,669	6,31,65,67,195	8,42,31,87,087	41,82,78,580	21,99,33,756

1998-99 के विनियोग लेखों का सारांश - (क्रमशः)

निम्नलिखित पाँच दत्तमत अनुदानों से अधिक व्यय का नियमन आवश्यक है :-

क्र.स.	अनुदान की संख्या और नाम	आधिक्य	
		राजस्व	पूंजीगत
		रु.	रु.
1.	16. पुलिस	17,33,55,863	..
2.	21. सड़कें एवं पुल	16,90,13,844	..
3.	27. पेयजल योजना	6,24,54,569	21,99,33,756
4.	35. विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवायें	1,19,56,316	..
5.	48. विद्युत	875	..

1998-99 के विनियोग लेखों का सारांश - (क्रमशः :)

निम्नलिखित चार प्रभारित विनियोगों से अधिक व्यय का नियमन आवश्यक है :-

क्र.स.	अनुदान की संख्या और नाम	आधिक्य	
		राजस्व रु.	पूंजीगत रु.
1.	15. पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	13,25,906	..
2.	19. लोक निर्माण कार्य	16,064	..
3.	22. क्षेत्र का विकास	18,299	..
4.	38. लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण	1,36,844	..

चूंकि अनुदान और व्यय इस सकल राशि के लिये है जिनका व्यय करना अपेक्षित है तो उनके प्रति दर्शाये गये व्यय के आंकड़ों में वह वसूलियां शामिल नहीं की जाती हैं जिनका व्यय से कटौती करके लेखाओं में समायोजन किया गया है निवल व्यय के आंकड़े वित्त लेखों में दिखाये जाते हैं।

1998-99 के विनियोग लेखों का सारांश - (क्रमशः)

वर्ष 1998-99 के लिये विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय और उस वर्ष के लिये वित्त लेखे में दिखाये गये आंकड़ों के बीच समाधान नीचे दर्शाया जाता है :-

	दत्तमत		
	राजस्व	पूंजी	योग
	रु.	रु.	रु.
	1.	2.	3.
विनियोग लेखे के अनुसार			
कुल व्यय	99,36,37,87,842	26,49,80,25,685	1,25,86,18,13,527
घटाइये-वसूलियों को	6,23,88,83,783	4,15,00,56,339	10,38,89,40,122
योग -वित्त लेखे के विवरण			
संख्या 10 में दर्शाया गया निवल			
कुल व्यय	93,12,49,04,059	22,34,79,69,346	1,15,47,28,73,405
	प्रभारित		
	राजस्व	पूंजी	योग
	रु.	रु.	रु.
	4.	5.	6.
विनियोग लेखे के अनुसार			
कुल व्यय	22,63,08,32,543	35,13,60,41,984	57,76,68,74,527
घटाइये-वसूलियों को	..	..	..
योग -वित्त लेखे के विवरण			
संख्या 10 में दर्शाया गया निवल			
कुल व्यय	22,63,08,32,543	35,13,60,41,984	57,76,68,74,527

ऊपर दी गयी वसूलियों का विवरण परिशिष्ट में पृष्ठ संख्या 282-283 पर दिया जाता है।

1998-99 के विनियोग लेखों का सारांश - (समाप्त)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार विनियोग लेख मेरे निदेश के अधीन तैयार किये गए और जांचे गये हैं। मेरे अधिकारियों द्वारा मांगी गई और प्राप्त की गई सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर मैं प्रमाणित करता हूं कि 31 मार्च 1999 को समाप्त हुए वर्ष के लिये अलग से प्रस्तुत किये जाने वाले राजस्थान सरकार के लेखाओं पर अपने प्रतिवेदनों की अभ्युक्तियों के अध्यक्षीन ये लेख सही हैं।

(विजय कृष्ण शृंगलू)

भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली,
दिनांक

राष्ट्रपति/उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल/संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासक (समस्त प्रभारित)

मुख्य शीर्ष : राजस्व-2012. राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल,
संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक

		कुल विनियोग रु.	वास्तविक व्यय रु.	आधिक्य+ बचत - रु.
राजस्व				
मूल	1,94,05,000	2,19,45,000	2,13,32,010	- 6,12,990
अनुपूरक	25,40,000			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1999)				6,05,000

टिप्पणी तथा टीका:

राजस्व

1. 6.13 लाख रुपये की अन्तिम बचत को देखते हुए, मार्च 1999 में लिया गया 25.40 लाख रुपये का अनुपूरक विनियोजन अत्यधिक सिद्ध हुआ।

ब्याज अदायगियां (समस्त प्रभारित)

मुख्य शीर्ष : राजस्व-2049. ब्याज अदायगियां

		कुल विनियोग रु.	वास्तविक व्यय रु.	आधिक्य+ बचत - रु.
राजस्व				
मूल	22,17,25,42,000	22,43,42,70,000	22,42,92,07,469	- 50,62,531
अनुपूरक	26,17,28,000			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				

ब्याज अदायगियां (क्रमशः)

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

1. 50.63 लाख रुपये की अन्तिम बचत को देखते हुए, मार्च 1999 में लिया गया 26,17.28 लाख रुपये का अनुपूरक विनियोजन अत्यधिक सिद्ध हुआ।
2. बचत मुख्यतः निम्न में रही :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	आधिक्य+ बचत -
2049. ब्याज अदायगियां			
01. आन्तरिक ऋण पर ब्याज			
101. बाजार कर्जों पर ब्याज			
(i) चालू ऋणों पर ब्याज .			
IX- 11% राजस्थान राज्य विकास ऋण, 2001			
मू.	13,09.68	13,09.68	11,72.30 - 1,37.38
01. आन्तरिक ऋण पर ब्याज			
101. बाजार कर्जों पर ब्याज			
(i) चालू ऋणों पर ब्याज			
XIII- 11.5% राजस्थान राज्य विकास ऋण, 2010			
मू.	18,49.09	18,49.09	9,33.81 - 9,15.28
01. आन्तरिक ऋण पर ब्याज			
101. बाजार कर्जों पर ब्याज			
(i) चालू ऋणों पर ब्याज			
XVII- 13.5% राजस्थान राज्य विकास ऋण, 2003			
मू.	33,55.29	33,55.29	21,22.16 - 12,33.13

उपरोक्त तीन शीर्षों में 22,85.79 लाख रुपये की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

ब्याज अदायगियां (क्रमशः)

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
01. आन्तरिक ऋण पर ब्याज			
101. बाजार कर्जों पर ब्याज			
(i) चालू ऋणों पर ब्याज			
XXIII- 12.15% राजस्थान राज्य विकास ऋण, 2008			
मू. 38,43.36	26,86.91	26,80.23	- 6.68
पु. - 11,56.45			

11,56.45 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत दायित्वों के अनुसार ब्याज के भुगतान को आरोपित की गई।

01. आन्तरिक ऋण पर ब्याज
200. अन्य आन्तरिक ऋणों पर ब्याज
(i) अन्य अल्पकालीन ऋणों पर ब्याज
I- रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया से प्राप्त
(मार्गोपाय) अग्रिम

मू. 9,00.00	5,70.00	4,25.99	- 1,44.01
पु. - 3,30.00			

3,30.00 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया से प्राप्त मार्गोपाय अग्रिम के अनुसार ब्याज के भुगतान को आरोपित की गई।

1,44.01 लाख रुपये की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

03. अल्प बचतों, भविष्य निधियों
आदि पर ब्याज
108. बीमा तथा पेंशन निधि पर ब्याज
(xv) साधारण बीमा योजना से सम्बन्धित
निधियों पर ब्याज

मू. 2,41.35	2,41.35	..	- 2,41.35
-------------	---------	----	-----------

2,41.35 लाख रुपये की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

ब्याज अदायगियां (क्रमशः)

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	आधिक्य+ बचत -
04. केन्द्रीय सरकार से कर्जों तथा अग्रिमों पर ब्याज			
101. राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र योजनागत योजनाओं के लिये कर्जों पर ब्याज			
मू. 3,97,18.18			
	3,72,09.00	3,72,09.00	..
पु. - 25,09.18			

25,09.18 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत केन्द्र सरकार से प्राप्त कर्जों के अनुसार ब्याज के भुगतान को आरोपित की गई।

60. अन्य दायित्वों पर ब्याज			
101. जमाओं पर ब्याज			
(xvi) कृषि उपज मंडी समितियों के निक्षेपों पर ब्याज			
मू. 6,99.40			
	4,53.05	4,52.14	- 0.91
पु. - 2,46.35			

60. अन्य दायित्वों पर ब्याज
101. जमाओं पर ब्याज
(xxx) जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों
के निक्षेपों पर ब्याज

मू. 22,38.16			
	5,23.88	5,23.88	..
पु. - 17,14.28			

उपरोक्त दो शीर्षों में 19,60.63 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत निक्षेपों के अनुसार ब्याज के भुगतान को आरोपित की गई।

ब्याज अदायगियां (क्रमशः)

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत मुख्यतः निम्न में हुए आधिक्य द्वारा प्रतिसंतुलित की गई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
2049. ब्याज अदायगियां			
01. आन्तरिक ऋण पर ब्याज			
101. बाजार कर्जों पर ब्याज			
(i) चालू ऋणों पर ब्याज			
VIII- 9.75% राजस्थान राज्य विकास ऋण, 1998			
मू. 5,45.75	8,18.60	8,18.45	- 0.15
पु. 2,72.85			

01. आन्तरिक ऋण पर ब्याज			
101. बाजार कर्जों पर ब्याज			
(i) चालू ऋणों पर ब्याज			
XI- 11.5% राजस्थान राज्य विकास ऋण, 2008			
मू. 18,26.40	23,97.82	27,79.14	+ 3,81.32
पु. 5,71.42			

उपरोक्त दो शीर्षों में 31 मार्च 1999 को पुनर्विनियोजन द्वारा 8,44.27 लाख रुपये की अतिरिक्त निधियां प्रतिभूति धारकों को ब्याज के भुगतान के लिये उपलब्ध कराई गई।

शीर्ष "01-101-(i)XI" में 3,81.32 लाख रुपये के अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

01. आन्तरिक ऋण पर ब्याज			
305. ऋण प्रबन्ध			
(i) नवीन ऋण के जारी किये जाने तथा रोकड़ शेष विनियोजन खाते की सिक्योरिटीज के विक्रय सम्बन्धी व्यय			
मू. 90.00	30,03.92	32,40.36	+ 2,36.44
पु. 29,13.92			

ब्याज अदायगियां (क्रमशः)

31 मार्च 1999 को पुनर्विनियोजन द्वारा 29, 13.92 लाख रुपये की अतिरिक्त निधियां ऋणों के नये निर्गम पर बढ़े हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध कराई गई।

2,36.44 लाख रुपये के अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	आधिक्य+ बचत -
03. अल्प बचतों, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज			
108. बीमा तथा पेंशन निधि पर ब्याज (xii) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों की पेंशन निधियों पर ब्याज			
मू.	1,85.00		
		3,61.91	3,61.91
पु.	1,76.91		

31 मार्च 1999 को पुनर्विनियोजन द्वारा 1,76.91 लाख रुपये की अतिरिक्त निधियां बीमा तथा पेंशन निधियों पर ब्याज के भुगतान के लिये उपलब्ध कराई गई।

04. केन्द्रीय सरकार से कर्जों तथा अग्रिमों पर ब्याज			
106. अर्थोपाय अग्रिमों पर ब्याज			
मू.	0.01		
		4,36.67	4,37.64
पु.	4,36.66		+ 0.97

31 मार्च 1999 को पुनर्विनियोजन द्वारा 4,36.66 लाख रुपये की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से प्राप्त मार्गोपाय अग्रिम पर ब्याज के भुगतान के लिये उपलब्ध कराई गई।

60. अन्य दायित्वों पर ब्याज
101. जमाओं पर ब्याज
(iii) राजस्थान राज्य पथ परिवहन
निगम के निक्षेपों पर ब्याज

मू.	80.00		
		9,13.99	9,13.99
पु.	8,33.99		

ब्याज अदायगियां (समाप्त)

शीर्ष		कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
60. अन्य दायित्वों पर ब्याज				
101. जमाओं पर ब्याज				
(xv) राजस्थान राज्य पुल एवं निर्माण निगम के निक्षेपों पर ब्याज				
मू.	70.00			
		8,89.67	8,89.67	..
पु.	8,19.67			

उपरोक्त दो शीर्षों में 31 मार्च 1999 को पुनर्विनियोजन द्वारा 16,53.66 लाख रुपये की अतिरिक्त निधियां निक्षेपों पर ब्याज के भुगतान के लिये उपलब्ध कराई गई।

60. अन्य दायित्वों पर ब्याज				
101. जमाओं पर ब्याज				
(xxi) राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम के निक्षेपों पर ब्याज				
मू.	1,10.00			
		2,29.89	12,83.91	+ 10,54.02
पु.	1,19.89			

60. अन्य दायित्वों पर ब्याज				
101. जमाओं पर ब्याज				
(xxxiv) आपदा राहत निधि के निक्षेपों पर ब्याज				
मू.	10,00.00	10,00.00	19,71.70	+ 9,71.70

उपरोक्त दो शीर्षों में 20,25.72 लाख रुपये के अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

लोक सेवा आयोग (समस्त प्रभारित)

मुख्य शीर्ष : राजस्व-2051. लोक सेवा आयोग

	कुल विनियोग रु.	वास्तविक व्यय रु.	आधिक्य + बचत - रु.
राजस्व			
मूल	4,94,86,000		
अनुपूरक	4,94,86,000	4,20,23,747	- 74,62,253

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित
राशि (मार्च 1999)

74,60,000

टिप्पणी तथा टीका :

राजस्व

1. बचत मुख्यतः निम्न में रही :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत -
2051. लोक सेवा आयोग			
102. राज्य लोक सेवा आयोग			
(i) राजस्थान लोक सेवा आयोग			
मू.	4,94.86		
पु.	- 74.60	4,20.26	4,20.24
			- 0.02

74.60 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत परीक्षाओं का आयोजन पूर्व निर्धारित अनुसार नहीं होने को आरोपित की गई।

लोक ऋण (समस्त प्रभारित)

मुख्य शीर्ष : पूंजी - 6003. राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण और
6004. केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम

	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत -
	रु.	रु.	रु.
पूंजी			
मूल	16,73,31,85,000		
अनुपूरक	22,43,31,27,000	39,16,63,12,000	35,13,35,61,028 - 4,03,27,50,972
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1999)			3,43,52,96,000

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

पूंजी

- 4,03,27.51 लाख रुपये की अंतिम बचत को देखते हुए, मार्च 1999 में लिया गया 22,43,31.27 लाख रुपये का अनुपूरक विनियोजन अत्यधिक सिद्ध हुआ तथा 59,74.55 लाख रुपये अन् अभ्यर्पित रहे।
- बचत मुख्यतः निम्न में रही :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
6003. राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण			
110. भारतीय रिजर्व बैंक से अध्युपाय अग्रिम			
मू.	12,00,00.00		
अ.	21,45,01.13	30,02,80.61	30,09,80.61 + 7,00.00
पु.	- 3,42,20.52		

3,42,20.52 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत राज्य सरकार को अध्युपाय अग्रिम की कम आवश्यकता को आरोपित की गई। यद्यपि 7,00.00 लाख रुपये का आधिक्य रहा, जिसके कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

लोक ऋण (समाप्त)

शीर्ष		कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
6004. केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम				
02. राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज				
101. एक मुश्त कर्ज				
मू.	1,24,37.27			
		1,19,54.73	52,80.73	- 66,74.00
पु.	- 4,82.54			

4,82.54 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत राज्य सरकार को कर्जों की कम आवश्यकता होने को आरोपित की गई।

66,74.00 लाख रुपये की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

अनुदान संख्या 1 - राज्य विधान मण्डल

मुख्य शीर्ष : राजस्व-2011. संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल

		कुल अनुदान या विनियोग रु.	वास्तविक व्यय रु.	आधिक्य+ बचत - रु.
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	7,57,14,000			
		8,96,75,000	8,61,31,329	- 35,43,671
अनुपूरक	1,39,61,000			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1999)				33,88,000
प्रभारित				
मूल	15,59,000			
		15,59,000	6,76,066	- 8,82,934
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1999)				8,82,000

अनुदान संख्या 1 - (समाप्त)

टिप्पणी तथा टीका :

राजस्व

दत्तमत

1. 35.44 लाख रुपये की अन्तिम बचत को देखते हुए, मार्च 1999 में लिया गया 1,39.61 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

अनुदान संख्या 2 - मंत्रिपरिषद् (समस्त दत्तमत)

मुख्य शीर्ष : राजस्व-2013. मंत्रिपरिषद्

		कुल अनुदान	वास्तविक	आधिक्य+
		रु.	व्यय रु.	बचत - रु.
राजस्व				
मूल	2,99,28,000			
		3,21,22,000	3,03,48,435	- 17,73,565
अनुपूरक	21,94,000			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1999)				17,68,000

टिप्पणी तथा टीका :

राजस्व

1. 17.74 लाख रुपये की अन्तिम बचत को देखते हुए, मार्च 1999 में लिया गया 21.94 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

अनुदान संख्या 3 - सचिवालय

मुख्य शीर्ष : राजस्व-2052. सचिवालय - सामान्य सेवाएं,
2251. सचिवालय - सामाजिक सेवाएं और
3451. सचिवालय - आर्थिक सेवाएं

	कुल अनुदान या विनियोग रु.	वास्तविक व्यय रु.	आधिक्य+ बचत - रु.
राजस्व			
दत्तमत			
मूल	47,80,71,000		
अनुपूरक	1,000	47,80,72,000	45,20,39,426 - 2,60,32,574
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1999)			2,34,00,000
प्रभारित			
मूल	85,000		
अनुपूरक		85,000	84,478 - 522

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

दत्तमत

- 2,60.33 लाख रुपये की अंतिम बचत में से 26.33 लाख रुपये अनुअभ्यर्पित रहे।
- बचत मुख्यतः निम्न में रही :-

शीर्ष

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	आधिक्य+ बचत -
2052. सचिवालय- सामान्य सेवाएं			
090. सचिवालय			
(ii) कार्मिक विभाग			
मू.	11,00.40		
पु.	- 66.47	10,33.93	10,31.65 - 2.28

66.47 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण संस्थापना पर व्यय नहीं होने को आरोपित की गई।

अनुदान संख्या 3 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
3451. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
090. सचिवालय			
(i) राज्य स्तरीय आयोजना मशीनरी			
I- राज्य स्तरीय आयोजना मशीनरी			
मू.	2,80.55		
		2,39.70	2,33.22
पु.	- 40.85		- 6.48
101. योजना आयोग - योजना बोर्ड			
(i) राज्य योजना बोर्ड			
मू.	45.19		
		5.20	5.20
पु.	- 39.99		..

उपरोक्त दो शीर्षों में 80.84 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत पदों के रिक्त रहने के कारण संस्थापना पर व्यय नहीं होने को आरोपित की गई।

अनुदान संख्या 4 - जिला प्रशासन

मुख्य शीर्ष : राजस्व-2053. जिला प्रशासन
पूँजी-4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों
पर पूँजीगत परिव्यय

	कुल अनुदान या विनियोग रु.	वास्तविक व्यय रु.	आधिक्य+ बचत - रु.
राजस्व			
दत्तमत			
मूल	98,91,37,000		
		98,91,37,000	94,26,78,412
अनुपूरक	..		- 4,64,58,588
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1999)			4,39,13,000

अनुदान संख्या 4 - (क्रमशः)

		कुल अनुदान या विनियोग रु.	वास्तविक व्यय रु.	आधिक्य+ बचत - रु.
प्रभारित				
मूल	20,13,000			
		20,13,000	5,36,202	- 14,76,798
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	38,00,00,000			
		38,00,00,000	30,70,83,019	- 7,29,16,981
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1999)				7,00,00,000
टिप्पणियां तथा टीकाएं:				

राजस्व

दत्तमत

1. 4,64.59 लाख रुपये की अन्तिम बचत में से 25.46 लाख रुपये अन्अभ्यर्पित रहे।
2. बचत मुख्यतः निम्न में रही :-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
2053. जिला प्रशासन				
093. जिला स्थापनाएं				
(ii) जिलाधीश				
मू.	4,98.56			
		3,53.08	3,52.80	- 0.28
पु.	- 1,45.48			

अनुदान संख्या 4 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
094. अन्य स्थापनाएं (ii) तहसील कार्यालय			
मू. 55,93.39	53,89.55	53,66.25	- 23.30
पु. - 2,03.84			

उपरोक्त दो शीर्षों में 3,49.32 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) पदों के रिक्त रहने तथा (ii) क्रय पर प्रतिबन्ध को आरोपित की गई। शीर्ष '094(ii)' में 23.30 लाख रुपये की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

101. आयुक्त

मू. 3,52.41	2,67.41	2,67.42	+ 0.01
पु. - 85.00			

85.00 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

प्रभारित

1. 14.77 लाख रुपये की सम्पूर्ण बचत अन्वभ्यर्षित रही।

पूँजी

दत्तमत

1. 7,29.17 लाख रुपये की अंतिम बचत में से 29.17 लाख रुपये अन्वभ्यर्षित रहे।
2. बचत मुख्यतः निम्न में रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
45 15. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय			
101. ग्रामीण विकास (v) तीस जिला तीस काम			
मू. 23,00.00	16,00.00	15,76.00	- 24.00
पु. - 7,00.00			

7,24.00 लाख रुपये की कुल बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

अनुदान संख्या 5 - प्रशासनिक सेवाएं

मुख्य शीर्ष : राजस्व-2052. सचिवालय - सामान्य सेवाएं और
2070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं

		कुल अनुदान या विनियोग रु.	वास्तविक व्यय रु.	आधिक्य+ बचत - रु.
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	29,01,30,000			
अनुपूरक	1,39,81,000	30,41,11,000	27,54,01,526	- 2,87,09,474
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1999)				2,65,73,000
प्रभारित				
मूल	1,000			
अनुपूरक	74,000	75,000	75,000	..

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

दत्तमत

1. मार्च 1999 में लिया गया 1,39.81 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट प्रावधान से भी कम था तथा जहाँ अनुपूरक अनुदान के द्वारा नये मद खोले गये थे उन्हें प्रतीक प्रावधान तक सीमित किया जा सकता था।
2. 2,87.09 लाख रुपये की अन्तिम बचत में से 21.36 लाख रुपये अनुअभ्यर्पित रहे।

अनुदान संख्या 5 - (समाप्त)

3. बचत मुख्यतः निम्न में रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	आधिक्य+ बचत -
2070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
114. वाहन का क्रय तथा रख रखाव			
(ii) गाड़ियों का एकत्रीकरण			
मू. 6,45.20			
अ. 29.00	5,28.75	5,26.37	- 2.38
पु. - 1,45.45			

मार्च 1999 में लिया गया 29.00 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि 1,45.45 लाख रुपये बचत प्रत्याशित हुई तथा 31 मार्च 1999 को राज्य सरकार से नये वाहन खरीदने के लिये स्वीकृति जारी नहीं होने के कारण अभ्यर्पित/पुनर्विनियोजित की गई।

अनुदान संख्या 6 - न्याय प्रशासन

मुख्य शीर्ष : राजस्व-2014. न्याय प्रशासन

राजस्व	कुल अनुदान या विनियोग रु.	वास्तविक व्यय रु.	आधिक्य+ बचत - रु.
दत्तमत			
मूल 85,07,71,000	90,31,59,000	88,90,18,866	- 1,41,40,134
अनुपूरक 5,23,88,000			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1999)			1,36,81,000

अनुदान संख्या 6 - (समाप्त)

		कुल अनुदान या विनियोग रु.	वास्तविक व्यय रु.	आधिक्य+ बचत - रु.
प्रभारित				
मूल	11,40,21,000	12,71,14,000	12,71,06,993	- 7,007
अनुपूरक	1,30,93,000			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1999)				1,000

टिप्पणी तथा टीका :

राजस्व

दत्तमत

- 1 1,41.40 लाख रुपये की अन्तिम बचत को देखते हुए, मार्च 1999 में लिया गया 5,23.88 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ तथा 4.59 लाख रुपये अन्अभ्यर्पित रहे।

अनुदान संख्या 7 - निर्वाचन

मुख्य शीर्ष : राजस्व-2015. निर्वाचन और
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

		कुल अनुदान या विनियोग रु.	वास्तविक व्यय रु.	आधिक्य+ बचत - रु.
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	31,60,59,000	34,53,08,000	32,84,57,597	- 1,68,50,403
अनुपूरक	2,92,49,000			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1999)				1,45,60,000

अनुदान संख्या 7 - (क्रमशः)

		कुल अनुदान या विनियोग रु.	वास्तविक व्यय रु.	आधिक्य+ बचत - रु.
प्रभारित				
मूल	2,000	2,000	..	- 2,000
अनुपूरक	..			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित
राशि (मार्च 1999)

2,000

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

दत्तमत

- 1,68.50 लाख रुपये की अंतिम बचत को देखते हुए, मार्च 1999 में लिया गया 2,92.49 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ तथा 22.90 लाख रुपये अन्-अभ्यर्पित रहे।
- बचत मुख्यतः निम्न में रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
2015. निर्वाचन			
105. संसद के चुनाव कराने के लिए प्रभार			
मू.	4,00.00		
अ.	55.00	3,96.00	3,96.17
पु.	- 59.00		+ 0.17

मार्च 1999 में 55.00 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान चुनाव संबंधी बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु लिया गया। परन्तु 59.00 लाख रुपये की बचत प्रत्याशित हुई तथा 31 मार्च 1999 को अभ्यर्पित की गई, जिसके कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

अनुदान संख्या 7 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
106. राज्य संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल के चुनाव कराने के लिए प्रभार			
मू. 20,00.00			
	19,53.00	19,24.89	- 28.11
पु. - 47.00			

47.00 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

28.11 लाख रुपये की अन्तिम बचत विधान सभा चुनाव 98 के दायित्व समय पर प्राप्त नहीं होने के कारण थी।

2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम
800. अन्य व्यय
(i) पंचायत निर्वाचनों पर व्यय
II- महानिर्वाचन

मू.	1.53			
अ.	81.74	67.63	47.01	- 20.62
पु.	- 15.64			

31 मार्च 1999 को 15.64 लाख रुपये का प्रावधान कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान नहीं होने के परिणामस्वरूप चुनावों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया क्योंकि सदस्य निर्विरोध चुने गये।

20.62 लाख रुपये की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत मुख्यतः निम्न में हुए आधिक्य द्वारा प्रतिसंतुलित की गई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम 800. अन्य व्यय (i) पंचायत निर्वाचनों पर व्यय I- नियोजित कर्मचारी वर्ग			
..	..	27.86	+ 27.86

निधियों के प्रावधान के बिना व्यय होने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 1999)।

अनुदान संख्या 8 - राजस्व

मुख्य शीर्ष : राजस्व-2029. भू-राजस्व और
2052. सचिवालय-सामान्य सेवाएं

	कुल अनुदान या विनियोग रु.	वास्तविक व्यय रु.	आधिक्य+ बचत - रु.
राजस्व			
दत्तमत			
मूल	1,55,51,59,000		
अनुपूरक	3,35,20,000		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1999)			
प्रभारित			
मूल	6,000		
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1999)			
टिप्पणियां तथा टीकाएं :			
राजस्व			
दत्तमत			

	1,58,86,79,000	1,53,49,19,431	- 5,37,59,569
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1999)			5,37,52,000
प्रभारित			
मूल	6,000		
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1999)			6,000
टिप्पणियां तथा टीकाएं :			
राजस्व			
दत्तमत			

1. मार्च 1999 में 3,35.20 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान वेतन तथा भत्तों और कार्यालय व्ययों पर अधिक व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया जो अनावश्यक सिद्ध हुआ, क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट प्रावधान से भी कम था।
2. बचत मुख्यतः निम्न में रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
2029. भू-राजस्व			
103. भू अभिलेख			
(ii) जिला व्यय			
मू.	1,28,01.10		
अ.	3,35.20		
पु.	- 3,73.28		
	1,27,63.02	1,27,57.02	- 6.00

अनुदान संख्या 8 - (क्रमशः)

मार्च 1999 में 3,35.20 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान मुख्यतः वेतन तथा भत्तों पर अधिक व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया।

यद्यपि 3,73.28 लाख रुपये की बचत प्रत्याशित की गई तथा 31 मार्च 1999 को पदों के रिक्त रहने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित / अभ्यर्पित की गई।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
103. भू-अभिलेख (iii) जिला व्यय			
III- राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर			
मू. 2,08.39			
पु. - 85.85	1,22.54	25.00	-97.54

1,83.39 लाख रुपये की कुल बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

103. भू-अभिलेख (vii) पायलेट प्रोजेक्ट के तहत लैण्ड रिकार्ड कम्प्यूटराईजेशन			
मू. 1,12.00			
पु. - 55.00	57.00	59.70	+ 2.70

31 मार्च 1999 को 55.00 लाख रुपये का प्रावधान आर्थिक मितव्ययता के कारण क्रय पर प्रतिबन्ध के कारण अभ्यर्पित किया गया।

3. निम्न शीर्षों में व्यय बिना निधियों के प्रावधान के हुआ। आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999) :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
2029. भू-राजस्व 103. भू-अभिलेख (iii) प्रशिक्षण विद्यालय I- राजस्व प्रशिक्षण विद्यालय, टोंक			
..	..	42.79	+ 42.79

अनुदान संख्या 8 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	आधिक्य+ बचत -
103. भू-अभिलेख (iii) प्रशिक्षण विद्यालय II- पटवार प्रशिक्षण विद्यालय	..	54.88	+ 54.88

अनुदान संख्या 9 - वन

मुख्य शीर्ष : राजस्व-2406. वानिकी तथा वन्य जीवन और
2415. कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा
पूंजी-4406. वानिकी तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय और
4415 कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय

	कुल अनुदान या विनियोग रु.	वास्तविक व्यय रु.	आधिक्य+ बचत - रु.
राजस्व			
दत्तमत			
मूल	1,03,37,85,000	1,09,90,48,000	98,05,64,377 - 11,84,83,623
अनुपूरक	6,52,63,000		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1999)			8,78,02,000
प्रभारित			
मूल	2,00,000	20,00,000	14,72,779 - 5,27,221
अनुपूरक	18,00,000		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1999)			6,39,000

अनुदान संख्या 9 - (क्रमशः)

	कुल अनुदान या विनियोग रु.	वास्तविक व्यय रु.	आधिक्य+ बचत - रु.
पूंजी			
दत्तमत			
मूल	53,18,44,000		
अनुपूरक	6,79,45,000	59,97,89,000	51,64,27,603 - 8,33,61,397

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित

राशि (मार्च 1999)

5,99,35,000

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

दत्तमत

1. मार्च 1999 में लिया गया 6,52.63 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट प्रावधान से भी कम था तथा प्रतीक प्रावधान तक सीमित किया जा सकता था जहाँ यह आवश्यक था।
2. 11,84.84 लाख रुपये की अन्तिम बचत में से 3,06.82 लाख रुपये अन्वभ्यर्पित रहे।
3. बचत मुख्यतः निम्न में रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
2406. वानिकी तथा वन्य जीवन			
01. वानिकी			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(ii) अधीनस्थ तथा दक्ष कर्मचारी			
वर्ग			
मू.	23,67.87		
अ.	1,33.57	24,52.45	23,69.39 - 83.06
पु.	- 48.99		

मार्च 1999 में 1,33.57 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान वेतन तथा भत्तों और यात्रा भत्तों पर अधिक व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया जो शीर्ष में बचत को देखते हुए अत्यधिक सिद्ध हुआ।

अनुदान संख्या 9 - (क्रमशः)

48.99 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गई।

83.06 लाख रुपये की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
01. वानिकी			
101. वन संरक्षण, विकास तथा सम्पोषण			
(iii) मरुस्थलीय क्षेत्र में वनारोपण कार्यक्रम			
अ.	3,14.53		
		2,45.54	2,28.78
पु.	- 68.99		- 16.76

मार्च 1999 में 3,14.53 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान मरुस्थलीय क्षेत्रों में वनारोपण कार्यक्रम हेतु लिया गया जो शीर्ष में बचत को देखते हुए अत्यधिक सिद्ध हुआ।

31 मार्च 1999 को 68.99 लाख रुपये का प्रावधान पदों के रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

16.76 लाख रुपये की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

01. वानिकी
101. वन संरक्षण, विकास तथा
सम्पोषण
(vii) परिभ्रांषित वनों का पुनरारोपण

मू.	3,14.06			
अ.	16.08	2,89.13	2,64.89	- 24.24
पु.	- 41.01			

मार्च 1999 में 16.08 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान वेतन तथा भत्तों पर अधिक व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया जो शीर्ष में बचत को देखते हुए अनावश्यक सिद्ध हुआ।

41.01 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत मजदूरी पर कम व्यय को आरोपित की गई।

24.24 लाख रुपये की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

अनुदान संख्या 9 -(क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
01. वानिकी			
102. समाज तथा फार्म वानिकी			
(iii) वृक्षारोपण योजनायें			
I- वन विभाग के माध्यम से			
मू.	4,24.64		
अ.	1,12.00	5,29.40	4,45.03
पु.	- 7.24		- 84.37

मार्च 1999 में 1,12.00 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान वेतन तथा भत्तों पर अधिक व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया।

यद्यपि 84.37 लाख रुपये की अन्तिम बचत रही, जिसके कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

01. वानिकी
102. समाज तथा फार्म वानिकी
(v) ईंधन वनारोपण योजना (50:50)

मू.	1,63.10			
		1,39.60	1,22.94	- 16.66
पु.	- 23.50			

23.50 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से कम निधियां प्राप्त होने को आरोपित की गई।

16.66 लाख रुपये की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

02. पर्यावरणीय वानिकी तथा
वन्य जीवन
110. वन्य जीव परिरक्षण
(i) बाघ परियोजना, रणथम्भौर

मू.	5,04.00			
		2,06.18	1,92.62	- 13.56
पु.	- 2,97.82			

अनुदान संख्या 9 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	आधिक्य+ बचत -
02. पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीवन			
110. वन्य जीव परिरक्षण (ii) बाघ परियोजना, सरिस्का			
मू. 2,44.00	1,50.86	1,32.82	- 18.04
पु. - 93.14			
02. पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीवन			
110. वन्य जीव परिरक्षण (iii) वन क्षेत्रों का संधारण			
मू. 6,55.27	5,48.96	5,45.08	- 3.88
पु. - 1,06.31			
02. पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीवन			
110. वन्य जीव परिरक्षण (iv) घाना पक्षी अभयारण्य का विकास			
मू. 99.51	53.11	53.16	+ 0.05
पु. - 46.40			

उपरोक्त चार शीर्षों में 5,43.67 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से कम निधियां प्राप्त होने को आरोपित की गई।

उपरोक्त शीर्षों में अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

अनुदान संख्या 9 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	आधिक्य+ बचत -
02. पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीवन			
111. चिड़ियाघर			
(ii) चिड़ियाघर का सुधार			
मू. 1,05.24			
पु. - 63.86	41.38	40.60	- 0.78

63.86 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से कम निधियां प्राप्त होने को आरोपित की गई।

02. पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीवन			
800. अन्य व्यय			
(ii) शहरी क्षेत्रों में वृक्षारोपण			
मू. 1,50.00			
पु. - 40.46	1,09.54	98.82	- 10.72

40.46 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत रख रखाव पर कम व्यय को आरोपित की गई।

10.72 लाख रुपये की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

4. निम्न शीर्ष में अन्तिम बचत को देखते हुए, 31 मार्च 1999 को पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान का आवर्धन अत्यधिक सिद्ध हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	आधिक्य+ बचत -
2406. वानिकी तथा वन्य जीवन			
01. वानिकी			
101. वन संरक्षण विकास तथा संपोषण			
(vi) रांघनन सीमा निर्धारण तथा बन्दोबस्त कार्य			
मू. 1,15.27			
पु. 36.36	1,51.63	1,23.62	- 28.01

अनुदान संख्या 9 - (क्रमशः)

31 मार्च 1999 को पुनर्विनियोजन द्वारा 36.36 लाख रुपये की अतिरिक्त निधियां वेतन स्थिरीकरण के कारण वेतन तथा भत्तों पर अधिक व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध कराई गई।

28.01 लाख रुपये की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

प्रभारित

1. 5.27 लाख रुपये की अन्तिम बचत को देखते हुए 18.00 लाख रुपये का अनुपूरक विनियोजन अत्यधिक था तथा 6.39 लाख रुपये की राशि का अभ्यर्पण भी अत्यधिक था।

पूंजी

दत्तमत

1. मार्च 1999 में लिया गया 6,79.45 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ, क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट प्रावधान से भी कम था।
2. 8,33.61 लाख रुपये की अन्तिम बचत में से 2,34.26 लाख रुपये अन्अभ्यर्पित रहे।
3. बचत मुख्यतः निम्न में रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
4406. वानिकी तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय			
01. वानिकी			
101. वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण			
(v) मरुस्थलीय क्षेत्रों में वृक्षारोपण			
1. वानिकी निर्माण कार्य			
मू.	1,10.33		
		32.40	21.48
पु.	- 77.93		- 10.92

77.93 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत वानिकी निर्माण कार्यों पर कम व्यय को आरोपित की गई।

10.92 लाख रुपये की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

अनुदान संख्या 9 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	आधिक्य+ बचत -
01. वानिकी			
102. समाज तथा फार्म वानिकी			
(iv) सामुद्रिक आर्थिक सहयोग निधि, जापान की सहायता से वानिकी विकास परियोजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण			
3. भवन			
मू.	81.10		
		78.60	
पु.	- 2.50		
		6.67	- 71.93

71.93 लाख रुपये की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

01. वानिकी			
102. समाज तथा फार्म वानिकी			
(vii) एकीकृत वनीकरण एवं परिस्थिकीय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वृक्षारोपण (100% सी.एस.एस.)			
1. वानिकी कार्य			
मू.	5,37.09		
		3,62.27	
पु.	- 1,74.82		
		3,56.69	- 5.58

31 मार्च 1999 को 1,74.82 लाख रुपये का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीवन

110. वन्य जीवन

(iii) बाघ परियोजना सरिस्का

1. सड़क निर्माण

मू.	1.00		
अ.	3,50.00	1,50.00	
पु.	- 2,01.00		
		..	- 1,50.00

अनुदान संख्या 9 - (समाप्त)

मार्च 1999 में 3,50.00 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान राष्ट्रीय राजमार्ग 13 की सड़कों के निर्माण हेतु भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के कारण लिया गया।

यद्यपि, स्वीकृत राशि प्राप्त नहीं हुई जिससे 31 मार्च 1999 को 2,01.00 लाख रुपये अभ्यर्पित किये गये तथा 1,50.00 लाख रुपये अनुपयोजित रहे, जिसके कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
02. पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीवन			
111. चिड़ियाघर			
(i) चिड़ियाघर का सुधार			
3. वानिकी निर्माण कार्य			
मू.	1,09.50	6.90	5.23
पु.	- 1,02.60		- 1.67

31 मार्च 1999 को 1,02.60 लाख रुपये का प्रावधान आयोजना सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 10 - विविध सामान्य सेवाएं

मुख्य शीर्ष : राजस्व-2075. विविध सामान्य सेवाएं

	कुल अनुदान रु.	वास्तविक व्यय रु.	आधिक्य+ बचत - रु.
राजस्व			
दत्तमत			
मूल	15,23,000	18,37,000	14,26,945
अनुपूरक	3,14,000		- 4,10,055
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1999)			3,56,000

अनुदान संख्या 10 - (समाप्त)

टिप्पणी तथा टीका :

राजस्व

दत्तमत

1. मार्च 1999 में लिया गया 3.14 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट प्रावधान से कम था।

अनुदान संख्या 11 - विविध सामाजिक सेवाएं

मुख्य शीर्ष : राजस्व-2250. अन्य सामाजिक सेवाएं ,

2408. खाद्य भंडारण तथा भंडागार,

3425. अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान और

3435. परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण

		कुल अनुदान या विनियोग रु.	वास्तविक व्यय रु.	आधिक्य+ बचत - रु.
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	16,56,80,000	16,56,80,000	10,71,06,233	- 5,85,73,767
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1999)				5,81,90,000
प्रभारित				
मूल	2,000	26,000	..	- 26,000
अनुपूरक	24,000			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1999)				1,000

अनुदान संख्या 11 - (क्रमशः)

टिप्पणी तथा टीका :

राजस्व

दत्तमत

1. बचत मुख्यतः निम्न में रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	आधिक्य+ बचत -
2250. अन्य सामाजिक सेवाएं			
103. पवित्र स्थानों, मन्दिरों आदि का रख-रखाव			
(i) देवस्थान की जायदाद का अनुरक्षण			
मू. 52.00	5.11	5.08	- 0.03
पु. - 46.89			

46.89 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत आयोजना सीमा में कटौती को आरोपित की गई।

2408. खाद्य भंडारण तथा भंडागार

01. खाद्य

800 अन्य व्यय

(i) इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के कल्याण हेतु विश्व खाद्य संगठन से प्राप्त सामग्री पर व्यय

मू. 1,27.73	61.27	60.80	- 0.47
पु. - 66.46			

66.46 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

3425. अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान

800. अन्य व्यय

(i) विज्ञान और तकनीक

मू. 3,60.18	3,00.70	2,97.20	- 3.50
पु. - 59.48			

59.48 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से अनुदान के लिए कम स्वीकृति प्राप्त होने को आरोपित की गई।

अनुदान संख्या 11 -(समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	आधिक्य+ बचत -
3435. परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण			
03. पर्यावरणीय अनुसंधान तथा पारिस्थितिक पुनरुद्भ भवन			
102. पर्यावरणीय आयोजना तथा समन्वय			
(i) पर्यावरण में सुधार			
मू.	4,11.63		
		69.68	69.05
पु.	- 3,41.95		- 0.63

3,41.95 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से कम स्वीकृति प्राप्त होने को आरोपित की गई ।

04. प्रदूषण का निवारण तथा नियंत्रण
103. वायु तथा जल प्रदूषण का नियंत्रण
1. राजस्थान राज्य दूषित जल नियंत्रण
और बचाव मण्डल को सहायतार्थ
अनुदान

मू.	2,00.00		
		1,50.00	1,50.00
पु.	- 50.00		

50.00 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत राज्य सरकार द्वारा कम अनुदान जारी होने को आरोपित की गई, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999) ।

अनुदान संख्या 12 - अन्य कर

मुख्य शीर्ष : राजस्व- 2030. स्टाम्प तथा पंजीकरण,
 2035. सम्पत्ति तथा पूंजीगत लेन-देनों पर
 अन्य करों का संग्रहण,
 2041. वाहन कर और,
 2045. वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क

	कुल अनुदान या विनियोग रु.	वास्तविक व्यय रु.	आधिक्य+ बचत - रु.
राजस्व			
दत्तमत			
मूल	31,49,14,000		
अनुपूरक	2,06,33,000	33,55,47,000	32,24,28,519 - 1,31,18,481
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1999)			1,25,22,000
प्रभारित			
मूल	28,000		
अनुपूरक	2,000	30,000	25,000 - 5,000
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1999)			1,000
टिप्पणियां तथा टीकाएं :			
राजस्व			
दत्तमत			

1. 1,31.18 लाख रुपये की अंतिम बचत को देखते हुए, मार्च 1999 में लिया गया 2,06.33 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

अनुदान संख्या 12 - (समाप्त)

2. बचत (अन्य शीर्ष में रहे आधिक्य द्वारा प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न में रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	आधिक्य+ बचत -
2041. वाहन कर			
101. संग्रहण प्रभार			
(i) प्रादेशिक परिवहन अधिकारी			
मू. 11,22.53			
पु. - 1,75.21	9,47.32	9,36.06	- 11.26

1,75.21 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) रिक्त रहे पदों और (ii) किराये के वाहनों पर कम खर्च को आरोपित की गई।

11.26 लाख रुपये की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

अनुदान संख्या 13 - आबकारी

मुख्य शीर्ष : राजस्व-2039. राज्य उत्पादन शुल्क

राजस्व	कुल अनुदान या विनियोग रु.	वास्तविक व्यय रु.	आधिक्य+ बचत - रु.
दत्तमत			
मूल 1,11,38,73,000			
अनुपूरक 1,000	1,11,38,74,000	1,03,17,53,506	- 8,21,20,494
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1999)			3,00,27,000

अनुदान संख्या 13 - (क्रमशः)

		कुल अनुदान या विनियोग रु.	वास्तविक व्यय रु.	आधिक्य+ बचत - रु.
प्रभारित				
मूल	1,000	2,05,000	2,04,492	- 508
अनुपूरक	2,04,000			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित
राशि

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

दत्तमत

1. 8,21.20 लाख रुपये की अन्तिम बचत में से 5,20.93 लाख रुपये अन्अभ्यर्पित रहे।
2. बचत मुख्यतः निम्न में रही :-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	आधिक्य+ बचत -
2039. राज्य उत्पादन शुल्क				
001. निदेशन तथा प्रशासन				
(i) प्रधान कार्यालय				
मू.	3,09.19	2,00.20	1,99.48	- 0.72
पु.	- 1,08.99			
001. निदेशन तथा प्रशासन				
(ii) निरोधक दल				
मू.	7,64.91	6,40.23	6,40.06	- 0.17
अ.	0.01			
पु.	- 1,24.69			

अनुदान संख्या 13 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
001. निदेशन तथा प्रशासन (iii) अन्य स्थापना			
मू.	10,34.32		
		9,47.00	9,49.27
पु.	- 87.32		+ 2.27

उपरोक्त तीन शीर्षों में 3,21.00 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) रिक्त रहे पदों तथा (ii) आर्थिक मितव्ययता को आरोपित की गई।

104. लिकर तथा स्प्रिट का क्रय

मू.	90,00.00			
		89,99.95	84,77.63	- 5,22.32
पु.	- 0.05			

5,22.32 लाख रुपये की अन्तिम बचत ऋणात्मक व्यय हैं जो गंगानगर शुगर मिल के द्वारा सरकार द्वारा पूर्व वर्षों में इस मिल को दिये गये अधिक भुगतान को जमा कराये जाने के कारण रहा।

अनुदान संख्या 14 - बिक्री कर

मुख्य शीर्ष : राजस्व-2040. बिक्री कर

राजस्व	कुल अनुदान या विनियोग रु.	वास्तविक व्यय रु.	आधिक्य+ बचत - रु.
दत्तमत			
मूल	45,31,74,000		
		45,59,28,000	43,84,25,212
अनुपूरक	27,54,000		- 1,75,02,788
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1999)			2,02,51,000

अनुदान संख्या 14 - (क्रमशः)

		कुल अनुदान या विनियोग रु.	वास्तविक व्यय रु.	आधिक्य + बचत - रु.
प्रभारित				
मूल	6,000	17,000	15,624	- 1,376
अनुपूरक	11,000			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1999)				1,000
टिप्पणियां तथा टीकाएं :				
राजस्व				
दत्तमत				

1. मार्च 1999 में लिया गया 27.54 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट प्रावधान से भी कम था तथा जहाँ अनुपूरक अनुदान के द्वारा नया शीर्ष खोला गया उसे प्रतीक प्रावधान तक सीमित किया जा सकता था।
2. 1,75.03 लाख रुपये की अन्तिम बचत को देखते हुए, 2,02.51 लाख रुपये की राशि का अभ्यर्पण अत्यधिक था।
3. बचत मुख्यतः निम्न में रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत -
2040. बिक्री कर			
101. संग्रहण प्रभार			
(ii) अन्य जिला कार्यकारी कर्मचारी वर्ग			
मू.	32,40.30	31,27.35	+ 19.77
अ.	27.04		
पु.	- 1,39.99		

1,39.99 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत रिक्त रहे पदों को आरोपित की गई।

19.77 लाख रुपये के अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

अनुदान संख्या 14 -(समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	आधिक्य+ बचत -
800. अन्य व्यय			
(i) कम्प्यूटरीकरण			
1. कम्प्यूटर क्रय			
मू.	1,25.00		
पु.	- 1,25.00		

31 मार्च 1999 को 1,25.00 लाख रुपये का समस्त प्रावधान क्रय पर प्रतिबन्ध के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत मुख्यतः निम्न में हुए आधिक्य द्वारा प्रतिसंतुलित की गई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	आधिक्य+ बचत -
2040. बिक्री कर			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(ii) डिजीजनल कर्मचारी वर्ग			
मू.	4,47.92		
पु.	74.79		
		5,22.71	5,26.24
			+ 3.53

31 मार्च 1999 को पुनर्विनियोजन द्वारा 74.79 लाख रुपये की अतिरिक्त निधियां मुख्यतः वेतन तथा भत्तों के भुगतान पर अधिक व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध कराई गई।

अनुदान संख्या 15 - पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ

मुख्य शीर्ष : राजस्व-2071. पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ

		कुल अनुदान या विनियोग रु.	वास्तविक व्यय रु.	आधिक्य+ बचत - रु.
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	8,93,74,82,000	8,99,28,12,000	8,79,26,44,963	- 20,01,67,037
अनुपूरक	5,53,30,000			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1999)				25,00,000
प्रभारित				
मूल	5,000	5,000	13,30,906	+ 13,25,906
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1999)				5,000

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

दत्तमत

1. मार्च 1999 में लिया गया 5,53.30 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट प्रावधान से भी कम था तथा 19,76.67 लाख रुपये अन् अभ्यर्पित रहे।

अनुदान संख्या 15 - (क्रमशः)

2. बचत मुख्यतः निम्न में रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	आधिक्य+ बचत -
2071. पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ			
01. सिविल			
102. पेंशन का सारांशीकृत मूल्य			
मू. 1,57,00.00			
	1,20,00.00	99,13.06	- 20,86.94
पु. - 37,00.00			

57,86.94 लाख रुपये की कुल बचत पेंशनर्स को कम भुगतान के कारण थी क्योंकि (i) अधिकांश पेंशनर्स ने जनवरी 1997 से दिसम्बर 1997 तक के बकाया का भुगतान 60 मासिक किश्तों में लेने का विकल्प दिया बजाय सामान्य भविष्य निधि खाते में बकाया जमा कराने के, (ii) प्री-88 तथा प्री-96 से सम्बन्धित पेंशन संशोधन मामलों में भी पेंशनर्स द्वारा यही किया गया तथा (iii) कोषालयों द्वारा 31 मार्च 1999 तक निपटाये गये सभी पेंशन मामलों का भुगतान नहीं किया गया।

01. सिविल			
105. परिवार पेंशन			
मू. 1,21,00.00			
	75,00.00	71,85.24	- 3,14.76
पु. - 46,00.00			

46,00.00 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत परिवार पेंशन मामले कम प्राप्त होने को आरोपित की गई।

3,14.76 लाख रुपये की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

01. सिविल			
110. स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को पेंशन			
(i) जिला परिषदों और पंचायत समितियों के कर्मचारियों को पेंशन			
मू. 8,00.00			
	5,00.00	4,21.91	- 78.09
पु. - 3,00.00			

31 मार्च 1999 को 3,00.00 लाख रुपये का प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया क्योंकि माह मई 1998 में राज्य सरकार द्वारा सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ा कर 60 वर्ष किये जाने के कारण अधिवर्षिता पेंशन मामले कम प्राप्त हुए।

अनुदान संख्या 15 - (समाप्त)

78.09 लाख रुपये की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत मुख्यतः निम्न में हुए आधिक्य द्वारा प्रतिसंतुलित की गई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
2071. पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ			
01. सिविल			
101. अन्य कर्मचारियों को पेंशन			
मू.	5,42,00.01		
अ.	5,53.30	5,75,00.01	5,86,31.98
पु.	27,46.70		+ 11,31.97

31 मार्च 1999 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध कराई गई 27,46.70 लाख रुपये की अतिरिक्त निधियां तथा 11,31.97 लाख रुपये के अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

01. सिविल

104. उपदान

(i) राज्य कर्मचारियों को उपदान

मू.	64,00.00			
		1,20,00.00	1,13,86.26	- 6,13.74
पु.	56,00.00			

पुनर्विनियोजन द्वारा 56,00.00 लाख रुपये की अतिरिक्त निधियां 31 मार्च 1999 तक पेंशन मामलों के निपटारे को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध कराई गई। यद्यपि 6,13.74 लाख रुपये की अन्तिम बचत 31 मार्च 1999 तक निपटाये गये सभी पेंशन मामलों का भुगतान नहीं किये जाने के कारण थी।

प्रभारित

- व्यय विनियोजन से 13,25,906 रुपये अधिक हुआ जिसका नियमन अपेक्षित है। आधिक्य मुख्यतः शीर्ष '2071-106 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सम्बन्ध में पेंशन सम्बन्धी प्रभार' में हुआ (प्रावधान: शून्य; व्यय : 13.31 लाख रुपये)।

अनुदान संख्या 16 - पुलिस

मुख्य शीर्ष : राजस्व- 2055. पुलिस और
2070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं
पूंजी-4070. अन्य प्रशासनिक सेवाओं
पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग रु.	वास्तविक व्यय रु.	आधिक्य+ बचत - रु.
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	5,96,08,12,000	5,97,27,75,000	6,14,61,30,863	+ 17,33,55,863
अनुपूरक	1,19,63,000			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				
प्रभारित				
मूल	8,02,000	35,88,000	35,85,659	- 2,341
अनुपूरक	27,86,000			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1999)				2,000
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	94,20,000	94,20,000	40,68,625	- 53,51,375
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1999)				45,70,000

अनुदान संख्या 16 - (क्रमशः)

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

दत्तमत

1. व्यय अनुदान से 17,33,55,863 रुपये अधिक हुआ जिसका नियमन अपेक्षित है।
2. 17,33.56 लाख रुपये के अन्तिम आधिक्य को देखते हुए, मार्च 1999 में लिया गया 1,19.63 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
3. बचत मुख्यतः निम्न में रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
2055. पुलिस			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(i) अधीक्षण			
मू. 6,14.13	6,80.41	6,80.30	- 0.11
पु. 66.28			
003. शिक्षा और प्रशिक्षण			
(i) राजस्थान पुलिस अकादमी			
मू. 3,10.93	3,79.34	3,79.75	+ 0.41
पु. 68.41			

उपरोक्त दो शीर्षों में 31 मार्च 1999 को पुनर्विनियोजन द्वारा 1,34.69 लाख रुपये की अतिरिक्त निधियां वेतन स्थिरीकरण के बकायों के भुगतान पर अधिक व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध कराई गई।

अनुदान संख्या 16 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
101. अपराधिक अन्वेषण और सतर्कता (i) अपराधिक शाखा			
मू.	23,54.86		
पु.	1,77.31	25,32.17	25,35.51 + 3.34

31 मार्च 1999 को पुनर्विनियोजन द्वारा 1,77.31 लाख रुपये की अतिरिक्त निधियां वेतन निर्धारण के बकायों के भुगतान पर अधिक व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध कराई गई।

104. विशेष पुलिस (i) सिपाही दल			
मू.	92,93.86		
पु.	19,50.23	1,12,44.09	1,14,36.94 + 1,92.85

31 मार्च 1999 को पुनर्विनियोजन द्वारा 19,50.23 लाख रुपये की अतिरिक्त निधियां मुख्यतः वेतन निर्धारण के बकायों के भुगतान तथा यात्रा भत्ता दावों की अधिक प्राप्ति पर अधिक व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध कराई गई।

1,92.85 लाख रुपये का अन्तिम आधिक्य वित्तीय वर्ष 1998-99 के अन्तिम तिमाही में आर.ए.सी. इकाइयों द्वारा पाँचवे वेतन आयोग के लागू होने से वेतन निर्धारण के बकायों के भुगतान के कारण रहा।

109. जिला पुलिस (i) सामान्य पुलिस			
मू.	3,58,66.15		
पु.	4,90.96	3,63,57.11	3,78,91.88 + 15,34.77

31 मार्च 1999 को पुनर्विनियोजन द्वारा 4,90.96 लाख रुपये की अतिरिक्त निधियां मुख्यतः वेतन तथा भत्तों पर अधिक व्यय की पूर्ति तथा सामग्री तथा सेवाओं की दरों में वृद्धि हेतु उपलब्ध कराई गई। 15,34.77 लाख रुपये का अन्तिम आधिक्य वित्तीय वर्ष 1998-99 के अन्तिम तिमाही में जिला कार्यालयों द्वारा पाँचवे वेतन आयोग के लागू होने के पश्चात् वेतन निर्धारण के बकायों के भुगतान के कारण रहा।

अनुदान संख्या 16 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
114. बेतार तथा कम्प्यूटर (ii) वितंतु (सामान्य पुलिस)			
मू. 10,42.47	12,95.00	12,93.75	- 1.25
पु. 2,52.53			

31 मार्च 1999 को पुनर्विनियोजन द्वारा 2,52.53 लाख रुपये की अतिरिक्त निधियां मुख्यतः वेतन तथा भत्तों पर अधिक व्यय की पूर्ति तथा सामग्री तथा सेवाओं की दरों में वृद्धि हेतु उपलब्ध करायी गयी।

2070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं

107. होम गार्ड

(i) नगरीय

मू. 9,17.21	11,87.77	11,90.63	+ 2.86
अ. 1,19.63			
पु. 1,50.93			

31 मार्च 1999 को पुनर्विनियोजन द्वारा 1,50.93 लाख रुपये की अतिरिक्त निधियां विधान सभा चुनाव- 98 तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा के लिये नियुक्त होम गार्ड दल के स्वयंसेवकों को मजदूरी के भुगतान के लिये उपलब्ध करायी गई।

4. उपरोक्त टिप्पणी(3) में वर्णित आधिक्य मुख्यतः निम्न में हुई बचत द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित किया गया :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
-------	------------	--------------------------------------	------------------

2055. पुलिस

101. अपराधिक अन्वेषण और सतर्कता

(iii) राजस्थान राज्य अन्वेषण

ब्यूरो का पुनर्गठन

मू. 1,00.00			
पु. - 1,00.00			

31 मार्च 1999 को 1,00.00 लाख रुपये का सम्पूर्ण प्रावधान राज्य सरकार द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के पुनर्गठन के लिये स्वीकृति जारी नहीं होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।

अनुदान संख्या 16 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
109. जिला पुलिस (viii) जिला पुलिस का पुनर्गठन			
मू. 29,00.00			
पु. - 29,00.00	..	..	..

जिला पुलिस के पुनर्गठन हेतु लिया गया 29,00.00 लाख रुपये का एक मुश्त प्रावधान 31 मार्च 1999 को विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत हुए अधिक व्यय की पूर्ति हेतु पुनर्विनियोजित कराया गया।

114. बेतार तथा कम्प्यूटर (i) वितंतु (विशेष पुलिस)			
मू. 4,39.12	2,89.31	2,89.09	- 0.22
पु. - 1,49.81			

1,49.81 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत रिक्त रहे पदों को आरोपित की गई।

पूंजी

दत्तमत

- 53.51 लाख रुपये की अन्तिम बचत में से 7.81 लाख रुपये अन्वर्धित रहे।
- बचत मुख्यतः निम्न में रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
4070. अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
003. प्रशिक्षण			
(i) हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर			
I- आवासीय भवन			
1. भवन			
मू. 83.36	42.92	36.01	- 6.91
पु. - 40.44			

40.44 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत स्वीकृति देरी से जारी होने तथा परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान कार्यों के कम निष्पादन को आरोपित की गई।

अनुदान संख्या 17 - कारागार

मुख्य शीर्ष : राजस्व-2056. जेल

		कुल अनुदान या विनियोग रु.	वास्तविक व्यय रु.	आधिक्य + बचत - रु.
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	26,59,52,000	26,59,52,000	25,39,04,197	- 1,20,47,803
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1999)				1,30,11,000
प्रभारित				
मूल	5,000	5,000	..	- 5,000
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1999)				5,000
टिप्पणियां तथा टीकाएं :				
राजस्व				
दत्तमत				

1. 1,20.48 लाख रुपये की अंतिम बचत को देखते हुए, 1,30.11 लाख रुपये की राशि का अभ्यर्पण अत्यधिक था।

अनुदान संख्या 17 - (समाप्त)

2. बचत मुख्यतः निम्न में रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
2056. जेल			
101. जेल			
(iii) हवालातें			
मू.	5,46.86		
		4,89.18	5,09.86
पु.	- 57.68		+ 20.68

57.68 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत रिक्त रहे पदों को आरोपित की गई।

20.68 लाख रुपये के अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

101. जेल

(vi) दसवें वित्त आयोग के अन्तर्गत
जेलों में चिकित्सा सुविधाएं

मू.	38.10		
		10.90	..
पु.	- 27.20		- 10.90

27.20 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत क्रय पर प्रतिबन्ध को आरोपित की गई।

10.90 लाख रुपये की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

अनुदान संख्या 18 - जन-सम्पर्क

मुख्य शीर्ष : राजस्व-2220. सूचना तथा प्रचार

		कुल अनुदान या विनियोग रु.	वास्तविक व्यय रु.	आधिक्य+ बचत - रु.
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	8,25,32,000			
		8,25,32,000	7,15,41,188	- 1,09,90,812
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1999)				1,13,23,000
प्रभारित				
मूल	1,000			
		1,000	..	- 1,000
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1999)				1,000

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

दत्तमत

- 1,09.91 लाख रुपये की अंतिम बचत को देखते हुए , 1,13.23 लाख रुपये की राशि का अभ्यर्पण अत्यधिक था।
- बचत मुख्यतः निम्न में हुई :-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
2220. सूचना तथा प्रचार				
60. अन्य				
001. निदेशन तथा प्रशासन				
मू.	4,08.22			
		3,46.16	3,42.44	- 3.72
पु.	- 62.06			

अनुदान संख्या 18 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
60. अन्य			
102. सूचना केन्द्र			
मू.	1,68.60		
		1,42.57	
पु.	- 26.03		
		1,46.97	+ 4.40
60. अन्य			
106. क्षेत्र प्रचार			
मू.	2,48.50		
		2,23.36	
पु.	- 25.14		
		2,26.00	+ 2.64

उपरोक्त तीन शीर्षों में 1, 13.23 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत आर्थिक मितव्ययता को आरोपित की गई।

अनुदान संख्या 19 - लोक निर्माण कार्य

मुख्य शीर्ष : राजस्व-2059. लोक निर्माण कार्य

पूँजी-4059. लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय,

4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय,

4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय,

4211. परिवार कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय,

4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय,

4217. शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय,

4220. सूचना तथा प्रचार पर पूँजीगत परिव्यय,

4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा

अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय,

4235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय,

अनुदान संख्या 19 - (क्रमशः)

4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय,
 4401. फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय,
 4402. मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय,
 4403. पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय,
 4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय,
 4701. मुख्य तथा मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,
 4853. अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय और
 5425. अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणी अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग रु.	वास्तविक व्यय रु.	आधिक्य+ बचत - रु.
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	2,67,26,13,000	2,67,26,13,000	2,31,60,24,698	- 35,65,88,302
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1999)				35,60,03,000
प्रभारित				
मूल	10,000	54,000	70,064	+ 16,064
अनुपूरक	44,000			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	1,20,70,68,000	1,20,70,68,000	89,64,04,898	- 31,06,63,102
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1999)				30,28,59,000

अनुदान संख्या 19 - (क्रमशः)

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

दत्तमत

1. बचत मुख्यतः निम्न में रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
2059. लोक निर्माण कार्य			
80. सामान्य			
004. योजना तथा अनुसंधान			
(i) अनुसंधान			
मू. 3,42.32			
पु. - 46.60	2,95.72	2,95.67	- 0.05
80. सामान्य			
052. मशीनरी तथा उपस्कर			
(i) नवीन प्रदाय			
मू. 50.00			
पु. - 38.50	11.50	11.50	..
80. सामान्य			
052. मशीनरी तथा उपस्कर			
(ii) जीर्णोद्धार एवं ढुलाई व्यय			
मू. 10,76.20			
पु. - 99.20	9,77.00	9,80.38	+ 3.38

अनुदान संख्या 19 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
80. सामान्य			
053. रखरखाव तथा मरम्मत			
(viii) निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से			
मू. 50.00	6.14	1.91	- 4.23
पु. - 43.86			

उपरोक्त चार शीर्षों में 2,28.16 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत कम व्यय होने को आरोपित की गई, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

80. सामान्य			
799. उच्चन्त			
(ii) स्कन्ध			
II- प्रभार			
मू. 70,00.00	60,00.00	60,05.79	+ 5.79
पु. - 10,00.00			

10,00.00 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत स्कन्ध के कम क्रय को आरोपित की गई।

80. सामान्य			
799. उच्चन्त			
(iii) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम			
I- प्रभार			
मू. 70,00.00	46,00.00	46,00.06	+ 0.06
पु. - 24,00.00			

24,00.00 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत कार्यों के कम निष्पादन होने तथा परिणामस्वरूप विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम की कम स्वीकृति को आरोपित की गई।

अनुदान संख्या 19 - (क्रमशः)

2. उपरोक्त टिप्पणी (1) में वर्णित बचत को मुख्यतः निम्न में हुए आधिक्य द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
2059. लोक निर्माण कार्य			
80. सामान्य			
053. रखरखाव तथा मरम्मत			
(i) मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन व पथ) राजस्थान, जयपुर के माध्यम से			
I- विशेष एवं सामान्य मरम्मत			
मू.	25,00.00		
पु.	1,18.00	26,18.00	26,28.60 + 10.60

31 मार्च 1999 को पुनर्विनियोजन द्वारा 1,18.00 लाख रुपये की अतिरिक्त निधियां मरम्मत पर हुए अधिक व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध कराई गई।

10.60 लाख रुपये के अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 1999)।

3. **उचन्त** - लघु शीर्ष " उचन्त " में अन्तरिम लेन देन के रूप की वे प्राप्तियां और संवितरण सम्मिलित हैं जहां उनको अंतिम रूप देने और लेखांकित करने के पूर्व आगे भुगतान अथवा मूल्य का समायोजन आवश्यक हैं। तदनुसार, उचन्त के अन्तर्गत राशि वर्षानुवर्ष अग्रनीत की जाती हैं।

जैसा नीचे स्पष्ट किया गया है कि लोक निर्माण कार्यों के लेखों में उचन्त के तीन उप-भाग हैं, यथा (i) स्टॉक, (ii) विविध निर्माण कार्य अग्रिम तथा (iii) वर्कशाप उचन्त :-

(i) **स्टॉक** - इस शीर्ष के अन्तर्गत किसी विशेष निर्माण कार्य के लिये नहीं अपितु खण्ड में सामान्य उपयोग के लिये जो सामग्रियां प्राप्त की जाती हैं, का मूल्य लेखांकित किया जाता है। विशेष कार्यों पर प्रयोग के लिए जारी की गई या बेची गई अथवा अन्य खण्डों को स्थानान्तरित सामग्रियों का मूल्य, अन्तरण द्वारा इस उपभाग के अंतर्गत लेखों से हटाया जाता है। प्राप्त सामग्रियों के मूल्य जिसका, उसी मास में भुगतान नहीं किया गया हो, का अभिलेख रखने के लिये अब एक ब्यौरेवार शीर्ष, "खरीद" भी परिचालित किया गया है। अतः स्टॉक उप-भाग में रखी गई सामग्रियों का पुस्तक मूल्य (बाजार मूल्यों से पृथक्) और विनिर्माण से सम्बन्धित असमायोजित प्रभार, यदि कोई हो, जो इस उप भाग को प्रभारित किये गये हों, में से अभी भुगतान किये जाने वाले या समायोजित किये जाने वाले सामान का मूल्य घटाकर, रहे शेष दर्शाता है।

अनुदान संख्या 19 - (क्रमशः)

(ii) **विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम** - इस उप भाग में उधार बेची गई सामग्री का मूल्य जमा निर्माण कार्यों पर प्राप्त जमा से अधिक किया गया व्यय, खोई गई नगद राशि, अपलिखित न की गई रोकड़, भण्डार सामग्रियों में हानियां तथा सरकारी कर्मचारियों आदि से वसूली योग्य राशियां लेखा बद्ध की जाती हैं। शेष वसूली योग्य राशि का द्योतक हैं।

(iii) **वर्क शाप उचन्त** - सार्वजनिक निर्माण विभाग के वर्कशापों में निष्पादित कार्यों अथवा अन्य संकायों के प्रभार, उनकी वसूली या समायोजन होने तक, इस उप शीर्ष में पुस्तांकित किये जाते हैं।

1998-99 में इस अनुदान में उचन्त लेनदेनों का विश्लेषण उचन्त के विभिन्न उप-शीर्षों के अधीन प्रारम्भिक तथा अन्त शेष सहित नीचे दिया गया है :-

''उचन्त'' लघु शीर्ष का उप भाग	प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान	वर्ष के दौरान	अन्त शेष
	नामे (+) जमा (-)	नामे	जमा	नामे (+) जमा (-)
	(लाख रूपयों में)			
स्टॉक	(+) 74,82.24	60,05.79	64,42.69	(+) 70,45.34
विविध लोक निर्माण कार्य				
अग्रिम	(-) 21,09.96	46,00.06	45,64.79	(-) 20,74.69
योग	(+) 53,72.28	1,06,05.85	1,10,07.48	(+) 49,70.65

प्रभारित

1. व्यय विनियोजन से 16,064 रुपये अधिक हुआ जिसका नियमन अपेक्षित है। आधिक्य 'शीर्ष 80.001(iii)' में हुआ।

पूँजी

दत्तमत

1. 31,06.63 लाख रुपये की अंतिम बचत में से 78.04 लाख रुपये अनुअभ्यर्पित रहे।

अनुदान संख्या 19 - (क्रमशः)

2. बचत मुख्यतः निम्न में रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
जोड़िये -से स्थानान्तरित प्रतिशत व्यय			
1. स्थापना - लोक निर्माण कार्य			
मू. 4,08.53			
पु. - 1,35.17	2,73.36	2,69.60	- 3.76

80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
जोड़िये -से स्थानान्तरित प्रतिशत व्यय			
2. स्थापना - सड़क तथा सेतु			
मू. 1,53.19			
पु. - 50.68	1,02.51	1,02.52	+ 0.01

उपरोक्त दो शीर्षों में 1,85.85 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत कार्यों के अनुपात में प्रतिशत व्यय के हस्तांतरण को आरोपित की गई।

80. सामान्य

051. निर्माण

(i) सामान्य भवन

II- अन्य प्रशासनिक सेवाएं-

सामान्य प्रशासनिक भवन

1. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक
निर्माण विभाग के माध्यम से

मू. 3,80.82			
पु. - 1,40.92	2,39.90	2,47.58	+ 7.68

अनुदान संख्या 19 - (क्रमशः)

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
80. सामान्य				
051. निर्माण				
(i) सामान्य भवन				
III- न्याय प्रशासन				
मू.	2,34.51			
		1,52.91	1,52.93	+ 0.02
पु.	- 81.60			
80. सामान्य				
051. निर्माण				
(i) सामान्य भवन				
IV- जेलें				
3. महानिरीक्षक के माध्यम से				
मू.	84.07			
		..	..	..
पु.	- 84.07			
80. सामान्य				
051. निर्माण				
(i) सामान्य भवन				
V- पुलिस प्रशासनिक भवन				
1. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से				
मू.	2,65.49			
		1,91.87	1,90.76	- 1.11
पु.	- 73.62			

अनुदान संख्या 19 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	आधिक्य+ बचत -
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(i) सामान्य भवन			
V- पुलिस प्रशासनिक भवन			
3. आधुनिकीकरण/सुदृढीकरण/ सुधार एवं उन्नयन के लिए			
मू.	61.95	..	..
पु.	- 61.95		
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(i) सामान्य भवन			
VII- सहकारिता			
1. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से			
मू.	1,32.75	39.57	39.58
पु.	- 93.18		+ 0.01
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(i) सामान्य भवन			
XIII- स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग			
मू.	88.50	40.08	39.85
पु.	- 48.42		- 0.23

अनुदान संख्या 19 - (क्रमशः)

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	आधिक्य+ बचत -
80. सामान्य				
051. निर्माण				
(i) सामान्य भवन				
XXII-वाणिज्य कर विभाग				
मू.	1,10.62			
		37.84	42.93	+ 5.09
पु.	- 72.78			
80. सामान्य				
051. निर्माण				
(i) सामान्य भवन				
XXVII-विधान सभा भवन का निर्माण				
मू.	22,12.30			
		17,46.12	17,46.12	..
पु.	- 4,66.18			
80. सामान्य				
051. निर्माण				
(i) सामान्य भवन				
XXIX-यातायात भवन का निर्माण				
मू.	4,65.49			
		3,38.50	3,38.50	..
पु.	- 1,26.99			
80. सामान्य				
051. निर्माण				
(ii) दसवें वित्त आयोग की सिफारिश				
में किये गये प्रशासन स्तर सुधार के				
अधीन बनने वाले भवन				
I- भू-राजस्व मण्डल				
मू.	2,09.70			
		1,20.33	1,20.71	+ 0.38
पु.	- 89.37			

उपरोक्त ग्यारह शीर्षों में 13,39.08 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत आयोजना सीमा में कटौती को आरोपित की गई।

अनुदान संख्या 19 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	आधिक्य+ बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवायें			
110. अस्पताल और औषधालय			
(i) आयुर्वेदिक			
I- चिकित्सा सहायता-भवन			
मू. 73.74			
पु. - 40.48	33.26	47.21	+ 13.95
01. शहरी स्वास्थ्य सेवायें			
110. अस्पताल और औषधालय			
(i) आयुर्वेदिक			
II- विभाग के आधुनिकीकरण/सुदृढ़ीकरण/ नवीनीकरण एवं उन्नयन			
मू. 54.20			
पु. - 46.76	7.44	24.22	+ 16.78
01. शहरी स्वास्थ्य सेवायें			
800. अन्य व्यय			
(i) विभाग के आधुनिकीकरण/ सुदृढ़ीकरण/ नवीनीकरण एवं उन्नयन			
मू. 85.00			
पु. - 70.98	14.02	26.01	+ 11.99

अनुदान संख्या 19 - (क्रमशः)

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
02. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें (निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें)				
103. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (i) भवन				
मू.	11,36.72	9,30.00	9,20.42	- 9.58
पु.	- 2,06.72			
02. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें (निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें)				
800. अन्य व्यय (i) विभाग के आधुनिकीकरण/सुदृढीकरण/ नवीनीकरण एवं उन्नयन				
मू.	1,86.00	18.00	36.60	+ 18.60
पु.	- 1,68.00			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान				
105. ऐलोपैथी (i) चिकित्सा शिक्षा भवन				
4. मेडिकल कॉलेज, अजमेर				
मू.	1,65.92	1,22.34	1,22.34	..
पु.	- 43.58			

उपरोक्त छः शीर्षों में 5,76.52 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत आयोजना सीमा में कटौती को आरोपित की गई।

उपरोक्त शीर्षों में अंतिम आधिक्य/बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

अनुदान संख्या 19 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	आधिक्य+ बचत -
4211. परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
800. अन्य व्यय			
(iii) भारतीय जनसंख्या परियोजना- 9			
I- ग्रामीण/ शहरी परिवार कल्याण एवं मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य के लिए भवन निर्माण कार्य			
1. भवन			
मू. 5,83.10			
पु. - 3,21.43	2,61.67	2,83.45	+ 21.78

3,21.43 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा निधियां कम जारी करने और आयोजना सीमा में कटौती को आरोपित की गई।

21.78 लाख रुपये के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

4235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
पर पूंजीगत परिव्यय

02. समाज कल्याण

103. महिला कल्याण

(i) भवन

मू. 54.55

पु. - 53.55

1.00

1.00

..

02. समाज कल्याण

103. महिला कल्याण

(iv) जिला महिला विकास अभिकरणों
का निर्माण

मू. 1,00.00

पु. - 70.00

30.00

30.00

..

उपरोक्त दो शीर्षों में 1,23.55 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत आयोजना सीमा में कटौती को आरोपित की गई।

अनुदान संख्या 19 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
4250. अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
203. रोजगार			
(ii) प्रशिक्षण			
1. भवन			
मू.	2,27.27		
		2,65.71	1,32.71
पु.	38.44		- 1,33.00
31 मार्च 1999 को पुनर्विनियोजन द्वारा 38.44 लाख रुपये की अतिरिक्त निधियां निर्माण कार्यों की प्रगति में वृद्धि के कारण उपलब्ध कराई गई।			
यद्यपि 1,33.00 लाख रुपये की अन्तिम बचत रही, जिसके कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।			
203. रोजगार			
(iii) शिल्प एवं सुशिक्षु प्रशिक्षण			
1. किस्म सुधार कार्यक्रम (विश्व बैंक परियोजना)			
जोड़िये- मुख्य शीर्ष - 2059 लोक निर्माण कार्य से स्थानान्तरित प्रतिशत व्यय			
2. संयंत्र एवं उपकरण			
मू.	4,77.00		
		4,06.57	4,02.90
पु.	- 70.43		- 3.67
70.43 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत निर्माण कार्यों के अनुपात में प्रतिशत व्ययों के हस्तांतरण को आरोपित की गई।			
4401. फसल कृषि कर्म पर पूँजीगत परिव्यय			
800. अन्य व्यय			
(i) मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन) के अभिकरण से			
6. कृषि भवनों का विकास एवं पुर्नसुधार			
मू.	99.62		
		26.92	33.55
पु.	- 72.70		+ 6.63

अनुदान संख्या 19 - (समाप्त)

72.70 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत आयोजना सीमा में कटौती को आरोपित की गई।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	आधिक्य+ बचत -
4853. अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय			
01. खनिज अन्वेषण तथा विकास			
004. अनुसंधान तथा विकास			
(ii) उपागमन सड़क			
मू.	1,79.27		
पु.	- 1,18.24	61.03	63.18 + 2.15

1,18.24 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत कार्यों की धीमी प्रगति को आरोपित की गई।

अनुदान संख्या 20 - आवास

मुख्य शीर्ष : राजस्व-2216. आवास

पूँजी-4216. आवास पर पूंजीगत परिव्यय और
6216. आवास के लिये कर्ज

राजस्व	कुल अनुदान या विनियोग रु.	वास्तविक व्यय रु.	आधिक्य+ बचत - रु.
दत्तमत			
मूल	48,42,09,000		
अनुपूरक	..	48,42,09,000	40,38,74,510 - 8,03,34,490

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित
राशि (मार्च 1999)

6,86,89,000

अनुदान संख्या 20 - (क्रमशः)

		कुल अनुदान या विनियोग रु.	वास्तविक व्यय रु.	आधिक्य+ बचत - रु.
प्रभारित				
मूल	1,000	1,000	..	- 1,000
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1999)				1,000
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	18,36,80,000	24,42,06,000	17,20,20,804	- 7,21,85,196
अनुपूरक	6,05,26,000			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1999)				6,48,63,000
टिप्पणियां तथा टीकाएं :				
राजस्व				
दत्तमत				

1. 8,03.34 लाख रुपये की अन्तिम बचत में से 1,16.45 लाख रुपये अनुअभ्यर्पित रहे।

2. बचत मुख्यतः निम्न में रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
2216. आवास			
02. शहरी आवास			
800. अन्य व्यय			
(i) स्वास्थ्यकी सुधार हेतु सहायतार्थ अनुदान			
1. सहभागी नगर विकास योजना			
मू.	17,00.00	4,25.00	4,05.00 - 20.00
पु.	- 12,75.00		

अनुदान संख्या 20 - (क्रमशः)

12,75.00 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत आयोजना सीमा में कटौती को आरोपित की गई। प्रत्याशित बचत एवं अन्तिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
01. सरकारी रिहायशी भवन			
106. साधारण पूल आवास			
(ii) अनुरक्षण और मरम्मत			
मू.	12,50.00	12,50.00	11,99.45 - 50.55

50.55 लाख रुपये की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत निम्न में हुए आधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित की गई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
2216. आवास			
03. ग्रामीण आवास			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(ii) पंचायत समितियों को आवास			
हेतु सहायतार्थ अनुदान			
मू.	44.00	3,87.20	3,90.23 + 3.03
पु.	3,43.20		

31 मार्च 1999 को पुनर्विनियोजन द्वारा 3,43.20 लाख रुपये की अतिरिक्त निधियां गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को अनुदान स्वीकृत करने हेतु उपलब्ध कराई गई।

अनुदान संख्या 20 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
02. शहरी आवास			
800. अन्य व्यय			
(i) स्वास्थ्यकी सुधार हेतु सहायतार्थ अनुदान			
8. गन्दी बस्ती विकास कार्यक्रम			
मू.	10,48.00		
		13,45.00	13,29.23 - 15.77
पु.	2,97.00		

31 मार्च 1999 को पुनर्विनियोजन द्वारा 2,97.00 लाख रुपये की अतिरिक्त निधियां गन्दी बस्ती विकास कार्यक्रम पर अधिक व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध कराई गई।

15.77 लाख रुपये की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

पूँजी

दत्तमत

1. मार्च 1999 में लिया गया 6,05.26 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट प्रावधान से भी कम था और प्रतीक प्रावधान तक सीमित किया जा सकता था जहां अनुपूरक अनुदान द्वारा नये शीर्ष खोले गये।
2. 7,21.85 लाख रुपये की अन्तिम बचत में से 73.22 लाख रुपये अन्अभ्यर्पित रहे।
3. बचत मुख्यतः निम्न में रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
4216. आवास पर पूँजीगत परिव्यय			
01. सरकारी रिहायशी भवन			
700. अन्य आवास			
(i) सामान्य आवासीय भवन (न्यायिक आवास)			
1. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से			
मू.	5,30.98		
अ.	24.76	1,86.46	1,67.46 - 19.00
पु.	- 3,69.28		

3,88.28 लाख रुपये की कुल बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

अनुदान संख्या 20 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
6216. आवास के लिए कर्जे			
80. सामान्य			
800. अन्य कर्जे			
(ii) अल्प आय वर्ग आवास योजना			
मू. 1,84.80			
पु. - 1,66.17	18.63	18.57	- 0.06

1,66.17 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत ऋणधारकों द्वारा औपचारिकताओं को पूरा नहीं करने को आरोपित की गई।

80. सामान्य
800. अन्य कर्जे
(iii) मध्यम आय वर्ग आवास
योजना

मू. 3,52.00			
अ. 12.00	2,47.77	2,46.95	- 0.82
पु. - 1,16.23			

1,16.23 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा ऋण सीमा नहीं बढ़ाये जाने को आरोपित की गई।

4. निम्न शीर्ष में अन्तिम बचत को देखते हुए, 31 मार्च 1999 को पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान का आवर्द्धन अनावश्यक सिद्ध हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
4216. आवास पर पूंजीगत परिव्यय			
01. सरकारी रिहायशी भवन			
107. पुलिस आवास			
(i) सामान्य आवासीय भवन			
1. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन एवं पथ) के माध्यम से			
मू. 1,76.99			
अ. 75.00	2,89.94	2,47.32	- 42.62
पु. 37.95			

पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध कराई गई अतिरिक्त निधियां (37.95 लाख रुपये) तथा अन्तिम बचत (42.62 लाख रुपये) के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

अनुदान संख्या 21 - सड़कें एवं पुल

मुख्य शीर्ष : राजस्व-3054. सड़क तथा सेतु
पूंजी-5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग रु.	वास्तविक व्यय रु.	आधिक्य+ बचत - रु.
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	1,78,22,79,000	1,78,22,79,000	1,95,12,92,844	+ 16,90,13,844
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
प्रभारित				
मूल	1,000	77,000	..	- 77,000
अनुपूरक	76,000			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	2,49,42,11,000	2,49,42,11,000	2,00,70,64,081	- 48,71,46,919
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1999)				55,34,22,000
टिप्पणियां तथा टीकाएं :				
राजस्व				
दत्तमत				
1. व्यय अनुदान से 16,90,13,844 रुपये अधिक हुआ जिसका नियमन अपेक्षित है।				

अनुदान संख्या 21 - (क्रमशः)

2. बचत मुख्यतः निम्न में रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
3054. सड़क तथा सेतु			
02. महत्वपूर्ण तथा सीमा सड़कें			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(i) सीमावर्ती सड़क विकास मण्डल के माध्यम से			
I- संधारण एवं जीर्णोद्धार			
मू. -	12,59.00	12,59.00	16,47.10 + 3,88.10
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(ii) ग्रामीण सड़कें			
मू.	27,30.00	27,50.52	34,13.29 + 6,62.77
पु.	20.52		

उपरोक्त दो शीर्षों में 10,50.87 लाख रुपये के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(vi) महानगरीय सड़कों का संधारण एवं जीर्णोद्धार			
मू.	11,86.00	13,78.77	14,67.95 + 89.18
पु.	1,92.77		

31 मार्च 1999 को पुनर्विनियोजन द्वारा 1,92.77 लाख रुपये की अतिरिक्त निधियां महानगरीय सड़कों के संधारण एवं जीर्णोद्धार पर अधिक व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध कराई गई।

89.18 लाख रुपये के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

अनुदान संख्या 21 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
जोड़िये- मुख्य शीर्ष 2059-लोक निर्माण के अंतर्गत प्रदर्शित आनुपातिक व्यय			
(i) स्थापना			
मू.	37,13.12		
		39,21.37	40,00.49 + 79.12
पु.	2,08.25		

31 मार्च 1999 को पुनर्विनियोजन द्वारा 2,08.25 लाख रुपये की अतिरिक्त निधियां आनुपातिक व्ययों के समायोजन हेतु उपलब्ध कराई गई।

79.12 लाख रुपये के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

80. सामान्य
797. आरक्षित निधि/जमा लेखा को/
से अन्तरण
(i) केन्द्रीय सड़क विकास निधि से/को
अन्तरण

1,27.46 + 1,27.46

निधियों के प्रावधान के बिना व्यय होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

3. निम्न शीर्ष में अंतिम आधिक्य को देखते हुए, 31 मार्च 1999 को आयोजना सीमा में कमी के कारण राज्य राजमार्ग सड़क निर्माण कार्य के संधारण एवं जीर्णोद्धार पर कम व्यय होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में कटौती अत्यधिक सिद्ध हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
3054. सड़क तथा सेतु			
03. राज्य राजमार्ग			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(i) संधारण एवं जीर्णोद्धार			
मू.	61,35.00		
		57,43.39	60,76.48 + 3,33.09
पु.	- 3,91.61		

अनुदान संख्या 21 - (क्रमशः)

3,33.09 लाख रुपये के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

4. **केन्द्रीय सड़क निधि से सहायता**- मोटर स्प्रिट पर उत्पाद एवं आयात शुल्कों से प्राप्त राजस्व का एक भाग भारत सरकार द्वारा गठित 'केन्द्रीय सड़क निधि' में जमा किया जाता है। उस निधि से राज्यों को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सड़क विकास योजनाओं पर व्यय करने के लिए कुल जमाओं का 80 प्रतिशत अर्थ सहाय्य प्रदान किया जाता है। अर्थ सहाय्य के रूप में प्राप्त राशि केन्द्रीय सरकार से प्राप्त अनुदानों के रूप में लेखों में जमा की जाती है तथा इसलिए इन अनुदानों में किये गये प्रावधान में से लोक लेख के अंतर्गत निक्षेप शीर्ष 'केन्द्रीय सड़क निधि' में अन्तरित कर दी जाती है।

प्रतिवर्ष इस अनुदान के अंतर्गत पुस्तांकित किया गया व्यय, सरकार द्वारा निर्णित सीमा तक, इस अनुदान के अंतर्गत व्यय में से कम करके निक्षेप शीर्ष में से राशि के अंतरण द्वारा पूरित किया जाता है। वर्ष के दौरान 1,27.46 लाख रुपये का अर्थ सहाय्य प्राप्त हुआ। वर्ष के दौरान कोई व्यय नहीं हुआ।

वर्ष 1990-91 से निक्षेप शीर्ष में ऋण शेष था। यद्यपि, प्रत्येक वर्ष इस अनुदान के अंतर्गत दर्ज व्यय का पुनर्भरण राज्य को अर्थ सहाय्य किया जाता है इसके कारण मार्च 1999 के अंत तक निक्षेप शीर्ष में ऋण शेष 12,78.02 लाख रुपये था।

1998-99 के दौरान निक्षेप शीर्ष के लेन-देन का लेखा वित्त लेख 1998-99 के विवरण सं. 16 में दिया गया है।

पूंजी

दत्तमत

1. 48,71.47 लाख रुपये की अंतिम बचत को देखते हुए, 55,34.22 लाख रुपये की राशि का अभ्यर्पण अत्यधिक था।
2. बचत मुख्यतः निम्न में हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	आधिक्य+ बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
03. राज्य राजमार्ग			
337. सड़क निर्माण कार्य (i) निर्माण			
1. सामान्य कार्य			
मू.	11,50.44		
		7,05.20	7,04.53
पु.	- 4,45.24		- 0.67

4,45.24 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत राज्य राजमार्ग के सामान्य निर्माण कार्यों पर कम व्यय होने को आरोपित की गई।

अनुदान संख्या 21 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	आधिक्य+ बचत -
03. राज्य राजमार्ग			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(iii) भूमि अवाप्ति का भुगतान			
मू. 4,46.00	88.42	84.64	- 3.78
पु. - 3,57.58			
3,57.58 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत भू-धारकों को भूमि अवाप्ति के कम भुगतान को आरोपित किया गया।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(i) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम			
I- जिला सड़कें			
मू. 1,28,94.91	1,00,31.94	1,00,27.33	- 4.61
पु. - 28,62.97			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(ii) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम			
I- ग्रामीण सड़कें			
मू. 7,07.96	4,71.00	4,65.07	- 5.93
पु. - 2,36.96			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(vi) शहरी सड़कें			
मू. 5,75.22	4,43.77	4,40.20	- 3.57
पु. - 1,31.45			

अनुदान संख्या 21 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(x) आधारभूत न्यूनतम सेवाएं			
I- ग्रामीण सड़कें			
मू. 31,23.37			
	20,51.85	20,05.65	- 46.20
पु. - 10,71.52			

उपरोक्त चार शीर्षों में 43,02.90 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत जिला तथा अन्य सड़कों पर कम व्यय होने को आरोपित की गई।

‘शीर्ष 04-800 (x) I’ में 46.20 लाख रुपये की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

80. सामान्य				
001. निदेशन तथा प्रशासन				
जोड़िये- मुख्य शीर्ष 2059- लोक निर्माण				
से स्थानान्तरित प्रतिशत व्यय				
1. स्थापना व्यय- लोक निर्माण कार्य				
मू. 15,97.40				
	12,30.90	10,69.89	- 1,61.01	
पु. - 3,66.50				

3,66.50 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत कार्यों के अनुपात में स्थापना व्ययों के समायोजन को आरोपित की गई।

1,61.01 लाख रुपये की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

80. सामान्य				
001. निदेशन तथा प्रशासन				
जोड़िये- मुख्य शीर्ष 2059- लोक निर्माण				
से स्थानान्तरित प्रतिशत व्यय				
2. स्थापना व्यय- सड़क तथा सेतु				
मू. 5,99.01				
	4,61.59	4,04.36	- 57.23	
पु. - 1,37.42				

अनुदान संख्या 21 - (क्रमशः)

1,37.42 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत कार्यों के अनुपात में स्थापना व्ययों के समायोजन को आरोपित की गई।
57.23 लाख रुपये की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	आधिक्य+ बचत -
80. सामान्य			
800. अन्य व्यय			
1. संयंत्र - सामान्य			
मू.	3,99.34		
		3,07.73	2,80.37
पु.	- 91.61		- 27.36

1,18.97 लाख रुपये की कुल बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत मुख्यतः निम्न में हुए आधिक्य द्वारा प्रतिसंतुलित की गई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	आधिक्य+ बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
02. महत्वपूर्ण तथा सीमा सड़कें			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(iii) सीमावर्ती सड़क विकास मंडल के माध्यम से			
मू.	8,33.00	8,33.00	18,01.17
			+ 9,68.17

9,68.17 लाख रुपये के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

वर्ष 1993-94 से अब तक यह पाया गया है कि व्यय में बढ़ोत्तरी की प्रवृत्ति के बावजूद राज्य सरकार द्वारा लगातार 8,33.00 लाख रुपये का प्रावधान किया गया। इसके अतिरिक्त सीमावर्ती विकास मंडल से वास्तविक व्यय की सूचना वित्तीय वर्ष समाप्ति के पश्चात प्राप्त हुई, इससे वर्ष 1993-94 से 1998-99 के दौरान अधिक व्यय रहा।

अनुदान संख्या 21 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	आधिक्य+ बचत -
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(vii) कृषि विस्तार कार्यक्रम			
मू.	4,42.48		
पु.	2,47.79	6,90.27	+ 0.39

31 मार्च 1999 को पुनर्विनियोजन द्वारा 2,47.79 लाख रुपये की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

अनुदान संख्या 22 - क्षेत्र का विकास

मुख्य शीर्ष : राजस्व-2575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम और
2705. कमान क्षेत्र विकास
पूंजी- 4575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय और
4705. कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय

राजस्व	कुल अनुदान या विनियोग रु.	वास्तविक व्यय रु.	आधिक्य+ बचत - रु.
दत्तमत			
मूल	1,04,75,93,000		
अनुपूरक	..	1,04,75,93,000	91,01,09,677 - 13,74,83,323

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित
राशि (मार्च 1999)

12,02,29,000

अनुदान संख्या 22 -(क्रमशः)

		कुल अनुदान या विनियोग रु.	वास्तविक व्यय रु.	आधिक्य + बचत - रु.
प्रभारित				
मूल	9,000	1,65,000	1,83,299	+ 18,299
अनुपूरक	1,56,000			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
पूँजी				
दत्तमत				
मूल	1,59,55,66,000	1,59,55,66,000	1,22,05,15,184	- 37,50,50,816
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1999)				36,55,01,000
प्रभारित				
मूल	4,03,000	4,03,000	2,47,000	- 1,56,000
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1999)				2,79,000
टिप्पणियां तथा टीकाएं :				
राजस्व				
दत्तमत				

1. 13,74.83 लाख रुपये की अन्तिम बचत में से 1,72.54 लाख रुपये अन्अभ्यर्पित रहे।

अनुदान संख्या 22 -(क्रमशः)

2. बचत मुख्यतः निम्न में रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	आधिक्य+ बचत -
2575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम			
02. पिछड़े क्षेत्र			
103. इनोवेटिव स्कीम डिसेन्ट्रलाइज्ड डवलपमेन्ट			
मू.	1,00.00	..	..
पु.	- 1,00.00	..	..

31 मार्च 1999 को 1,00.00 लाख रुपये का सम्पूर्ण प्रावधान विभागीय क्षेत्रीय अधिकारियों से इनोवेटिव स्कीम के अन्तर्गत शामिल करने हेतु नये प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

60. अन्य
277. शिक्षा
- (iii) निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक
शिक्षा के माध्यम से
2. पंचायत समितियों को प्राथमिक
विद्यालयों हेतु सहायतार्थ अनुदान/
अंशदान/सहाय्य

मू.	8,44.62	8,11.73	7,68.67	- 43.06
पु.	- 32.89			

32.89 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत रिक्त रहे पदों को आरोपित की गई।

43.06 लाख रुपये की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

अनुदान संख्या 22 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
2705. कमान क्षेत्र विकास			
101. इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र का विकास			
(i) क्षेत्रीय विकास आयुक्त के अभिकरण से फेज -I			
III- निदेशन और प्रशासन स्टेज II			
मू. 11,45.48	8,59.83	8,53.88	- 5.95
पु. - 2,85.65			

2,85.65 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत रिक्त रहे पदों तथा अन्य प्रभारों पर कम व्यय को आरोपित की गई।

101. इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र का विकास
(i) निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक
शिक्षा के अभिकरण से

IV- स्थानीय निकायों को प्राथमिक शिक्षा
के लिए सहायता

1. पंचायत समितियों को सहायताार्थ
अनुदान/अंशदान/ सहाय्य

मू.	9,34.20
पु.	- 2,13.29

7,20.91

7,20.91

2,13.29 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत पंचायत समितियों को प्राथमिक शिक्षा के लिये कम अनुदान जारी होने को आरोपित की गई।

101. इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र का विकास
(v) निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक
शिक्षा के अभिकरण से

V- बालकों के लिये उच्च प्राथमिक
विद्यालय

मू.	8,93.16
पु.	- 3.51

8,89.65

8,20.85

- 68.80

68.80 लाख रुपये की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये है (सितम्बर 1999)।

अनुदान संख्या 22 -(क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
101. इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र का विकास (viii) निदेशक, आयुर्वेदिक विभाग के अभिकरण से II- जिला परिषदों को अस्पताल/ औषधालयों हेतु सहायतार्थ अनुदान/अंशदान/ सहाय्य			
मू.	1,65.39	..	..
पु.	- 1,65.39		

31 मार्च 1999 को 1,65.39 लाख रुपये का सम्पूर्ण प्रावधान कमान क्षेत्र विकास में संचालित आयुर्वेदिक अस्पतालों/ औषधालयों के नियन्त्रण सरकार से जिला परिषदों को स्थानान्तरण नहीं होने के कारण अन्य शीर्षों को अभ्यर्पित / पुनर्विनियोजन किया गया। जबकि वेतन तथा भत्तों और कार्यालय व्यय इस शीर्ष के स्थान पर 'शीर्ष 101 (viii) I' में हुआ।

102. चम्बल क्षेत्र का विकास (i) क्षेत्रीय विकास आयुक्त के अभिकरण से V- जल प्रबन्धन जन सहभागिता				
मू.	1, 31.81	44.40	44.38	- 0.02
पु.	- 87.41			

106. राजस्थान भूमि विकास निगम
को बैंको का बकाया के पुर्नभुगतान
हेतु अनुदान

(i) राजस्थान भूमि विकास निगम
के माध्यम से दिये गये ऋण

मू.	14, 24.31	9,74.31	9,74.31	..
पु.	- 4,50.00			

उपरोक्त दो शीर्षों में 5,37.41 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

अनुदान संख्या 22 -(क्रमशः)

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत मुख्यतः निम्न हुए आधिक्य द्वारा प्रतिसंतुलित की गई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	आधिक्य+ बचत -
2705. कमान क्षेत्र विकास			
101. इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र का विकास			
(vi) वन विभाग के अभिकरण से			
V- सामुद्रिक आर्थिक सहयोग निधि, जापान			
की सहायता से इन्दिरा गांधी नहर			
परियोजना क्षेत्र में वृक्षारोपण			
मू.	13,38.36	13,49.25	14,69.81 + 1,20.56
पु.	10.89		

1,20.56 लाख रुपये के अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

4. निम्न शीर्ष में अन्तिम बचत को देखते हुए, 31 मार्च 1999 को पुनर्विनियोजन द्वारा 96.01 लाख रुपये की निधि का आवर्द्धन मुख्यतः वेतन स्थिरीकरण के कारण वेतन तथा भत्तों पर अधिक की पूर्ति तथा नये स्कूल खोलने हेतु किया गया जो अनावश्यक सिद्ध हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	आधिक्य+ बचत -
2705. कमान क्षेत्र विकास			
101. इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र का विकास			
(v) निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक			
शिक्षा के अभिकरण से			
VII- लड़कों के लिये माध्यमिक विद्यालय			
मू.	11,19.22	12,15.23	10,88.42 - 1,26.81
पु.	96.01		

1,26.81 लाख रुपये के अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

अनुदान संख्या 22 - (क्रमशः)

प्रभारित

1. व्यय विनियोजन से 18,299 रुपये अधिक हुआ जिसका नियमन अपेक्षित है।

पूंजी

दत्तमत

1. 37,50.51 लाख रुपये की अन्तिम बचत में से 95.50 लाख रुपये अन्वभ्यर्पित रहे।।
2. बचत मुख्यतः निम्न में रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
4575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
01. डांग जिले			
101. डांग क्षेत्र का विकास			
(i) जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को सहायतार्थ अनुदान			
मू. 5,00.00			
पु. - 1,49.99	3,50.01	3,08.26	- 41.75

1,49.99 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से अनुदान की कम प्राप्ति को आरोपित की गई।

41.75 लाख रुपये की अन्तिम बचत जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के पी.डी. खाते में राशि जमा कराने के बावजूद लेखों में व्यय शामिल नहीं कराये जाने के कारण रही।

4705. कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय

101. इंदिरा गाँधी नहर क्षेत्र का विकास

(v) मुख्य अभियंता, सिंचित क्षेत्र विकास,

इंदिरा गांधी नहर परियोजना

के माध्यम से भूमि विकास कार्य

स्टेज II

II- भूमि विकास कार्य

मू. 58,11.51			
पु. - 15,21.54	42,89.97	42,92.37	+ 2.40

अनुदान संख्या 22 - (क्रमशः)

15,21.54 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत रिक्त रहे पदों तथा भारत सरकार से कम निधियां प्राप्त होने के कारण जल धाराओं के कम निर्माण को आरोपित की गई।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	आधिक्य+ बचत -
101. इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र का विकास (viii) क्षेत्रीय विकास आयुक्त के अभिकरण से इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना स्टेज II			
1. सडकें एंव पुल			
मू. 12,67.00	7,88.31	7,88.92	+ 0.61
पु. - 4,78.69			
101. इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र का विकास (viii) क्षेत्रीय विकास आयुक्त के अभिकरण से इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना स्टेज II			
2. डिगियाँ			
मू. 3,32.22	1,08.45	1,10.13	+ 1.68
पु. - 2,23.77			
101. इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र का विकास (viii) क्षेत्रीय विकास आयुक्त के अभिकरण से इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना स्टेज II			
4. ड्रेनेज ट्रायल्स एंड डेमोंस्ट्रेशन			
मू. 5,71.61	4,17.89	4,17.85	- 0.04
पु. - 1,53.72			

अनुदान संख्या 22 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	आधिक्य+ बचत -
101. इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र का विकास (viii) क्षेत्रीय विकास आयुक्त के अभिकरण से इंदिरा गांधी नहर परियोजना स्टेज II			
7. मोनीटरिंग ऑफ वाटर टेबिल			
मू. 2,40.83			
पु. - 63.58	1,77.25	1,64.52	- 12.73

उपरोक्त चार शीर्षों में 9, 19.76 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से कम निधियां प्राप्त होने के कारण कार्यों के कम निष्पादन को आरोपित की गई।

'शीर्ष 101(viii) 7' में 12.73 लाख रुपये की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

101. इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र का विकास
(ix) विश्व खाद्य कार्यक्रम
परियोजना सं. 2600
1. अन्य निर्माण कार्य

मू. 4,50.00			
पु. - 2,16.00	2,34.00	1,08.14	- 1,25.86

2, 16.00 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से कम निधियां प्राप्त होने के कारण कार्यों के कम निष्पादन को आरोपित की गई।

1,25.86 लाख रुपये की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

अनुदान संख्या 22 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
101. इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र का विकास (x) वन विभाग के अभिकरण से I- वन विकास स्टेज I 3. वानिकी निर्माण कार्य			
मू. 2,19.15	1,40.24	1,40.59	+ 0.35
पु. - 78.91			

78.91 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से कम निधियां प्राप्त होने के कारण वानिकी निर्माण कार्यों के कम निष्पादन को आरोपित की गई।

101. इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र का विकास
(x) वन विभाग के अभिकरण से
III- सामुद्रिक आर्थिक सहयोग निधि, जापान
की सहायता से इन्दिरा गांधी नहर
परियोजना, बीकानेर क्षेत्र में
2. वानिकी निर्माण कार्य

मू. 6,35.93	4,69.22	4,69.30	+ 0.08
पु. - 1,66.71			

1,66.71 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत वानिकी निर्माण कार्यों के कम निष्पादन को आरोपित की गई।

102. चम्बल क्षेत्र का विकास
(i) क्षेत्रीय विकास आयुक्त के अभिकरण से
II- राजफेड प्रोजेक्ट
4. भूमिगत नालियाँ

मू. 8,41.20	5,64.00	5,65.71	+ 1.71
पु. - 2,77.20			

2,77.20 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से कम निधियां प्राप्त होने के कारण भूमिगत नालियों के कम निर्माण को आरोपित की गई।

अनुदान संख्या 22 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
103. भाखड़ा और गंग क्षेत्र का विकास (iii) मंडियों का विकास (क्षेत्रीय विकास विकास आयुक्त के अभिकरण से)			
III- सड़क निर्माण			
मू. 2,13.00			
पु. - 1,45.47	67.53	70.86	+ 3.33

1,45.47 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से कम निधियां प्राप्त होने के कारण सड़क निर्माण कार्यों के कम निष्पादन को आरोपित की गई।

104. माही बजाज सागर (iv) मुख्य अभियन्ता, माही बजाज सागर के माध्यम से भूमि विकास कार्य			
मू. 1,86.38			
पु. - 1,06.77	79.61	78.60	- 1.01

1,06.77 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से कम निधियां प्राप्त होने के कारण कार्यों के कम निष्पादन को आरोपित की गई।

3. निम्न शीर्ष में बिना निधियों के प्रावधान के व्यय हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
4705. कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
103. भाखड़ा और गंग क्षेत्र का विकास (i) मंडियों का विकास			
III- सड़क निर्माण			
1. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से			
..	..	54.29	+ 54.29

54.29 लाख रुपये की राशि के बिना प्रावधान के व्यय के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

अनुदान संख्या 22 - (समाप्त)

4. **मण्डी विकास निधि** - चम्बल सिंचाई परियोजना द्वारा सिंचित अथवा इससे लाभान्वित क्षेत्र की मंडियों का तेजी से विकास सुनिश्चित करने के लिए 1965-66 में मण्डी विकास निधि स्थापित की गई थी।

इस निधि में जो कि एक ब्याज रहित रिजर्व है, मण्डियों में भूमि के अनुमानित विक्रय मूल्य के 50 प्रतिशत के बराबर राजस्व से वार्षिक अंशदानों से राशि आती हैं।

1998-99 के दौरान निधि में कोई अंशदान नहीं किया गया। मण्डियों के विकास पर व्यय भी नहीं किया गया। 31 मार्च 1999 को निधि में जमा शेष 3.40 लाख रुपये था। 1991-92 से इस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया।

अनुदान संख्या 23 - श्रम और रोजगार

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2230. श्रम तथा रोजगार और
3475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं

	कुल अनुदान या विनियोग रु.	वास्तविक व्यय रु.	आधिक्य+ बचत - रु.
राजस्व			
दत्तमत			
मूल	73,36,66,000	73,36,75,000	42,88,24,577 - 30,48,50,423
अनुपूरक	9,000		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1999)			30,43,21,000
प्रभारित			
मूल	3,000	3,000	- 3,000
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1999)			3,000

अनुदान संख्या 23 - (क्रमशः)

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

दत्तमत

1. बचत मुख्यतः निम्न में रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
3475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं			
108. शहरी रोजगार योजना			
(i) स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना			
I- शहरी स्वयं रोजगार कार्यक्रम			
मू. 14,20.00	2,43.10	2,43.03	- 0.07
पु. - 11,76.90			
108. शहरी रोजगार योजना			
(i) स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना			
II- शहरी स्वयं रोजगार प्रशिक्षण			
मू. 6,00.00	22.80	22.79	- 0.01
पु. - 5,77.20			
108. शहरी रोजगार योजना			
(i) स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना			
III- शहरी श्रमिक रोजगार कार्यक्रम			
मू. 12,00.00	2,54.68	2,54.53	- 0.15
पु. - 9,45.32			

अनुदान संख्या 23 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
108. शहरी रोजगार योजना (i) स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना IV- प्रशासनिक व्यय			
मू. 1,80.00	94.74	97.28	+ 2.54
पु. - 85.26			
108. शहरी रोजगार योजना (i) स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना V- सामाजिक कार्यकलाप			
मू. 6,00.00	16.34	16.34	..
पु. - 5,83.66			

उपरोक्त पांच शीर्षों में 33,68.34 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत रोजगार योजना के लिए भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने को आरोपित की गई।

2. उपरोक्त टिप्पणी (1) में वर्णित बचत मुख्यतः निम्न में हुए आधिक्य द्वारा प्रति संतुलित की गई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
2230. श्रम तथा रोजगार 01. श्रम 103. सामान्य श्रम कल्याण (iv) बाल श्रमिकों का कल्याण II- बाल श्रमिकों की कल्याण निधि (राज्य हिस्सा)			
मू. 1.00	1,40.15	1,40.15	..
पु. 1,39.15			

31 मार्च 1999 को पुनर्विनियोजन द्वारा 1,39.15 लाख रुपये की अतिरिक्त निधियां बाल श्रमिकों के लिए कल्याण निधि हेतु राज्य हिस्से के भुगतान हेतु उपलब्ध कराई गई।

अनुदान संख्या 23 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
3475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं			
108. शहरी रोजगार कार्यक्रम			
(i) स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना			
VI- शहरी क्षेत्रों में बच्चों और महिलाओं का विकास			
अ.	0.02		
पु.	70.76	70.78	70.76 - 0.02
108. शहरी रोजगार कार्यक्रम			
(ii) बालिका समृद्धि योजना			
अ.	0.01		
पु.	63.30	63.31	63.31 ..

उपरोक्त दो शीर्षों में 31 मार्च 1999 को पुनर्विनियोजन द्वारा 1,34.06 लाख रुपये की अतिरिक्त निधियां नयी योजनाओं को लागू करने पर भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध कराई गई।

अनुदान संख्या 24 - शिक्षा , कला एवं संस्कृति

मुख्य शीर्ष : राजस्व-2070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं,

- 2202. सामान्य शिक्षा,
- 2203. तकनीकी शिक्षा,
- 2204. खेलकूद तथा युवा सेवाएं और
- 2205. कला एवं संस्कृति
- पूँजी-4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय और
- 6202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिए कर्ज

अनुदान संख्या 24 - (क्रमशः)

		कुल अनुदान या विनियोग रु.	वास्तविक व्यय रु.	आधिक्य+ बचत - रु.
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	28,20,38,02,000	28,20,38,11,000	26,29,46,09,234	- 1,90,92,01,766
अनुपूरक	9,000			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1999)				1,12,37,17,000
प्रभारित				
मूल	6,000	2,05,000	1,40,441	- 64,559
अनुपूरक	1,99,000			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1999)				65,000
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	23,38,75,000	23,38,75,000	21,05,36,659	- 2,33,38,341
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1999)				1,000
टिप्पणियां तथा टीकाएं :				
राजस्व				
दत्तमत				

1. 1,90,92.02 लाख रुपये की अंतिम बचत में से 78,54.85 लाख रुपये अन्अभ्यर्पित रहे।

अनुदान संख्या 24 - (क्रमशः)

2. बचत मुख्यतः निम्न में रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(i) सामान्य व्यय			
मू. 22,49.36	17,97.58	18,21.71	+ 24.13
पु. - 4,51.78			

01. प्रारम्भिक शिक्षा			
101. राजकीय प्राथमिक विद्यालय			
(i) बालकों के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालय			
मू. 6,21,59.79	6,11,79.04	6,01,45.12	- 10,33.92
पु. - 9,80.75			

उपरोक्त दो शीर्षों में 14,32.53 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) पदों के रिक्त रहने / पदों की देरी से भर्ती, (ii) खरीद पर रोक तथा (iii) आर्थिक मितव्ययता को आरोपित की गई।

पहले वाले शीर्ष में 24.13 लाख रुपये के अन्तिम आधिक्य तथा बाद वाले शीर्ष में 10,33.92 लाख रुपये की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

01. प्रारम्भिक शिक्षा			
101. राजकीय प्राथमिक विद्यालय			
(ii) बालिकाओं के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालय			
मू. 88,44.73	84,40.67	66,70.38	- 17,70.29
पु. - 4,04.06			

अनुदान संख्या 24 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
101. राजकीय प्राथमिक विद्यालय			
(iii) बालकों के लिए प्राथमिक विद्यालय			
मू. 1,00,97.37			
	93,28.93	90,57.21	- 2,71.72
पु. - 7,68.44			

01. प्रारम्भिक शिक्षा			
101. राजकीय प्राथमिक विद्यालय			
(v) प्राथमिक विद्यालय (निदेशक, संस्कृत शिक्षा के माध्यम से)			
मू. 14,57.92			
अ. 0.01	12,89.37	12,60.37	- 29.00
पु. - 1,68.56			

उपरोक्त तीन शीर्षों में 13,41.06 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत पदों के रिक्त रहने/पदों की देरी से भर्ती को आरोपित की गई।

उपरोक्त तीन शीर्षों में अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

01. प्रारम्भिक शिक्षा			
101. राजकीय प्राथमिक विद्यालय			
(iv) बालिकाओं के लिए प्राथमिक विद्यालय			
मू. 27,90.53			
	27,88.84	18,73.12	- 9,15.72
पु. - 1.69			

अनुदान संख्या 24 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
101. राजकीय प्राथमिक विद्यालय			
(viii) लोक जुम्बिश परियोजना अन्तर्गत संचालित बालक उच्च प्राथमिक विद्यालय			
मू.	5,43.60		
		5,43.56	
पु.	- 0.04	4,43.13	- 1,00.43

उपरोक्त दो शीर्षों में अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

01. प्रारम्भिक शिक्षा	
102. अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता	
(i) बालकों के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालय	
1. सहायतार्थ अनुदान/ अंशदान/सहाय्य	
मू.	6,86.63
पु.	- 1,03.71

5,82.92

5,82.92

01. प्रारम्भिक शिक्षा	
102. अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता	
(ii) बालिकाओं के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालय	
1. सहायतार्थ अनुदान/ अंशदान/सहाय्य	
मू.	7,10.78
पु.	- 1,77.41

5,33.37

5,16.43

- 16.94

अनुदान संख्या 24 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	आधिक्य+ बचत -
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
102. अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता			
(iii) बालकों के लिए प्राथमिक विद्यालय			
1. सहायतार्थ अनुदान/ अंशदान/सहाय्य			
मू. 7,28.09	6,45.43	6,40.59	- 4.84
पु. - 82.66			

01. प्रारम्भिक शिक्षा			
102. अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता			
(iv) बालिकाओं के लिए प्राथमिक विद्यालय			
1. सहायतार्थ अनुदान/ अंशदान/सहाय्य			
मू. 6,12.07	3,99.41	3,99.83	+ 0.42
पु. - 2,12.66			

उपरोक्त चार शीर्षों में 5,76.44 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत राज्य सरकार द्वारा सहायता कम जारी किये जाने को आरोपित की गई।

‘शीर्ष 01-102 (ii) 1.’ में 16.94 लाख रुपये की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

01. प्रारम्भिक शिक्षा			
103. प्राथमिक शिक्षा के लिए स्थानीय निकायों को सहायता			
(i) पंचायत समितियों को प्राथमिक विद्यालयों के लिए सहायता			
1. सहायतार्थ अनुदान/ अंशदान/सहाय्य			
मू. 5,23,84.53	4,69,23.74	4,53,25.06	- 15,98.68
पु. - 54,60.79			

अनुदान संख्या 24 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
103. प्राथमिक शिक्षा के लिए स्थानीय निकायों को सहायता			
(iii) पंचायत समितियों को 6 से 14 की आयु वर्ग के बच्चों के लिए औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम हेतु सहायता			
1. सहायतार्थ अनुदान/ अंशदान/सहाय्य			
मू. 6,14.09	2,19.47	72.51	- 1,46.96
पु. - 3,94.62			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
103. प्राथमिक शिक्षा के लिए स्थानीय निकायों को सहायता			
(v) 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग की बालिकाओं के लिए अनौपचारिक शिक्षा 90 % केन्द्रीय सहायता			
1. पंचायत समितियों को सहायतार्थ अनुदान/ अंशदान/सहाय्य			
मू. 5,29.90	2,33.78	45.39	- 1,88.39
पु. - 2,96.12			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
103. प्राथमिक शिक्षा के लिए स्थानीय निकायों को सहायता			
(vi) सीडा प्रोजेक्ट 90 % केन्द्रीय सहायता की योजना			
1. पंचायत समितियों को सहायतार्थ अनुदान/ अंशदान/सहाय्य			
मू. 30,32.57	21,40.00	15,31.10	- 6,08.90
पु. - 8,92.57			

अनुदान संख्या 24 - (क्रमशः)

उपरोक्त चार शीर्षों में 70,44.10 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत स्थानीय निकायों को प्राथमिक शिक्षा के लिए सहायता कम जारी होने को आरोपित की गई।

उपरोक्त चार शीर्षों में अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	आधिक्य+ बचत -
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
800. अन्य व्यय			
(i) ऑपरेशन ब्लेक बोर्ड योजना			
I- पंचायत समितियों को प्राथमिक विद्यालयों के लिए सहायतार्थ अनुदान			
मू. 43,75.30			
	40,54.67	26,94.30	- 13,60.37
पु. - 3,20.63			
3,20.63 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत राज्य सरकार द्वारा अनुदान कम जारी किये जाने को आरोपित की गई।			
13,60.37 लाख रुपये की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
104. निरीक्षण			
(i) अध्यापक तथा अन्य सेवायें			
मू. 6,19.32			
	4,88.17	4,88.18	+ 0.01
पु. - 1,31.15			
02. माध्यमिक शिक्षा			
109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
(iii) व्यावसायिक शिक्षा (लड़कों के विद्यालय)			
मू. 4,51.04			
	3,34.11	3,34.11	..
पु. - 1,16.93			

उपरोक्त दो शीर्षों में 2,48.08 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत पदों के रिक्त रहने/ पदों की देरी से भर्ती को आरोपित की गई।

अनुदान संख्या 24 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
02. माध्यमिक शिक्षा			
800. अन्य व्यय			
(ii) न्यूनतम आधारभूत सेवायें			
II- राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
मू.	15,84.28	..	..
पु.	- 15,84.28	..	..

15,84.28 लाख रुपये का सम्पूर्ण प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया, जिसके कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
103. राजकीय कॉलेज तथा संस्थान			
(ii) राजकीय महाविद्यालय (पुरुषों के लिए)			
मू.	75,13.48	62,83.71	62,83.34
पु.	- 12,29.77		- 0.37

12,29.77 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत मुख्यतः राजकीय महाविद्यालयों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेतन श्रृंखलाओं की क्रियान्विति न होने तथा पद रिक्त रहने को आरोपित की गई।

04. प्रौढ़ शिक्षा			
200. अन्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम			
निकायों को सहायता			
(i) निदेशक, प्रौढ़ शिक्षा द्वारा			
मू.	4,05.35	1,13.81	1,10.82
पु.	- 2,91.54		- 2.99

2,91.54 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) पदों के रिक्त रहने/ पदों की देरी से भर्ती और (ii) राज्य सरकार द्वारा अनुदान कम जारी किये जाने को आरोपित की गई।

अनुदान संख्या 24 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
05. भाषा विकास			
103. संस्कृत शिक्षा			
(iii) संस्कृत विद्यालय			
मू.	18,22.16		
		16,67.77	16,62.21
पु.	- 1,54.39		- 5.56

1,54.39 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत पदों के रिक्त रहने/ पदों की देरी से भर्ती को आरोपित की गई।

2203. तकनीकी शिक्षा
104. अराजकीय तकनीकी कॉलेजों
तथा संस्थानों को सहायता
- (ii) इंजीनियरिंग कॉलेज सोसाइटी, कोटा

मू.	4,76.00			
		4,14.50	3,66.92	- 47.58
पु.	- 61.50			

61.50 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत राज्य सरकार द्वारा अनुदान कम जारी होने को आरोपित की गई।

47.58 लाख रुपये की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

105. बहुशिल्प विद्यालय
- (i) साधारण व्यय

मू.	16,47.54			
		14,57.37	14,55.37	- 2.00
पु.	- 1,90.17			

1,90.17 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत पदों के रिक्त रहने / पदों में देरी से भर्ती को आरोपित की गई।

अनुदान संख्या 24 - (क्रमशः)

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत मुख्यतः निम्न में हुए आधिक्य द्वारा प्रतिसंतुलित की गई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
800. अन्य व्यय			
(i) औपरेशन ब्लेक बोर्ड योजना			
III- राजकीय बालक उच्च प्राथमिक विद्यालय			
मू.	0.01		
अ.	0.03	4,00.00	4,00.00 ..
पु.	3,99.96		

31 मार्च 1999 को पुनर्विनियोजन द्वारा 3,99.96 लाख रुपये की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से केन्द्रीय हिस्सा प्राप्त होने के कारण उपलब्ध कराई गई।

02. माध्यमिक शिक्षा

101. निरीक्षण

(i) सामान्य व्यय

मू.	11,75.35	12,97.53	12,95.13	- 2.40
पु.	1,22.18			

02. माध्यमिक शिक्षा

109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय

(i) लड़कों के विद्यालय

मू.	6,89,22.82	7,06,37.99	7,11,71.23	+ 5,33.24
पु.	17,15.17			

उपरोक्त दो शीर्षों में 31 मार्च 1999 को पुनर्विनियोजन द्वारा 18,37.35 लाख रुपये की अतिरिक्त निधियां पांचवे वेतन आयोग की सिफारिशों पर वेतन स्थिरीकरण के बकायों के भुगतान हेतु उपलब्ध कराई गई।

'शीर्ष 02-109 (i)' में 5,33.24 लाख रुपये के अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

अनुदान संख्या 24 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 102. विश्वविद्यालयों को सहायता (i) राजस्थान विश्वविद्यालय को अनुदान			
मू. 33,01.50	38,13.29	38,13.29	..
पु. 5,11.79			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 102. विश्वविद्यालयों को सहायता (ii) जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर को अनुदान			
मू. 19,02.43	21,37.30	21,37.30	..
पु. 2,34.87			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 102. विश्वविद्यालयों को सहायता (iii) सुखाड़िया विश्वविद्यालय को अनुदान			
मू. 11,41.24	12,41.99	12,41.99	..
पु. 1,00.75			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 102. विश्वविद्यालयों को सहायता (v) महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय को अनुदान			
मू. 4,23.90	4,83.50	4,83.50	..
पु. 59.60			

अनुदान संख्या 24 - (क्रमशः)

उपरोक्त चार शीर्षों में 31 मार्च 1999 को पुनर्विनियोजन द्वारा 9,07.01 लाख रुपये की अतिरिक्त निधियां पांचवे वेतन आयोग की सिफारिशों पर वेतन स्थिरीकरण के बकायों के भुगतान हेतु उपलब्ध कराई गई।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
104. अराजकीय कॉलेजों तथा संस्थानों को सहायता			
(ii) महाविद्यालय			
मू.	22,00.00		
		24,60.10	24,48.63
पु.	2,60.10		- 11.47

31 मार्च 1999 को पुनर्विनियोजन द्वारा 2,60.10 लाख रुपये की अतिरिक्त निधियां पांचवे वेतन आयोग की सिफारिशों पर वेतन स्थिरीकरण के बकायों के भुगतान हेतु उपलब्ध कराई गई।

11.47 लाख रुपये की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

80. सामान्य
003. प्रशिक्षण
(iii) जिला शिक्षा और प्रशिक्षण
विद्यालय

मू.	12,39.47			
		14,26.82	14,26.22	- 0.60
पु.	1,87.35			

31 मार्च 1999 को पुनर्विनियोजन द्वारा 1,87.35 लाख रुपये की अतिरिक्त निधियां पांचवे वेतन आयोग की सिफारिशों पर वेतन स्थिरीकरण के बकाया के भुगतान हेतु उपलब्ध कराई गई।

अनुदान संख्या 24 - (क्रमशः)

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
2204. खेल कूद तथा युवा सेवायें				
102. विद्यार्थियों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम				
(ii) नेशनल सर्विस कोर स्कीम				
मू.	97.91	1,81.23	1,69.60	- 11.63
पु.	83.32			

31 मार्च 1999 को पुनर्विनियोजन द्वारा 83.32 लाख रुपये की अतिरिक्त निधियां अधिक शिविर आयोजित करने के लिए उपलब्ध कराई गई।

11.63 लाख रुपये की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

4. निम्न शीर्षों में अन्तिम बचत/ आधिक्य को देखते हुए, 31 मार्च 1999 को पुनर्विनियोजन/ अभ्यर्ण द्वारा प्रावधान का आवर्द्धन/ कटौती अत्यधिक सिद्ध हुई :-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
2202. सामान्य शिक्षा				
01. प्रारम्भिक शिक्षा				
104. निरीक्षण				
(i) सामान्य व्यय				
मू.	19,91.07	22,98.29	22,29.54	- 68.75
पु.	3,07.22			

31 मार्च 1999 को पुनर्विनियोजन द्वारा 3,07.22 लाख रुपये की अतिरिक्त निधियां पांचवे वेतन आयोग की सिफारिशों पर वेतन स्थिरीकरण के बकायों के भुगतान हेतु उपलब्ध कराई गई।

68.75 लाख रुपये की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

अनुदान संख्या 24 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
2203. तकनीकी शिक्षा			
104. अराजकीय तकनीकी कॉलेजों तथा संस्थानों को सहायता			
(iv) माणक लाल वर्मा टेक्सटाईल इंस्टीट्यूट, भीलवाड़ा			
मू.	3,58.00		
		1,56.27	2,14.75
पु.	- 2,01.73		+ 58.48

2,01.73 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत राज्य सरकार द्वारा अनुदान कम जारी किये जाने को आरोपित की गई।

58.48 लाख रुपये के अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

पूंजी

दत्तमत

- 2,33.38 लाख रुपये की अन्तिम बचत में से 2,33.37 लाख रुपये अन्वर्धित रहे।
- बचत मुख्यतः निम्न में रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
01. सामान्य शिक्षा			
201. प्रारम्भिक शिक्षा			
(iv) निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के माध्यम से			
1. भवन (प्रतिशत व्यय सहित)			
मू.	1,15.00		
पु.	- 1,15.00		

अनुदान संख्या 24 - (समाप्त)

1,15.00 लाख रुपये का सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से केन्द्रीय हिस्सा प्राप्त नहीं होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
04. कला तथा संस्कृति			
106. संग्रहालय			
(ii) पुरातत्व एवं सर्वेक्षण			
1. संग्रहालयों की विशेष मरम्मत			
मू.	3,22.75	2,49.00	2,51.43 + 2.43
पु.	- 73.75		

73.75 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत राज्य सरकार द्वारा अनुदान कम जारी किये जाने को आरोपित की गई।

3. निम्न शीर्ष में अन्तिम बचत को देखते हुए 31 मार्च 1999 को पुनर्विनियोजन द्वारा 1,52.18 लाख रुपये के प्रावधान का आवर्द्धन राज्य सरकार द्वारा अधिक निधियां जारी किये जाने के कारण किया गया जो अनावश्यक सिद्ध हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
01. सामान्य शिक्षा			
201. प्रारम्भिक शिक्षा			
(iv) निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के माध्यम से			
2. दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत शौचालय एवं पेयजल सुविधा			
मू.	14,84.00	16,36.18	14,03.52 - 2,32.66
पु.	1,52.18		

2,32.66 लाख रुपये की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

अनुदान संख्या 25 - कोषागार व लेखा प्रशासन

मुख्य शीर्ष : राजस्व-2054. खजाना तथा लेखा प्रशासन

पूंजी-4070. अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग रु.	वास्तविक व्यय रु.	आधिक्य+ बचत - रु.
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	36,90,62,000			
अनुपूरक	..	36,90,62,000	35,35,73,388	- 1,54,88,612
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1999)	...			1,88,29,000
प्रभारित				
मूल	3,000			
अनुपूरक	9,000	12,000	9,285	- 2,715
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1999)				2,000
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	1,02,00,000			
अनुपूरक	91,06,000	1,93,06,000	1,78,50,000	- 14,56,000
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1999)				14,56,000
टिप्पणियां तथा टीकाएं :				
राजस्व				
दत्तमत				

- 1,54.89 लाख रुपये की अंतिम बचत को देखते हुए, 1,88.29 लाख रुपये की राशि का अभ्यर्पण अत्यधिक था।

अनुदान संख्या 25 - (समाप्त)

2. बचत (अन्य शीर्षों में हुए आधिक्य द्वारा प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न में रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
2054. खजाना तथा लेखा प्रशासन			
003. प्रशिक्षण			
(i) लेखा प्रशिक्षण स्कूल			
मू. 1,11.24	49.48	49.47	- 0.01
पु. - 61.76			

61.76 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत प्रशिक्षणार्थियों की कम संख्या को आरोपित की गई।

097. खजाना स्थापना

(i) खजाना स्थापना

मू. 21,24.99	19,89.85	20,26.93	+ 37.08
पु. - 1,35.14			

1,35.14 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गई।

37.08 लाख रुपये के अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

अनुदान संख्या 26 - चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई

मुख्य शीर्ष : राजस्व- 2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य,

2211. परिवार कल्याण और

3606. सहायता सामग्री तथा उपस्कर

पूंजी-4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर

पूंजीगत परिव्यय और

4211. परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय

अनुदान संख्या 26 - (क्रमशः)

		कुल अनुदान या विनियोग रु.	वास्तविक व्यय रु.	आधिक्य+ बचत - रु.
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	7,63,63,47,000	8,18,12,67,000	7,92,61,40,571	- 25,51,26,429
अनुपूरक	54,49,20,000			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1999)				23,74,89,000
प्रभारित				
मूल	1,07,000	11,82,000	1,90,926	9,91,074
अनुपूरक	10,75,000			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1999)				8,35,000
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	21,40,09,000	21,40,10,000	5,18,34,867	- 16,21,75,133
अनुपूरक	1,000			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1999)				13,70,40,000
टिप्पणियां तथा टीकाएं :				
राजस्व				
दत्तमत				
1. 25,51.26 लाख रुपये की अन्तिम बचत को देखते हुए, मार्च 1999 में लिया गया 54,49.20 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ तथा 1,76.37 लाख रुपये अन्-अभ्यर्पित रहे।				

अनुदान संख्या 26 - (क्रमशः)

2. बचत मुख्यतः निम्न में रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं- पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(iii) अन्य अस्पताल तथा औषधालय			
III- क्षय क्लिनिक			
मू. 8,34.74	7,87.72	7,61.67	- 26.05
पु. - 47.02			

01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-
पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति
110. अस्पताल तथा औषधालय
(iii) अन्य अस्पताल तथा औषधालय
V- अन्य अस्पताल

मू. 24,14.09	23,95.77	23,38.89	- 56.88
अ. 18.00			
पु. - 36.32			

उपरोक्त दो शीर्षों में 83.34 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।

उपरोक्त दो शीर्षों में 82.93 लाख रुपये की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-
पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति
110. अस्पताल तथा औषधालय
(iii) अन्य अस्पताल तथा औषधालय
VII- आठवें वित्त आयोग की सिफारिशों
के अन्तर्गत प्रशासन स्तर में सुधार

मू. 1,70.00	97.49	87.53	- 9.96
पु. - 72.51			

82.47 लाख रुपये की कुल बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

अनुदान संख्या 26 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	आधिक्य+ बचत -
02. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं- अन्य चिकित्सा पद्धतियां			
101. आयुर्वेद			
(ii) अस्पताल तथा औषधालय			
I- अस्पताल एवं औषधालय (निदेशक, आयुर्वेद विभाग के माध्यम से)			
मू.	14,10.24		
अ.	1,05.95	14,26.42	14,26.48
पु.	- 89.77		+ 0.06

मार्च 1999 में 1,05.95 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान वेतन तथा भत्तों के बकायों के भुगतान हेतु लिया गया। यद्यपि 89.77 लाख रुपये की बचत पदों के रिक्त रहने के कारण प्रत्याशित की गई तथा अभ्यर्पित की गई।

03. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं- पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति			
101. स्वास्थ्य उपकेन्द्र			
(i) स्वास्थ्य उपकेन्द्र			
मू.	25,89.44		
		23,28.90	23,00.90
पु.	- 2,60.54		- 28.00

03. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं- पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति			
103. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र			
(i) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र			
मू.	95,50.10		
अ.	11.28	92,92.90	87,36.60
पु.	- 2,68.48		- 5,56.30

अनुदान संख्या 26 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
03. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं- पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति			
104. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (i) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र			
मू.	54,02.73		
अ.	20.03	53,48.17	50,84.67
पु.	- 74.59		- 2,63.50

उपरोक्त तीन शीर्षों में 6,03.61 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।

उपरोक्त शीर्षों में 8,47.80 लाख रुपये की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान
105. पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति
(i) शिक्षा
VI- चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा

मू.	5,41.70			
अ.	32.40	5,11.68	5,16.73	+ 5.05
पु.	- 62.42			

62.42 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गई।

06. लोक स्वास्थ्य
101. रोगों का निवारण तथा नियंत्रण
(i) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम

मू.	39,39.60			
		35,81.19	35,03.50	- 77.69
पु.	- 3,58.41			

3,58.41 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) पदों के रिक्त रहने, (ii) मजदूरी पर कम व्यय तथा (iii) सामग्री की कम खरीद को आरोपित की गई, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

77.69 लाख रुपये की अन्तिम बचत के कारण भी सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

अनुदान संख्या 26 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	आधिक्य+ बचत -
06. लोक स्वास्थ्य			
101. रोगों का निवारण तथा नियंत्रण			
(iv) राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम			
मू.	4,00.95		
पु.	- 27.77	3,73.18	3,23.22
			- 49.96

27.77 लाख रुपये की प्रत्याशित मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गई।

49.96 लाख रुपये की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

06. लोक स्वास्थ्य
101. रोगों का निवारण तथा नियंत्रण
- (vi) दृष्टि विकार की रोकथाम और अन्धता
- नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम
- XIV- सेण्ट्रल मोबाइल यूनिट के उपकरण
- की मरम्मत करने बाबत

मू.	3,36.60
पु.	- 3,36.60

31 मार्च 1999 को 3,36.60 लाख रुपये का सम्पूर्ण प्रावधान योजना में परिवर्तन के कारण अन्य शीर्षों में पुनर्विनियोजित किया गया।

06. लोक स्वास्थ्य
101. रोगों का निवारण तथा नियंत्रण
- (viii) बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता योजना

मू.	7,18.56			
पु.	- 34.58	6,83.98	6,44.98	- 39.00

34.58 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गई।

39.00 लाख रुपये की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

अनुदान संख्या 26 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
2211. परिवार कल्याण			
103. मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य			
(i) मातृ तथा शिशु कल्याण केन्द्र			
मू. 6,22.22	4,38.62	4,47.35	+ 8.73
पु. - 1,83.60			

1,83.60 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गई ।

200. अन्य सेवाएं तथा पूर्तियां (i) परम्परागत गर्भ निरोधक

मू. 5,00.00	5,11.72	5,11.72	..
अ. 2,00.00			
पु. - 1,88.28			

मार्च 1999 में 2,00.00 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान केन्द्रीय योजना को लागू करने हेतु लिया गया । यद्यपि भारत सरकार द्वारा परम्परागत गर्भ निरोधकों की कम आपूर्ति के कारण 1,88.28 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत रही और 31 मार्च 1999 को अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित की गई ।

800. अन्य व्यय (iii) भारतीय जनसंख्या परियोजना I- सर्विस डिलीवरी

मू. 9,76.66	1,33.00	1,34.58	+ 1.58
पु. - 8,43.66			

8,43.66 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत केन्द्र प्रवर्तित योजना के तहत फर्नीचर, वाहनों, उपकरणों की खरीद न किये जाने तथा पी.एच.सी. मोबिलिटी एवं ए.एन.एम. के लिए मोबिलिटी पर कम व्यय के परिणामस्वरूप आयोजना सीमा में कटौती को आरोपित की गई ।

अनुदान संख्या 26 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	आधिक्य+ बचत -
800. अन्य व्यय			
(iii) भारतीय जनसंख्या परियोजना			
II- प्रशिक्षण			
मू. 3,60.95	1,28.46	1,29.47	+ 1.01
पु. - 2,32.49			

2,32.49 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत योजना में परिवर्तन को आरोपित की गई।

800. अन्य व्यय			
(iii) भारतीय जनसंख्या परियोजना			
III- स्वास्थ्य प्रबन्ध सूचना पद्धति			
मू. 97.01	7.24	8.21	+ 0.97
पु. - 89.77			

89.77 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने को आरोपित की गई।

3. उपरोक्त टिप्पणी(2)में वर्णित बचत मुख्यतः निम्न में हुए आधिक्य द्वारा प्रति संतुलित की गयी : -

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	आधिक्य+ बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(i) अध्यापन अस्पताल			
VIII- सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर			
मू. 19,30.26	20,76.51	20,76.52	+ 0.01
अ. 23.60			
पु. 1,22.65			

अनुदान संख्या 26 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(i) अध्यापन अस्पताल			
IV- पी.बी.एम. मैन्स अस्पताल, बीकानेर			
मू.	7,41.25		
		8,58.44	+ 0.28
पु.	1,17.19		

उपरोक्त दो शीर्षों में 31 मार्च 1999 को पुनर्विनियोजन द्वारा 2,39.84 लाख रुपये की अतिरिक्त निधियां मुख्यतः (i) वेतन स्थिरीकरण के बकाया का भुगतान करने एवं (ii) बिजली तथा पानी की दरों के साथ उपभोग में वृद्धि के कारण उपलब्ध कराई गई ।

05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
105. पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति			
(i) शिक्षा			
II- चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर			
मू.	8,57.77		
		10,08.64	- 0.39
पु.	1,50.87		

31 मार्च 1999 को पुनर्विनियोजन द्वारा 1,50.87 लाख रुपये की अतिरिक्त निधियां मुख्यतः (i) वेतन स्थिरीकरण के बकाया का भुगतान करने एवं (ii) छात्रवृत्ति की दरों में वृद्धि के कारण उपलब्ध कराई गई ।

06. लोक स्वास्थ्य			
101. रोगों का निवारण तथा नियंत्रण			
(iii) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (शहरी)			
मू.	4,37.04		
		5,43.76	- 0.21
पु.	1,06.72		

31 मार्च 1999 को पुनर्विनियोजन द्वारा 1,06.72 लाख रुपये की अतिरिक्त निधियां वेतन स्थिरीकरण के बकाया के भुगतान हेतु उपलब्ध कराई गई ।

अनुदान संख्या 26 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	आधिक्य+ बचत -
2211. परिवार कल्याण			
101. ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं			
(ii) ग्रामीण उपकेन्द्र			
मू.	32,00.70		
अ.	12,60.00	47,07.80	49,27.07
पु.	2,47.10		+ 2,19.27

31 मार्च 1999 को पुनर्विनियोजन द्वारा 2,47.10 लाख रुपये की अतिरिक्त निधियां मुख्यतः वेतन स्थिरीकरण के बकाया के भुगतान तथा यात्रा बिलों की अधिक प्राप्ति के लिए उपलब्ध कराई गई।

2,19.27 लाख रुपये का अन्तिम आधिक्य अधीनस्थ कार्यालयों में कर्मचारियों को वेतन तथा भत्तों के भुगतान से सम्बन्धित सूचना समय पर प्राप्त नहीं होने के कारण रहा जिसके परिणामस्वरूप अधिक व्यय के लिये प्रावधान नहीं कराया जा सका।

102. शहरी परिवार कल्याण सेवाएं (i) राज्य सरकार द्वारा प्रचलित शहरी परिवार कल्याण केन्द्र

मू.	2,13.00			
		2,50.25	4,07.58	+ 1,57.33
पु.	37.25			

31 मार्च 1999 को पुनर्विनियोजन द्वारा 37.25 लाख रुपये की अतिरिक्त निधियां मुख्यतः वेतन स्थिरीकरण के बकाया के भुगतान करने के लिए उपलब्ध कराई गई।

1,57.33 लाख रुपये का अन्तिम आधिक्य अधीनस्थ कार्यालयों में कर्मचारियों को वेतन तथा भत्तों के भुगतान से सम्बन्धित सूचना समय पर प्राप्त नहीं होने के कारण रहा जिसके परिणामस्वरूप अधिक व्यय के लिये प्रावधान नहीं कराया जा सका।

103. मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य (iii) बाह्य सहायता प्राप्त सी.एस.एस.एम. वर्ग प्रोजेक्ट

मू.	8,57.62			
अ.	7,65.00	22,34.62	21,97.83	- 36.79
पु.	6,12.00			

अनुदान संख्या 26 - (क्रमशः)

31 मार्च 1999 को पुनर्विनियोजन द्वारा 6,12.00 लाख रुपये की अतिरिक्त निधियां सामग्री की खरीद तथा इन सामग्रियों की दरों में वृद्धि हेतु अधिक सहायता की प्राप्ति के कारण उपलब्ध कराई गई।

36.79 लाख रुपये की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
103. मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य (v) भारत सरकार की सहायता से प्रजनन व बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम II- जिला स्तर			
मू.	1.00	1,54.28	1,54.28
पु.	1,53.28		..

31 मार्च 1999 को पुनर्विनियोजन द्वारा 1,53.28 लाख रुपये की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से अधिक सहायता प्राप्त होने के कारण उपलब्ध कराई गई (सितम्बर 1999)।

105. क्षतिपूर्ति (i) आई. यू. डी. (वैक्स रोगी) ट्यूबक टोमी				
मू.	2,00.00	3,06.69	3,75.65	+ 68.96
पु.	1,06.69			

31 मार्च 1999 को पुनर्विनियोजन द्वारा 1,06.69 लाख रुपये की अतिरिक्त निधियां नसबन्दी प्रकरणों की दरों में वृद्धि होने तथा परिणामस्वरूप भारत सरकार से अधिक निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध कराई गई।

68.96 लाख रुपये का अन्तिम आधिक्य अधीनस्थ कार्यालयों से वास्तविक प्रकरणों की सूचना के अभाव के परिणामस्वरूप व्यय के लिये प्रावधान नहीं कराया गया।

अनुदान संख्या 26 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	आधिक्य+ बचत -
800. अन्य व्यय			
(ii) यू.एन.एफ.पी.ए. की सहायता से चुने हुए जिलों में परिवार कल्याण एवं मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की सुदृढीकरण की योजना			
मू.	79.30		
अ.	2,64.38	6,55.00	6,74.83 + 19.83
पु.	3,11.32		

31 मार्च 1999 को पुनर्विनियोजन द्वारा 3,11.32 लाख रुपये की अतिरिक्त निधियां राज्य सरकार का यू.एन.एफ.पी.ए. के साथ हुए करार के अनुसार परियोजना कार्य के समय पर निष्पादन के लिए भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा अधिक निधियां जारी किये जाने के कारण उपलब्ध कराई गई।

19.83 लाख रुपये के अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

800. अन्य व्यय
(iii) भारतीय जनसंख्या परियोजना
VI- गैर सरकारी संस्थाओं को
सहायतार्थ अनुदान

मू.	1,37.77			
		1,40.98	2,05.72	+ 64.74
पु.	3.21			

64.74 लाख रुपये का अन्तिम आधिक्य (i) राशि पी.डी. खाते को स्थानान्तरित किये जाने की सूचना देरी से प्राप्त होने तथा (ii) अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा वास्तविक सूचना समय पर प्राप्त नहीं होने के कारण रहा जिसके कारण अधिक व्यय हेतु प्रावधान नहीं कराया जा सका।

अनुदान संख्या 26 - (क्रमशः)

4. निम्न शीर्षों में 1992-93 से प्रतिवर्ष प्रावधान पहले लेखा मद में किया गया तथा पुनर्विनियोजन द्वारा बाद वाले शीर्ष में स्थानान्तरित कर इस कारण को आरोपित किया गया कि आयुर्वेदिक अस्पताल तथा औषधालयों का नियंत्रण सरकार से जिला परिषदों को स्थानान्तरण करने का सरकार द्वारा नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप बाद के शीर्ष द्वारा कर्मचारियों का वेतन तथा भत्तों का भुगतान तथा अन्य कार्यालय व्यय किये गये :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	आधिक्य+ बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
04. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं - अन्य चिकित्सा पद्धतियां			
101. आयुर्वेद			
(ii) जिला परिषदों को अस्पतालों/ औषधालयों हेतु सहायतार्थ अनुदान/अंशदान/सहाय्य			
मू.	60,29.21	..	..
पु.	- 60,29.21		
04. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं - अन्य चिकित्सा पद्धतियां			
101. आयुर्वेद			
(i) अस्पताल एवं औषधालय			
मू.	22,13.08	76,49.87	76,49.10 - 0.77
पु.	54,36.79		

अनुदान संख्या 26 - (क्रमशः)

5. निम्न शीर्षों में अन्तिम बचत / आधिक्य को देखते हुए, 31 मार्च 1999 को पुनर्विनियोजन / अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान की वृद्धि/कमी अनावश्यक/अत्यधिक सिद्ध हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं- पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(iii) अन्य अस्पताल तथा औषधालय			
I- सामान्य अस्पताल			
मू.	55,19.08		
अ.	64.00	56,39.01	55,52.75
पु.	55.93		- 86.26

31 मार्च 1999 को पुनर्विनियोजन द्वारा 55.93 लाख रुपये की अतिरिक्त निधियां वेतन स्थिरीकरण के बकाया के भुगतान हेतु उपलब्ध कराई गई।

यद्यपि, 86.26 लाख रुपये की बचत रही, जिसके कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

06. लोक स्वास्थ्य
101. रोगों का निवारण तथा नियंत्रण
(x) एड्स की रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम

मू.	4,51.75			
		3,30.05	4,30.01	+ 99.96
पु.	- 1,21.70			

1,21.70 लाख रुपये की अन्तिम बचत तथा 99.96 लाख रुपये के अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

अनुदान संख्या 26 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
2211. परिवार कल्याण			
101. ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं			
(i) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर			
ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र			
मू.	10,15.42		
अ.	5,40.00	14,38.64	16,49.45
पु.	- 1,16.78		+ 2,10.81

मार्च 1999 में 5,40.00 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान केन्द्रीय योजना को लागू करने हेतु लिया गया। परन्तु 1,16.78 लाख रुपये की बचत पदों के रिक्त रहने के कारण प्रत्याशित हुई तथा 31 मार्च 1999 को अभ्यर्पित की गई।

2,10.81 लाख रुपये का अन्तिम आधिक्य अधीनस्थ कार्यालयों में कर्मचारियों को वेतन तथा भत्तों के भुगतान से सम्बन्धित सूचना समय पर प्राप्त नहीं होने के कारण रहा जिसके परिणामस्वरूप अधिक व्यय के लिये प्रावधान नहीं कराया जा सका।

200. अन्य सेवाएं तथा पूर्तियां (iii) प्रसवोत्तर केन्द्र

मू.	7,74.38			
अ.	3,83.00	9,28.92	11,80.94	+ 2,52.02
पु.	- 2,28.46			

2,28.46 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गई।

फिर भी 2,52.02 लाख रुपये का अधिक व्यय हुआ, जिसके कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

प्रभारित

- 9.91 लाख रुपये की अन्तिम बचत को देखते हुए, मार्च 1999 में लिया गया 10.75 लाख रुपये का अनुपूरक विनियोजन अनावश्यक सिद्ध हुआ।

पूँजी

दत्तमत

- 16,21.75 लाख रुपये की अंतिम बचत में से 2,51.35 लाख रुपये अनुअभ्यर्पित रहे।

अनुदान संख्या 26 - (क्रमशः)

2. बचत मुख्यतः निम्न में रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	आधिक्य+ बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं			
110. अस्पताल एवं औषधालय			
(ii) ऐलोपेथी (निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें).			
II- मशीनरी और साज सामान/ औजार और संयंत्र			
मू. 2,68.01			
पु. - 1,80.83	87.18	91.71	+ 4.53
02. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं (निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें)			
101. स्वास्थ्य उपकेन्द्र			
(ii) निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से			
मू. 14,84.85			
पु. - 14,84.85	..	..	..

उपरोक्त दो शीर्षों में 16,65.68 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत योजना में परिवर्तन को आरोपित की गई।

अनुदान संख्या 26 - (समाप्त)

3. निम्न शीर्ष में अन्तिम बचत को देखते हुए 31 मार्च 1999 को पुनर्विनियोजन द्वारा 2,20.70 लाख रुपये के प्रावधान का आवर्द्धन भवन कार्य पर अधिक व्यय की पूर्ति हेतु किया गया जो अनावश्यक सिद्ध हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
4211. परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
800. अन्य व्यय			
(iii) भारतीय जनसंख्या परियोजना-9			
II- राजस्थान राज्य पुल एवं निर्माण			
निगम के माध्यम से			
मू.	24.30		
		2,45.00	.. - 2,45.00
पु.	2,20.70		

2,45.00 लाख रुपये के सम्पूर्ण प्रावधान के अनुपयोजित रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

अनुदान संख्या 27 - पेय जल योजना

- मुख्य शीर्ष : राजस्व- 2215. जलपूर्ति तथा सफाई
पूंजी- 4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय और
6215. जलपूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज

	कुल अनुदान या विनियोग रु.	वास्तविक व्यय रु.	आधिक्य+ बचत - रु.
राजस्व			
दत्तमत			
मूल	5,82,22,87,000		
		6,34,21,72,000	6,40,46,26,569 + 6,24,54,569
अनुपूरक	51,98,85,000		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1999)			10,59,000

अनुदान संख्या 27 - (क्रमशः)

		कुल अनुदान या विनियोग रु.	वास्तविक व्यय रु.	आधिक्य+ बचत - रु.
प्रभारित				
मूल	1,000			
अनुपूरक	4,74,000	4,75,000	4,70,742	- 4,258
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	6,18,63,11,000			
अनुपूरक	99,02,91,000	7,17,66,02,000	7,39,65,35,756	+ 21,99,33,756
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1999)				11,38,07,000
टिप्पणियां तथा टीकाएं :				
राजस्व				
दत्तमत				

1. व्यय अनुदान से 6,24,54,569 लाख रुपये अधिक हुआ जिसका नियमन अपेक्षित है।
2. 6,24.55 लाख रुपये के अंतिम आधिक्य को देखते हुए, मार्च 1999 में लिया गया 51,98.85 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ तथा 10.59 लाख रुपये का अभ्यर्पण भी न्यायसंगत नहीं था।

अनुदान संख्या 27 - (क्रमशः)

3. आधिक्य (अन्य शीर्षों में हुई बचत द्वारा प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न में रहा :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
2215. जलपूर्ति तथा सफाई			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम			
(xii) अन्य नगरीय जलपूर्ति योजनाएं			
मू.	1,03,79.39		
अ.	10,99.00	1,17,22.29	1,19,24.46
पु.	2,43.90		+ 2,02.17

31 मार्च 1999 को पुनर्विनियोजन द्वारा 2,43.90 लाख रुपये की अतिरिक्त निधियाँ मुख्यतः (i) वेतन एवं भत्ते, (ii) मजदूरी की दरों में परिवर्तन, (iii) रसायनों की अधिक खपत, (iv) मशीनों की मरम्मत तथा (v) बकाया बिजली बिलों के भुगतान के कारण हुए अधिक व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध कराई गई।

2,02.17 लाख रुपये के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

01. ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम
102. ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम
(i) अन्य ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं

मू.	1,79,21.00			
अ.	12,88.00	1,99,32.00	2,08,56.88	+ 9,24.88
पु.	7,23.00			

31 मार्च 1999 को पुनर्विनियोजन द्वारा 7,23.00 लाख रुपये की अतिरिक्त निधियाँ मुख्यतः (i) वेतन एवं भत्ते, (ii) मजदूरी की दरों में परिवर्तन और (iii) बकाया बिजली बिलों के भुगतान के कारण हुए अधिक व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध कराई गई।

9,24.88 लाख रुपये के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

अनुदान संख्या 27 - (क्रमशः)

2. (क) मूल्य ह्रास आरक्षित निधि - वाटर वर्क्स - निक्षेप लेखों का प्रयोजन संयंत्र और मशीनों के नवीनीकरण और प्रतिस्थापना की लागत को पूरा करने के लिये पर्याप्त आरक्षित निधि की व्यवस्था करना है। इस अनुदान के प्रावधान में से इस निधि को अन्तरण करने के लिये प्रतिवर्ष एक निश्चित राशि पृथक चिन्हित की जाती है। 1998-99 में इस प्रकार 12,43.69 लाख रुपये की राशि अंतरित की गई थी। नवीनीकरण और प्रतिस्थापना पर इस निधि से 1998-99 में कोई व्यय नहीं किया गया। 31 मार्च 1999 को निधि में 1,28,08.33 लाख रुपये का जमा शेष वित्त लेख के विवरण संख्या 19 में शीर्ष "8115" में सम्मिलित है।

(ख) उचन्त लेन-देन - "उचन्त" शीर्ष के अन्तर्गत प्रदर्शित लेन-देनों की प्रवृत्ति का स्पष्टीकरण विनियोग लेख की अनुदान संख्या 19- लोक निर्माण कार्य के नीचे टिप्पणी (3) में दिया गया है।

1998-99 में राजस्व अनुदान में लेखांकित "उचन्त" लेन-देनों का विभिन्न उचन्त उप शीर्षों के अंतर्गत विभाजन आदि शेष और अंत शेष के साथ नीचे दिया गया है :-

लघु शीर्ष "उचन्त" के उपखण्ड	आदि शेष नामें (+) जमा (-)	वर्ष के दौरान नामें	वर्ष के दौरान जमा	निवल नामें/ जमा	अन्त शेष नामें(+) जमा (-)
(लाख रुपयों में)					
2215. जलपूर्ति तथा सफाई					
क्रय	(+) 92.44	..	..	..	(+) 92.44
स्टॉक	(-) 1,34.34	..	..	..	(-) 1,34.34
विविध निर्माण कार्य पेशगियां	(+) 14.85	..	..	..	(+) 14.85
कार्यशाला उचन्त	(-) 59.80	..	..	..	(-) 59.80
योग	(-) 86.85	..	..	..	(-) 86.85

पूँजी

दत्तमत

- व्यय अनुदान से 21,99,33,756 रुपये अधिक हुआ जिसका नियमन अपेक्षित है। वर्ष 1993-94, 1994-95, 1995-96, 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान भी अनुदान के अन्तर्गत क्रमशः 33,29.40 लाख रुपये, 58,28.69 लाख रुपये, 63,64.22 लाख रुपये, 1,91.40 लाख रुपये और 59,06.19 लाख रुपये का आधिक्य था।

अनुदान संख्या 27 - (क्रमशः)

2. 21,99.34 लाख रुपये के अंतिम आधिक्य को देखते हुए, मार्च 1999 में लिया गया 99,02.91 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त था तथा 11,38.07 लाख रुपये का अभ्यर्पण भी न्यायसंगत नहीं था।
3. आधिक्य मुख्यतः निम्न में रहा :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(i) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
XXIII-विशेष केन्द्रीय सहायतान्तर्गत			
शहरी क्षेत्रों में जलपूर्ति संवर्धन			
एवं जल निस्तारण			
मू.	50,43.67	1,04,10.00	1,03,18.83
पु.	53,66.33		- 91.17

31 मार्च 1999 को पुनर्विनियोजन द्वारा 53,66.33 लाख रुपये की अतिरिक्त निधियाँ विशेष केन्द्रीय सहायतान्तर्गत शहरी क्षेत्रों में जलपूर्ति संवर्धन एवं जल निस्तारण पर हुए अधिक व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध कराई गई।

91.17 लाख रुपये की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

01. जलपूर्ति
799. उच्चत
- (i) स्टॉक
1. प्रभार

मू.	70,00.00	70,00.00	1,44,33.89	+ 74,33.89
-----	----------	----------	------------	------------

74,33.89 लाख रुपये के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

अनुदान संख्या 27 - (क्रमशः)

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित आधिक्य को निम्न में हुई बचत द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(i) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
V- जोधपुर जलपूर्ति योजना का पुर्नगठन (लिफ्ट कैनाल)			
1. वृहद् निर्माण कार्य			
मू. 3,60.36			
पु. - 1,57.66	2,02.70	2,09.47	+ 6.77
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(i) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
XIV- दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत विशेष समस्याओं के निवारण हेतु			
मू. 21,00.00			
पु. - 3,00.00	18,00.00	16,82.80	- 1,17.20

उपरोक्त दो शीर्षों में 4,57.66 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत फर्मों द्वारा समय पर कार्य पूरा नहीं किये जाने को आरोपित की गई, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

“शीर्ष 01.101. (i) XIV” के अन्तर्गत 1,17.20 लाख रुपये की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

अनुदान संख्या 27 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	आधिक्य+ बचत -
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(i) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
VII- बीसलपुर बांध से अजमेर, किशनगढ़ और ब्यावर जलपूर्ति योजना का पुर्नगठन			
1. वृहद् निर्माण कार्य			
(ii) मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग के अभिकरण से			
जोड़िये- 4701 से बांध के हिस्से की स्थानांतरित राशि			
मू.	10,20.00	6,00.00	6,00.00
पु.	- 4,20.00		
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(i) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
XVII- पुरानी एवं पर्यावरण को दूषित करने वाली पाईप लाइनों को बदलने और उपभोक्ताओं को स्वच्छ पेयजल सुविधा हेतु			
मू.	2,70.27	1,12.61	1,06.45
पु.	- 1,57.66		- 6.16

अनुदान संख्या 27 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(i) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
XVIII- जलपूर्ति योजनाओं का आधुनिकीकरण, उन्नयन एवं सुदृढीकरण			
मू. 3,15.31	45.05	61.76	+ 16.71
पु. - 2,70.26			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(i) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
XIX- फिल्टर प्लान्ट का पुनर्जीविकरण एवं क्रमोन्नत			
मू. 2,70.27	67.57	55.50	- 12.07
पु. - 2,02.70			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(i) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
जोड़िये- 2215- जलपूर्ति और सफाई से स्थानांतरित प्रतिशतता व्यय			
(i) स्थापना (प्रोरेटा)			
मू. 6,94.20	5,69.69	5,19.20	- 50.49
पु. - 1,24.51			

अनुदान संख्या 27 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	आधिक्य+ बचत -
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(iii) अन्य ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम			
I- अन्य ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
मू. 45,12.30	27,11.49	27,13.91	+ 2.42
पु. - 18,00.81			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(iii) अन्य ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम			
जोड़िये- 2215- जलपूर्ति और सफाई -01.102. से			
स्थानांतरित ग्रामीण योजनाओं के लिये			
संधारण प्रतिशतता व्यय			
(i) स्थापना (ओ. एण्ड एम.)			
मू. 8,74.60	7,37.20	7,16.67	- 20.53
पु. - 1,37.40			
02. मलजल तथा सफाई			
106. मलजल सेवाएं			
(i) सामान्य मलजल सेवाएं			
II- अन्य मल निकासी योजना			
मू. 1,80.18	18.02	19.62	+ 1.60
पु. - 1,62.16			

उपरोक्त आठ शीर्षों में 32,75.50 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत कार्य प्रगति के अनुसार योजना सीमा में कटौती को आरोपित की गई।

विभिन्न शीर्षों में रही अंतिम बचत/आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

अनुदान संख्या 27 - (क्रमशः)

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	आधिक्य+ बचत -
01. जलपूर्ति				
102. ग्रामीण जलपूर्ति				
(i) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना				
I- सामान्य				
मू.	1,08,48.90			
अ.	16,43.87	1,03,61.52	93,21.04	- 10,40.48
पु.	- 21,31.25			

21,31.25 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से निधियाँ देरी से प्राप्त होने के कारण कार्य निष्पादित नहीं होने तथा कार्यों की प्रगति के आधार पर आयोजना सीमा में कटौती को आरोपित की गई।

10,40.48 लाख रुपये की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

01. जलपूर्ति
102. ग्रामीण जलपूर्ति
(i) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना
II- मरुस्थलीय

मू.	28,17.90			
अ.	18,82.30	47,00.20	37,42.44	- 9,57.76

01. जलपूर्ति
102. ग्रामीण जलपूर्ति
(v) के.एफ.डब्ल्यू. जर्मनी की सहायता
से जलपूर्ति योजना
(मुख्य अभियन्ता, परियोजना
प्रबन्धन सैल, चूरु के माध्यम से)

मू.	75,00.00	75,00.00	60,21.45	- 14,78.55
-----	----------	----------	----------	------------

अनुदान संख्या 27 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(xi) चुरु बिसाऊ जलपूर्ति योजना (मुख्य अभियन्ता, परियोजना प्रबन्धन सैल, चुरु के माध्यम से)			
मू.	2,68.70	2,68.70	9.81 - 2,58.89
01. जलपूर्ति			
799. उच्चन्त			
(ii) विविध सार्वजनिक निर्माण कार्य अग्रिम			
1. प्रभार			
मू.	4.50.00	4,50.00	1,49.24 - 3,00.76

उपरोक्त चार शीर्षों में 29,95.96 लाख रुपये की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

5. निम्नलिखित शीर्षों में अंतिम आधिक्य/बचत को देखते हुए, 31 मार्च 1999 को पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी/आवर्द्धन अत्यधिक/अनावश्यक सिद्ध हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(i) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
XII- बीसलपुर परियोजना से जयपुर जलपूर्ति			
1. वृहद् निर्माण कार्य			
मू.	6,75.67		
पु.	- 3,28.82	3,46.85	9,11.70 5,64.85

3,28.82 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत फर्मों द्वारा समय पर कार्य निष्पादित नहीं किये जाने को आरोपित की गई, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

5,64.85 लाख रुपये के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

अनुदान संख्या 27 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	आधिक्य+ बचत -
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(vi) विभाग के आधुनिकीकरण, सूदृढीकरण, नवीनीकरण एवं उन्नयन			
मू.	2,00.00		
		3,54.58	1,68.43
पु.	1,54.58		- 1,86.15

31 मार्च 1999 को पुनर्विनियोजन द्वारा 1,54.58 लाख रुपये की अतिरिक्त निधियाँ आयोजना सीमा में परिवर्तन एवं कार्य की तीव्र वृद्धि के कारण उपलब्ध कराई गई।

1,86.15 लाख रुपये की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

6. **उचन्त लेन-देन :** 1998-99 में पूंजी अनुभाग में लेखांकित "उचन्त" लेन देनों का उचन्त शीर्षों के अन्तर्गत विभाजन आदि शेष और अन्त शेष के साथ नीचे दिया गया है :-

लघु शीर्ष "उचन्त" के उपखण्ड	आदि शेष नामे (+) जमा (-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	अन्त शेष नामे (+) जमा (-)
(लाख रूपयों में)				
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय				
स्टॉक	(+) 10,82.52	1,44,33.89	1,44,64.69	(+) 10,51.72
विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	(+) 9,21.96	1,49.24	1,26.28	(+) 9,44.92
योग	(+) 20,04.48	1,45,83.13	1,45,90.97	(+) 19,96.64

अनुदान संख्या 28 - ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम (समस्त दत्तमत)

मुख्य शीर्ष : राजस्व-2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम और
2810. अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत
पूंजी-4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर
पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान रु.	वास्तविक व्यय रु.	आधिक्य+ बचत - रु.
राजस्व				
मूल	23,78,80,000	23,78,81,000	15,34,70,437	- 8,44,10,563
अनुपूरक	1,000			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1999)				7,68,55,000
पूंजी				
मूल	15,82,10,000	15,82,11,000	5,73,50,000	- 10,08,61,000
अनुपूरक	1,000			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1999)				10,08,61,000
टिप्पणियां तथा टीकाएं :				
राजस्व				

1. 8,44.11 लाख रुपये की अंतिम बचत में से 75.56 लाख रुपये अन्अभ्यर्पित रहे।

अनुदान संख्या 28 - (क्रमशः)

2. बचत मुख्यतः निम्न में रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	आधिक्य+ बचत -
2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
01. समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम			
003. प्रशिक्षण			
(i) ट्राइसम			
1. जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को सहायतार्थ अनुदान			
मू. 3,50.00			
	31.38	31.38	..
पु. - 3,18.62			

3,18.62 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से अनुदान कम प्राप्त होने को आरोपित की गई।

01. समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम			
101. जिला ग्राम विकास एजेंसियों को आर्थिक सहायता			
(i) आर्थिक सहायता			
मू. 17,43.00			
	14,02.60	14,02.60	..
पु. - 3,40.40			

31 मार्च को 3,40.40 लाख रुपये का प्रावधान भारत सरकार से केन्द्रीय हिस्से की कम प्राप्ति के कारण अभ्यर्पित किया गया।

2810. अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत			
01. बायो गैस			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(ii) जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को सहायतार्थ अनुदान			
मू. 87.00			
	31.00	31.00	..
पु. - 56.00			

31 मार्च 1999 को 56.00 लाख रुपये का प्रावधान आयोजना सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 28 - (क्रमशः)

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
01. बायो गैस				
101. राष्ट्रीय बायो गैस विकास कार्यक्रम				
(i) जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को सहायतार्थ अनुदान				
मू.	91.00			
		32.70	32.70	..
पु.	- 58.30			

31 मार्च 1999 को 58.30 लाख रुपये का प्रावधान भारत सरकार से कम अनुदान की प्राप्ति के कारण अभ्यर्पित किया गया।

3. निम्न शीर्ष में सम्पूर्ण प्रावधान के अनुपयोजित रहने को देखते हुए, 31 मार्च 1999 को पुनर्विनियोजन द्वारा 33.00 लाख रुपये के प्रावधान का आवर्द्धन वेतन इत्यादि पर अधिक व्यय की पूर्ति हेतु किया गया जो अनावश्यक सिद्ध हुआ :-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम				
01. समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम				
001. निदेशन तथा प्रशासन				
(i) मुख्यालय कर्मचारी				
मू.	14.00			
		47.00	..	- 47.00
पु.	33.00			

47.00 लाख रुपये की अन्तिम बचत भारत सरकार द्वारा जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को सीधे ही निधियाँ जारी करने के कारण रही।

अनुदान संख्या 28 - (समाप्त)

पूँजी

1. बचत मुख्यतः निम्न में रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	आधिक्य+ बचत -
4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय			
101. ग्रामीण विकास			
(vi) सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम			
I- जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को निर्माण कार्यो हेतु अनुदान			
मू. 6,82.10			
	1,73.50	1,73.50	..
पु. - 5,08.60			
101. ग्रामीण विकास			
(vii) ग्रामीण विकास केन्द्रों हेतु जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को सहायतार्थ अनुदान			
मू. 9,00.00			
	4,00.00	4,00.00	..
पु. - 5,00.00			

उपरोक्त दो शीर्षों में 31 मार्च 1999 को 10,08.60 लाख रुपये का प्रावधान भारत सरकार से अनुदान कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 29 - नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास

मुख्य शीर्ष : राजस्व-2217. शहरी विकास

पूंजी-6217. शहरी विकास के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग रु.	वास्तविक व्यय रु.	आधिक्य+ बचत - रु.
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	73,87,96,000	2,83,90,04,000	2,77,98,18,875	- 5,91,85,125
अनुपूरक	2,10,02,08,000			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1999)				4,46,52,000
प्रभारित				
मूल	1,000	1,000		- 1,000
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1999)				1,000
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	3,25,00,000	3,25,00,000	2,23,49,000	- 1,01,51,000
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1999)				1,01,51,000

अनुदान संख्या 29 -(क्रमशः)

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

दत्तमत

1. 5,91.85 लाख रुपये की अंतिम बचत को देखते हुए, मार्च 1999 में लिया गया 2,10,02.08 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ और 1,45.33 लाख रुपये अन्वर्धित रहे।
2. बचत मुख्यतः निम्न में रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(x) नगर पालिकाओं/ स्थानीय निकायों के लघु एवं मध्यम कस्बे के विकास योजना के तहत अनुदान			
मू. 2,89.00			
पु. - 2,21.50	67.50	67.50	..
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(vi) सस्ते फलश शौचालय कार्यालय हेतु अनुदान			
मू. 3,00.00			
पु. - 1,00.00	2,00.00	1,75.75	- 24.25

उपरोक्त दो शीर्षों में 3,21.50 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत आयोजना सीमा में कटौती को आरोपित की गई।

शीर्ष “ 191.(vi)” में 24.25 लाख रुपये की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

अनुदान संख्या 29 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
80. सामान्य			
800. अन्य व्यय			
(iii) एशियन विकास बैंक के माध्यम से			
छः प्रमुख शहरों का विकास (ई.ए.पी.)			
मू. 1,22.60	27.02	26.97	- 0.05
पु. - 95.58			

95.58 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत आयोजना सीमा में कटौती को आरोपित की गई।

पूंजी

दत्तमत

1. बचत मुख्यतः निम्न में रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
6217. शहरी विकास के लिए कर्ज			
02. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र			
800. अन्य कर्ज			
(i) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के तहत			
अलवर का विकास			
मू. 2,50.00	1,50.00	1,50.00	..
पु. - 1,00.00			

1,00.00 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत आयोजना सीमा में कटौती को आरोपित की गई।

अनुदान संख्या 30 - जनजाति क्षेत्रीय विकास

- मुख्य शीर्ष : राजस्व- 2029. भू-राजस्व,
- 2202. सामान्य शिक्षा,
 - 2204. खेलकूद तथा युवा सेवाएं,
 - 2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य,
 - 2211. परिवार कल्याण,
 - 2216. आवास,
 - 2217. शहरी विकास,
 - 2220. सूचना तथा प्रचार,
 - 2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण,
 - 2230. श्रम तथा रोजगार,
 - 2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण,
 - 2401. फसल कृषि-कर्म,
 - 2403. पशु-पालन,
 - 2404. डेरी विकास,
 - 2405. मछली-पालन,
 - 2406. वानिकी तथा वन्य जीवन,
 - 2408. खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार,
 - 2425. सहकारिता,
 - 2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम,
 - 2505. ग्राम्य रोजगार,
 - 2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम.
 - 2702. लघु सिंचाई ,
 - 2852. उद्योग ,
 - 2853. अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग,
 - 3435. परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण,
 - 3452. पर्यटन और
 - 3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी
- पूंजी-4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय,
- 4211. परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय,
 - 4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय,
 - 4225. अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय,
 - 4250. अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय,
 - 4401. फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय,
 - 4406. वानिकी तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय,

अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

- 4425. सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय,
- 4435. अन्य कृषि कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय,
- 4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय,
- 4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,
- 5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय,
- 5452. पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय,
- 5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय,
- 6216. आवास के लिए कर्ज,
- 6408. खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार के लिए कर्ज,
- 6425. सहकारिता के लिए कर्ज,
- 6885. उद्योगों और खनिजों पर अन्य कर्ज और
- 7610. सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्ज

		कुल अनुदान	वास्तविक	आधिक्य+
		रु.	व्यय रु.	बचत - रु.
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	2,57,38,91,000	2,57,39,01,000	2,28,35,40,489	- 29,03,60,511
अनुपूरक	10,000			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1999)				23,63,79,000
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	84,15,32,000	84,15,33,000	66,45,71,576	- 17,69,61,424
अनुपूरक	1,000			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1999)				16,72,23,000

अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

दत्तमत

1. 29,03.61 लाख रुपये की अंतिम बचत में से 5,39.82 लाख रुपये अन्वभ्यर्पित रहे।

2. बचत मुख्यतः निम्न में रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्राथमिक शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(iv) उच्च प्राथमिक बालक विद्यालय			
मू. 37,60.55			
पु. - 1,34.83	36,25.72	35,96.40	- 29.32
01. प्राथमिक शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(v) उच्च प्राथमिक बालिका विद्यालय			
मू. 4,09.47			
पु. - 22.73	3,86.74	3,21.78	- 64.96

उपरोक्त दो शीर्षों में 1,57.56 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गई।

उपरोक्त दो शीर्षों में 94.28 लाख रुपये की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	आधिक्य+ बचत -
01. प्राथमिक शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(vii) आश्रम विद्यालयों की स्थापना (विशेष केन्द्रीय सहायता)			
मू. 9,32.10	9,15.33	8,27.25	- 88.08
पु. - 16.77			
1,04.85 लाख रुपये की कुल बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।			
01. प्राथमिक शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(x) 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिये अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम			
मू. 1,35.68	73.55	45.61	- 27.94
पु. - 62.13			
01. प्राथमिक शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(xi) 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग की बालिकाओं के लिये अनौपचारिक शिक्षा (90% केन्द्रीय सहायता)			
1. पंचायत समितियों को सहायतार्थ अनुदान/ अंशदान/सहाय्य			
मू. 85.31	33.32	11.12	- 22.20
पु. - 51.99			

उपरोक्त दो शीर्षों में 1, 14.12 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से कम निधियाँ प्राप्त होने को आरोपित की गई।

उपरोक्त दो शीर्षों में 50.14 लाख रुपये की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	आधिक्य+ बचत -
01. प्राथमिक शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(xiv) लोक जुम्बिश परियोजना अन्तर्गत संचालित बालक उच्च प्राथमिक विद्यालय			
मू. 2,18.16	2,07.97	1,63.79	- 44.18
पु. - 10.19			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(i) सरकारी महा विद्यालय (पुरुषों के लिये)			
मू. 5,40.05	4,85.21	4,86.12	+ 0.91
पु. - 54.84			

उपरोक्त दो शीर्षों में 65.03 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गई।

“शीर्ष 01.796.(xiv)” में 44.18 लाख रुपये की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
01. शहरी स्वास्थ्य सेवायें - एलोपैथी
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना
(iv) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

मू. 14,26.07	13,42.18	12,94.39	- 47.79
पु. - 83.89			

83.89 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) पदों के रिक्त रहने तथा (ii) वर्दियों, औषधियों तथा दवाईयों पर कम व्यय होने को आरोपित की गई।

47.79 लाख रुपये की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
06. लोक स्वास्थ्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(iii) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (ग्रामीण)			
मू.	3,90.31		
		3,01.96	3,14.54
पु.	- 88.35		+ 12.58

88.35 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गई।

12.58 लाख रुपये के अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों
तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण

02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण

796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना

आयुक्त, जनजातीय क्षेत्र उपयोजना
के माध्यम द्वारा (विशेष केन्द्रीय सहायता)

(ii) जनजाति उपयोजना क्षेत्र की योजनाओं

हेतु सहायतार्थ अनुदान

XXV- एकीकृत बंजर भूमि विकास परियोजना

हेतु सहायता (सीड)

मू.

7,50.00

78.15

78.15

..

पु.

- 6,71.85

31 मार्च 1999 को 6,71.85 लाख रुपये का प्रावधान आयोजना सीमा में कटौती के कारण अन्य शीर्षों में पुनर्विनियोजित किया गया।

अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	आधिक्य+ बचत -
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
आयुक्त, जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
के माध्यम द्वारा (विशेष केन्द्रीय सहायता)			
(ii) जनजाति उपयोजना क्षेत्र की योजनाओं			
हेतु सहायतार्थ अनुदान			
XXXI-जनस्वास्थ्य हेतु सहायता			
मू.	1,10.00		
पु.	- 1,10.00		

31 मार्च 1999 को 1,10.00 लाख रुपये का सम्पूर्ण प्रावधान योजना स्वीकृत नहीं होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।

2230. श्रम तथा रोजगार				
03. प्रशिक्षण				
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना				
(v) आदिवासी युवकों के लिए पाठ्यक्रम				
(विशेष केन्द्रीय सहायता)				
मू.	1,55.36			
पु.	- 51.36	1,04.00	1,02.89	- 1.11

31 मार्च 1999 को 51.36 लाख रुपये का प्रावधान भारत सरकार से कम निधियाँ प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

2505. ग्राम्य रोजगार				
01. राष्ट्रीय कार्यक्रम				
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना				
(i) जवाहर रोजगार योजना के				
अन्तर्गत जिला ग्रामीण विकास				
अभिकरणों को सहायतार्थ अनुदान				
I- निर्माण कार्य				
1. इन्दिरा आवास योजना				
मू.	9,00.00			
पु.	- 7,31.93	1,68.07	1,68.07	

अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
01. राष्ट्रीय कार्यक्रम			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(i) जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को सहायतार्थ अनुदान			
I- निर्माण कार्य			
2. जीवन धारा			
मू. 3,00.00	18.91	18.91	..
पु. - 2,81.09			

उपरोक्त दो शीर्षों में 10,13.02 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय अंश सीधे ही जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को दिये जाने तथा राज्य सरकार द्वारा आयोजना सीमा में कटौती को आरोपित की गई।

2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना
(ii) परियोजना खंड प्रधान कार्यालय
हेतु पंचायत समितियों को सहायता

मू. 4,07.00	3,71.70	3,49.70	- 22.00
पु. - 35.30			

35.30 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत आयोजना सीमा में कटौती को आरोपित की गई।

22.00 लाख रुपये की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

3. निम्न शीर्षों में 1992-93 से प्रत्येक वर्ष पहले वाले लेखा शीर्ष में प्रावधान लिया जाता है और बाद में इसे बादवाले शीर्ष में पुनर्विनियोजन द्वारा हस्तान्तरित कर कारण आरोपित किया जाता है कि जनजातीय क्षेत्रों में संचालित आयुर्वेदिक अस्पतालों तथा औषधालयों का नियंत्रण राज्य सरकार से जिला परिषदों को हस्तान्तरित नहीं किया गया :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	आधिक्य+ बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
04. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं- अन्य चिकित्सा पद्धतियां			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(i) आयुर्वेद			
1. सहायतार्थ अनुदान/अंशदान/ सहाय्य			
मू. 4,29.58			
पु. - 4,29.58			
02. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं- अन्य चिकित्सा पद्धतियां			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(ii) अस्पताल तथा औषधालय			
मू. 1,37.20			
पु. 3,78.79	5,15.99	5,16.22	+ 0.23

अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

4. निम्न शीर्ष में अन्तिम बचत को देखते हुए, 31 मार्च 1999 को पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान का आवर्धन आयोजना सीमा में वृद्धि के कारण किया गया जो अत्यधिक सिद्ध हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना आयुक्त, जनजातीय क्षेत्र उपयोजना के माध्यम से (विशेष केन्द्रीय सहायता)			
(v) सहरिया विकास			
मू.	62.93		
		1,25.69	60.00
पु.	62.76		- 65.69

65.69 लाख रुपये की अन्तिम बचत परियोजना अधिकारी, सहरिया विकास समिति, शाहाबाद (बारां) के पी.डी. खाते में उक्त राशि हस्तान्तरित न होने के कारण हुई क्योंकि राज्य सरकार से समय पर सम्बन्धित स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई।

पूँजी

- 17,69.61 लाख रुपये की अन्तिम बचत में से 97.38 लाख रुपये अन्वभ्यर्पित रहे।
- बचत मुख्यतः निम्न में रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय			
02. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं (निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (iii) स्वास्थ्य उपकेन्द्र			
1. भवन			
मू.	2,42.83		
पु.	- 2,42.83		

31 मार्च 1999 को 2,42.83 लाख रुपये का सम्पूर्ण प्रावधान आयोजना सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(i) ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
1. वृहद् निर्माण कार्य			
मू. 2,70.00			
	2,25.00	2,24.16	- 0.84
पु. - 45.00			

31 मार्च 1999 को 45.00 लाख रुपये का प्रावधान आयोजना सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।

4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों
तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर
पूंजीगत परिव्यय
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना
- (ix) उपयोजना क्षेत्र में सिंचाई सुविधा
हेतु विभिन्न निर्माण कार्य
(विशेष केन्द्रीय सहायता)

मू. 5,45.78			
	3,54.27	3,54.27	..
पु. - 1,91.51			

31 मार्च 1999 को 1,91.51 लाख रुपये का प्रावधान भारत सरकार से कम सहायता प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	आधिक्य+ बचत -
4425. सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(ii) सहकारी समितियों से हिस्से क्रय करने हेतु विनियोजन			
मू. 60.00	17.34	17.34	..
पु. - 42.66			

31 मार्च 1999 को 42.66 लाख रुपये का प्रावधान भारत सरकार से कम निधियाँ प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(i) जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत			
I- जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को निर्माण कार्यो हेतु			
मू. 13,00.00	6,34.44	6,34.44	..
पु. - 6,65.56			

6,65.56 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत क्रमशः (i) 5,15.38 लाख रुपये की राशि जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को सीधे दिये जाने, (ii) भारत सरकार द्वारा 1,07.24 लाख रुपये कम जारी करने तथा (iii) 42.94 लाख रुपये आयोजना सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किये जाने को आरोपित की गयी।

अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना (ii) सुनिश्चित रोजगार योजना I- जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को निर्माण कार्यो हेतु			
मू. 4,95.00	2,22.50	2,22.50	..
पु. - 2,72.50			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना (iii) अपना गाँव अपना काम योजना I- जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को निर्माण कार्यो हेतु			
मू. 4,25.00	3,01.16	3,01.16	..
पु. - 1,23.84			
उपरोक्त दो शीर्षों में 3,96.34 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।			
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना (i) लघु सिंचाई निर्माण कार्य			
मू. 12,30.00	8,60.00	8,66.81	+ 6.81
पु. - 3,70.00			

31 मार्च 1999 को 3,70.00 लाख रुपये का प्रावधान आयोजना सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
5452. पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(ii) पर्यटन स्थलों का विकास			
मू.	1,50.00		
		65.00	65.00
पु.	- 85.00		..

85.00 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत आयोजना सीमा में कटौती को आरोपित की गई।

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत मुख्यतः निम्न में हुए आधिक्य द्वारा प्रतिसंतुलित की गई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(iii) जनजाति के छात्रों/छात्राओं के छात्रावास भवन निर्माण			
मू.	1,29.90		
		3,29.65	2,99.20
पु.	1,99.75		- 30.45

31 मार्च 1999 को पुनर्विनियोजन द्वारा 1,99.75 लाख रुपये की अतिरिक्त निधि भारत सरकार से अधिक निधियों की प्राप्ति के कारण उपलब्ध कराई गई।

30.45 लाख रुपये की अन्तिम बचत राजस्थान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातीय वित्त एवं विकास सहकारी संघ लिमिटेड, जयपुर से सूचना के अभाव में अभ्यर्पित नहीं करने के कारण रही। वास्तव में भारत सरकार द्वारा आवंटन में कटौती के कारण उक्त राशि को फरवरी 99 में कोषालय में चालान द्वारा जमा करा दिया गया।

अनुदान संख्या 30 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	आधिक्य+ बचत -
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(xi) संविधान अनुच्छेद 275 (i) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं			
मू. 4,01.00			
	6,31.01	6,31.01	..
पु. 2,30.01			

31 मार्च 1999 को पुनर्विनियोजन द्वारा 2,30.01 लाख रुपये की अतिरिक्त निधियाँ भारत सरकार से अधिक निधियाँ प्राप्त होने के कारण उपलब्ध कराई गई।

4. निम्नलिखित शीर्षों में जनजातीय क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत विभिन्न समितियों की अंश पूंजी में विनियोजन के लिये 1,33.19 लाख रुपये की राशि (दोनों शीर्षों में) के सम्पूर्ण प्रावधान को उपयोजित मानते हुए राजस्थान राज्य सहकारिता बैंक लिमिटेड के पी.डी. खाते में स्थानान्तरित किया गया। यद्यपि, उक्त बैंक के पी.डी. खाते में काफी शेष था :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	आधिक्य+ बचत -
4425. सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(i) सहकारी समितियों से हिस्सों का क्रय			
मू. 92.57			
	1,08.19	1,08.19	..
पु. 15.62			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(iv) पुनर्स्थापना योजनान्तर्गत पूंजी विनियोजन			
मू. 25.00	25.00	25.00	..

अनुदान संख्या 31- पुनर्वास एवं सहायता

मुख्य शीर्ष : राजस्व-2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
पूंजी-6235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग रु.	वास्तविक व्यय रु.	आधिक्य+ बचत - रु.
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	15,73,000	16,13,000	15,87,210	- 25,790
अनुपूरक	40,000			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1999)				47,000
प्रभारित				
मूल	1,000	1,000	..	- 1,000
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1999)				1,000
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	2,000	2,000	..	- 2,000
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1999)				2,000

अनुदान संख्या 32 - नागरिक आपूर्ति

मुख्य शीर्ष : राजस्व- 3456. सिविल पूर्ति
पूँजी - 5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर
पूँजीगत परिव्यय

	कुल अनुदान या विनियोग रु.	वास्तविक व्यय रु.	आधिक्य+ बचत - रु.
राजस्व			
दत्तमत			
मूल	17,87,59,000		
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1999)			1,83,92,000
प्रभारित			
मूल	5,000		
अनुपूरक	22,000		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1999)			1,000
पूँजी			
दत्तमत			
मूल	1,20,00,000		
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

अनुदान संख्या 32 - (समाप्त)

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

दत्तमत

1. 1,78.87 लाख रुपये की अन्तिम बचत को देखते हुए, 1,83.92 लाख रुपये की राशि का अभ्यर्पण अत्यधिक था।

2. बचत मुख्यतः निम्न में रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
3456. सिविल पूर्ति			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(i) खाद्य आयुक्त के माध्यम द्वारा			
II- जिला कर्मचारी वर्ग			
मू.	11,91.02		
		10,80.06	10,84.16
			+ 4.10
पु.	- 1,10.96		

1,10.96 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गई।

102. सिविल पूर्ति योजना

(i) खाद्य भण्डारण योजना

II- वितरण

3. अन्तर राशि का भुगतान

मू.	30.00
पु.	- 30.00

30.00 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

पूंजी

दत्तमत

1. 12.70 लाख रुपये की सम्पूर्ण बचत अन्अभ्यर्पित रही।

अनुदान संख्या 33 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

- मुख्य शीर्ष : राजस्व-2202. सामान्य शिक्षा,
 2203. तकनीकी शिक्षा,
 2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य,
 2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों
 तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण,
 2230. श्रम तथा रोजगार,
 2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण,
 2236. पोषण,
 2401. फसल कृषि - कर्म,
 2403. पशु-पालन,
 2405. मछली-पालन,
 2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम,
 2505. ग्राम्य रोजगार और
 2852. उद्योग
 पूंजी-4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय,
 4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा
 अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय,
 4236. पोषण पर पूंजीगत परिव्यय और
 4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय

	कुल अनुदान या विनियोग रु.	वास्तविक व्यय रु.	आधिक्य + बचत - रु.
राजस्व			
दत्तमत			
मूल	2,86,81,00,000		
अनुपूरक	8,000	2,86,81,08,000	2,17,25,04,273 - 69,56,03,727
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1999)			75,25,30,000

अनुदान संख्या 33 - (क्रमशः)

		कुल अनुदान या विनियोग रु.	वास्तविक व्यय रु.	आधिक्य+ बचत - रु.
प्रभारित				
मूल	94,000	6,07,000	5,70,856	- 36,144
अनुपूरक	5,13,000			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1999)				9,000
पूँजी				
दत्तमत				
मूल	41,23,50,000	41,23,52,000	14,44,74,682	- 26,78,77,318
अनुपूरक	2,000			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1999)				27,52,75,000

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

दत्तमत

- 69,56.04 लाख रुपये की अन्तिम बचत को देखते हुए, 75,25.30 लाख रुपये की राशि का अभ्यर्पण अत्यधिक था।

अनुदान संख्या 33 - (क्रमशः)

2. बचत मुख्यतः निम्न में रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण			
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
789. अनुसूचित जाति हेतु विशिष्ट संगठक योजना			
(iv) अस्वच्छ कार्य करने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति			
मू. 1,72.30			
पु. - 84.26	88.04	58.04	- 30.00

31 मार्च 1999 को 84.26 लाख रुपये का प्रावधान केन्द्र सरकार से कम निधियों की प्राप्ति के कारण अभ्यर्पित किया गया।

30.00 लाख रुपये की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

01. अनुसूचित जातियों का कल्याण
793. अनुसूचित जातियों की घटक योजना
के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता
(i) अनुसूचित जाति उपयोजना

मू. 30,00.00			
पु. - 4,19.58	25,80.42	25,80.42	..

अनुदान संख्या 33 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	आधिक्य+ बचत -
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
793. अनुसूचित जातियों की घटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता			
(ii) भंगी कष्टमुक्ति एवं पुनर्वास योजना			
मू.	5,00.00	..	..
पु.	- 5,00.00		

उपरोक्त दो शीर्षों में 9,19.58 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से कम निधियाँ प्राप्त होने को आरोपित की गई।

2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	
02. समाज कल्याण	
101. विकलांग व्यक्तियों का कल्याण	
(v) संयुक्त सहायता के लिये अनुदान	
1. सहायतार्थ अनुदान/अंशदान/सहाय्य	
मू.	3,00.00
पु.	- 1,78.73

1,21.27

1,21.27

..

02. समाज कल्याण	
103. महिला कल्याण	
(v) महिला विकास कार्यक्रम	
I- महिला विकास कार्यक्रम	

मू. 5,41.22

2,08.49

2,08.49

..

पु. - 3,32.73

अनुदान संख्या 33 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
02. समाज कल्याण			
103. महिला कल्याण			
(v) महिला विकास कार्यक्रम			
V- जिला आई.डी.आर.ए.			
मू.	66.96		
पु.	- 66.96	..	..

02. समाज कल्याण	
103. महिला कल्याण	
(vii) ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बच्चों का विकास कार्यक्रम (द्वारा)	
1. सहायतार्थ अनुदान/अंशदान/सहाय्य	
मू.	3,80.00
पु.	- 1,40.00

2,40.00

2,40.00

..

उपरोक्त चार शीर्षों में 7, 18.42 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत आयोजना सीमा में कटौती को आरोपित की गई।

2236. पोषण

02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण

101. विशेष पोषण कार्यक्रम

(i) महिला एवं बाल विकास विभाग

के माध्यम द्वारा

I- पोषाहार क्रेष कार्यक्रम

मू. 16,00.80

12,02.62

12,02.62

..

पु. - 3,98.18

3,98.18 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत आयोजना सीमा में कटौती को आरोपित की गई।

अनुदान संख्या 33 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
101. विशेष पोषण कार्यक्रम			
(i) महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम द्वारा			
II- एकीकृत बाल विकास योजना			
मू. 52,96.86	45,08.54	45,14.31	+ 5.77
पु. - 7,88.32			

7,88.32 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत रिक्त रहे पदों को आरोपित की गई।

02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण
101. विशेष पोषण कार्यक्रम
(i) महिला एवं बाल विकास विभाग के
माध्यम द्वारा
III- आई.सी.डी.एफ. (वर्ल्ड बैंक)

मू.	4,86.39	..	..	..
पु.	- 4,86.39			

31 मार्च 1999 को 4,86.39 लाख रुपये का सम्पूर्ण प्रावधान नयी योजनाओं के चालू न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

2401. फसल कृषि-कर्म
789. अनुसूचित जाति हेतु विशिष्ट
संगठक योजना
(i) कृषि विभाग के द्वारा
VI- जल आयोजना हेतु सहायतार्थ
अनुदान

मू.	80.00	37.85	37.85	..
पु.	- 42.15			

42.15 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत आयोजना सीमा में कटौती को आरोपित की गई।

अनुदान संख्या 33 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	आधिक्य+ बचत -
2501. ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम			
01. समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम			
789. अनुसूचित जाति हेतु विशिष्ट संगठक योजना			
(i) समेकित ग्रामीण कार्यक्रम			
मू. 4,12.00			
पु. - 52.41	3,59.59	3,59.59	..
01. समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम			
789. अनुसूचित जाति हेतु विशिष्ट संगठक योजना			
(ii) ट्राईसम			
मू. 69.00			
पु. - 61.28	7.72	7.71	- 0.01
उपरोक्त दो शीर्षों में 1,13.69 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से कम केन्द्रीय हिस्सा प्राप्त होने को आरोपित की गई।			
2505. ग्राम्य रोजगार			
01. राष्ट्रीय कार्यक्रम			
789. अनुसूचित जाति हेतु विशिष्ट संगठक योजना			
(i) इन्दिरा आवास योजना			
I- जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को सहायतार्थ अनुदान			
मू. 43,20.00			
पु. - 35,40.21	7,79.79	7,73.19	- 6.60

31 मार्च 1999 को 35,40.21 लाख रुपये का प्रावधान भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय हिस्सा (34,56.00 लाख रुपये) जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को सीधा दिये जाने तथा आयोजना सीमा में कटौती (84.21 लाख रुपये) के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 33 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
01. राष्ट्रीय कार्यक्रम			
789. अनुसूचित जाति हेतु विशिष्ट संगठक योजना			
(ii) जीवन धारा			
I- जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को सहायतार्थ अनुदान			
मू.	5,40.00	..	..
पु.	- 5,40.00		

31 मार्च 1999 को 5,40.00 लाख रुपये का प्रावधान भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय हिस्सा (4,32.00 लाख रुपये) जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को सीधा दिये जाने तथा आयोजना सीमा में कटौती (1,08.00 लाख रुपये) के कारण अभ्यर्पित किया गया।

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत मुख्यतः निम्न में हुए आधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित की गई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम			
102. सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत पेंशन			
(i) समाज कल्याण विभाग के माध्यम द्वारा			
I- वृद्धावस्था वाले व्यक्तियों को पेंशन			
मू.	20,00.00	22,00.00	28,74.35
पु.	2,00.00		+ 6,74.35

31 मार्च 1999 को पुनर्विनियोजन द्वारा 2,00.00 लाख रुपये की अतिरिक्त निधि वृद्धावस्था पेंशन की दरों में वृद्धि के कारण उपलब्ध कराई गई।

6,74.35 लाख रुपये के अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

अनुदान संख्या 33 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	आधिक्य+ बचत -
2236. पोषण			
80. सामान्य			
800. अन्य व्यय			
	..	1,13.64	+ 1,13.64

बिना निधियों के प्रावधान के हुए व्यय के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

4. निम्न शीर्षों में अंतिम बचत को देखते हुए, 31 मार्च 1999 को पुनर्विनियोजन द्वारा 1,32.61 लाख रुपये के प्रावधान का आवर्धन भारत सरकार से अधिक निधियाँ प्राप्त होने के कारण किया गया जो अनावश्यक सिद्ध हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	आधिक्य+ बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण			
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
789. अनुसूचित जाति हेतु विशिष्ट संगठक योजना			
(i) छात्रवृत्ति एवं वजीफा			
मू.	5,67.76	7,00.37	5,65.85
पु.	1,32.61		- 1,34.52

1,34.52 लाख रुपये की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

पूँजी

दत्तमत

1. 26,78.77 लाख रुपये की अन्तिम बचत को देखते हुए, 27,52.75 लाख रुपये की राशि का अभ्यर्पण अत्यधिक था।

अनुदान संख्या 33 - (क्रमशः)

2. बचत मुख्यतः निम्न में रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	आधिक्य+ बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जाति हेतु विशिष्ट संगठक योजना			
(i) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
मू. 4,00.00	2,50.00	2,48.92	- 1.08
पु. - 1,50.00			

1,50.00 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत आयोजना सीमा में कटौती को आरोपित की गई।

4236. पोषाहार पर पूंजीगत परिव्यय
02. पौष्टिक खाद्य पदार्थों और पेयों का वितरण
800. अन्य व्यय
- (i) बाल विकास (आंगनबाड़ी) केन्द्रों के
भवनों का निर्माण

मू. 1,10.00	..	..	..
पु. - 1,10.00			

31 मार्च 1999 को 1,10.00 लाख रुपये का समस्त प्रावधान आयोजना सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 33 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	आधिक्य + बचत -
4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जाति हेतु विशिष्ट संगठक योजना			
(i) सुनिश्चित रोजगार योजना			
I- जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को सहायतार्थ अनुदान			
मू.	8,91.00		
पु.	- 8,91.00		

31 मार्च 1999 को 8,91.00 लाख रुपये का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया क्योंकि सुनिश्चित रोजगार योजना पंजीकृत लाभार्थियों के लिये थी न कि जाति आधार पर।

789. अनुसूचित जाति हेतु विशिष्ट संगठक योजना			
(ii) जवाहर रोजगार योजना			
I- जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को सहायतार्थ अनुदान			
मू.	23,40.00	7,98.58	7,98.58
पु.	- 15,41.42		

31 मार्च 1999 को 15,41.42 लाख रुपये का प्रावधान अभ्यर्पित किया गया क्योंकि भारत सरकार द्वारा 6,36.64 लाख रुपये सीधे जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को दिये गये तथा 7,19.45 लाख रुपये कम जारी किये गये। आयोजना के अन्तर्गत 1,85.33 लाख रुपये आयोजना सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किये गये।

अनुदान संख्या 33 - (समाप्त)

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत मुख्यतः निम्न में हुए आधिक्य द्वारा प्रतिसंतुलित की गई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
789. अनुसूचित जाति हेतु विशिष्ट संगठक योजना			
(v) छात्रों हेतु छात्रावास भवन निर्माण			
मू.	1,30.00		
अ.	0.01	1,32.64	2,06.30
पु.	2.63		+ 73.66

73.66 लाख रुपये के अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

अनुदान संख्या 34 - प्राकृतिक आपदाओं से राहत

मुख्य शीर्ष : राजस्व-2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत

पूंजी-6245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत के लिए कर्ज

राजस्व	कुल अनुदान या विनियोग रु.	वास्तविक व्यय रु.	आधिक्य+ बचत - रु.
दत्तमत			
मूल	2,70,27,14,000		
अनुपूरक	2,05,30,18,000	4,75,57,32,000	4,45,06,27,865 - 30,51,04,135
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1999)			21,99,93,000

अनुदान संख्या 34 - (क्रमशः)

		कुल अनुदान या विनियोग रु.	वास्तविक व्यय रु.	आधिक्य+ बचत - रु.
प्रभारित				
मूल	78,000	78,000	77,058	- 942
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	3,000	3,000	..	- 3,000
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि(मार्च 1999)				3,000

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

दत्तमत

1. 30,51.04 लाख रुपये की अन्तिम बचत को देखते हुए, मार्च 1999 में 2,05,30.18 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान विभिन्न सूखा तथा बाढ़ कार्यक्रमों पर बढ़े हुए व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया जो अत्यधिक सिद्ध हुआ और 8,51.11 लाख रुपये अन्अभ्यर्पित रहे।

अनुदान संख्या 34 - (क्रमशः)

2. बचत मुख्यतः निम्न में रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	आधिक्य + बचत -
-------	------------	-----------------------------------	-------------------

2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत

01. सूखा

800. अन्य व्यय

(i) राहत कार्यों पर व्यय

VIII- अन्य विशेष राहत कार्य

मू.	50,00.00			
अ.	1,50,00.00	1,88,36.00	1,81,39.57	- 6,96.43
पु.	- 11,64.00			

11,64.00 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत सूखा अन्तर्गत राहत कार्यों पर कम व्यय को आरोपित की गई।

6,96.43 लाख रुपये की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

02. बाढ़, चक्रवात आदि

106. खराब सड़कों तथा पुलों की मरम्मत

तथा पुनःस्थापना

मू.	25.00			
अ.	20,05.00	19,25.59	19,26.78	+ 1.19
पु.	- 1,04.41			

02. बाढ़, चक्रवात आदि

193. स्थानीय निकायों तथा अन्य गैर सरकारी

निकायों/संस्थाओं को सहायता

मू.	0.01			
अ.	21,24.99	15,05.99	14,71.62	- 34.37
पु.	- 6,19.01			

उपरोक्त दो शीर्षों में 7,23.42 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत बाढ़ अन्तर्गत राहत कार्यों पर कम व्यय को आरोपित की गई।

'शीर्ष 02.193' में 34.37 लाख रुपये की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

अनुदान संख्या 34 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	आधिक्य+ बचत -
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
113. घर की मरम्मत, पुनर्निर्माण के लिये सहायता			
मू.	75.00		
		5,50.00	4,86.00
अ.	4,75.00		- 64.00

64.00 लाख रुपये की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

3. **अकाल सहायता निधि :-** कुछ प्रसंविदान्तर्गत रियासतों में अकाल राहत कार्यों के लिए पृथक से रखी गई निधियों में रही शेष राशि, इस निधि की 1 अप्रैल 1950 को आदि शेष राशि बनी जिसमें बाद के वर्षों में राज्य के राजस्व में से किये गये अंशदानों को तथा निधि के शेषों में से किये गये निवेशों पर प्राप्त हुए ब्याज को भी मिला लिया गया है।

राहत कार्यों पर किया गया व्यय प्रारम्भ में इस अनुदान के अंतर्गत प्रावधानों से ही किया जाता है और वार्षिक लेखों को बन्द करने से पूर्व ऐसी राशियां जो कि सरकार द्वारा अनुमोदित हों इस निधि में से लेकर इस अनुदान के प्रावधानों में से किये गये व्यय में से घटा दी जाती है। 1963-64 तक अकाल सहायता व्यय पूर्णतया इस निधि के शीर्षों में से किया जाता था लेकिन 1964-65 से 1973-74 के दौरान इस निधि में जमा शेष अपर्याप्त होने के कारण इस निधि में से केवल एक आंशिक व्यय ही किया जा सका। वर्ष के दौरान समेकित निधि से इस निधि को कोई भी राशि हस्तान्तरित नहीं की गई। 31 मार्च 1995 को 14.34 करोड़ रुपये का शेष निधि में था।

4. **आपदा राहत निधि :-** वित्तीय वर्ष 1995-96 से प्रभावित "आपदा राहत निधि योजना" की नई योजना के प्रस्तुतीकरण के साथ राज्य सरकार द्वारा प्राकृतिक आपदा राहत निधि में वित्तीय सहायता के उद्देश्य से "आपदा राहत निधि" का गठन किया गया (जो वित्तीय वर्ष 1999-2000 के अन्त तक लागू रहेगी)। आयोजना भिन्न अनुदान के रूप में सम्पूर्ण वर्ष के प्रावधान का 75 प्रतिशत अंशदान भारत सरकार करेगी और शेष राशि का अंशदान राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। अर्जित आय के साथ निधि में वृद्धि निवेश के स्वीकृत मापदण्डों के अनुसार निवेशित की जायेगी जो समय-समय पर भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की जायेगी।

1,98.56 करोड़ रुपये निधि को जमा करते हुए '2245.05.101- आरक्षित निधियों तथा जमा लेखों में अन्तरण-आपदा निधि' को नामे की गई और प्राकृतिक आपदाओं पर हुए 2,43.75 करोड़ रुपये का वास्तविक व्यय निधि में से पूरा किया गया। अनुमोदित मापदण्डों के अनुसार वर्ष 1998-99 तक 1,26.27 करोड़ रुपये के विनियोजन के पश्चात् 31 मार्च 1999 को 1,49.42 करोड़ रुपये का शेष निधि में जमा था।

उपरोक्त निधि के लेन-देनों का लेखा वित्त लेखे 1998-99 के विवरण संख्या 16 में दिया गया है।

अनुदान संख्या 35 - विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवायें

मुख्य शीर्ष : राजस्व-2047. अन्य राजकोषीय सेवाएं,

2048. ऋण में कमी अथवा उससे बचाव के लिये विनियोग,

2070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं,

2075. विविध सामान्य सेवाएं,

3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी और

3475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं

पूंजी-4047. अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय,

5465. सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश और

5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग रु.	वास्तविक व्यय रु.	आधिक्य+ बचत - रु.
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	69,34,95,000	77,15,15,000	78,34,71,316	+ 1,19,56,316
अनुपूरक	7,80,20,000			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
प्रभारित				
मूल	2,000	2,000	..	- 2,000
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

अनुदान संख्या 35- (क्रमशः)

पूंजी	कुल अनुदान या विनियोग रु.	वास्तविक व्यय रु.	आधिक्य+ बचत - रु.
दत्तमत			
मूल	5,46,17,000		
अनुपूरक	..	5,46,17,000	53,94,331 - 4,92,22,669
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1999)			4,83,47,000
टिप्पणियां तथा टीकाएं :			
राजस्व			
दत्तमत			

1. व्यय अनुदान से 1,19,56,316 रुपये अधिक हुआ जिसका नियमन अपेक्षित है।
2. 1,19.56 लाख रुपये के अन्तिम आधिक्य को देखते हुए, मार्च 1999 में लिया गया 7,80.20 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
3. आधिक्य मुख्यतः निम्न में रहा :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
2047. अन्य राजकोषीय सेवाएं			
103. अल्प बचतों की अभिवृद्धि			
(i) अल्प बचत संगठन			
मू.	34,50.15		
अ.	7,80.20	57,73.47	57,87.49 + 14.02
पु.	15,43.12		

31 मार्च 1999 को पुनर्विनियोजन द्वारा 15,43.12 लाख रुपये की अतिरिक्त निधियाँ (i) व्यावसायिक तथा विशेष सेवाएं, (ii) विज्ञापन और (iii) प्रचार खर्च पर बढ़े हुए व्यय को पूरा करने हेतु उपलब्ध कराई गई। 14.02 लाख रुपये के अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

अनुदान संख्या 35- (क्रमशः)

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी				
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी				
201. राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन				
मू.	69.94	1,84.41	2,70.25	+ 85.84
पु.	1,14.47			

2,00.31 लाख रुपये के कुल आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित आधिक्य को मुख्यतः निम्न में हुई बचत द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित किया गया :-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
2075. विविध सामान्य सेवाएं				
103. राज्य लाटरियां				
(i) विज्ञापन, विक्रय और प्रचार व्यय				
मू.	3,50.00	1,90.00	1,87.43	- 2.57
पु.	- 1,60.00			
103. राज्य लाटरियां				
(ii) टिकटों की छपाई				
मू.	1,50.00	38.00	36.07	- 1.93
पु.	- 1,12.00			

अनुदान संख्या 35- (क्रमशः)

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	आधिक्य+ बचत -
103. राज्य लाटरियां (iii) जीतने वालों को इनाम				
मू.	6,50.00	30.00	28.26	- 1.74
पु.	- 6,20.00			
103. राज्य लाटरियां (v) अन्य प्रभार 3. कम्पाउन्ड फीस				
मू.	10,00.00	4,07.40	4,07.40	..
पु.	- 5,92.60			

उपरोक्त चार शीर्षों में 14,84.60 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

3475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं
106. भार और माप का विनियमन

मू.	1,75.05	1,11.39	1,11.20	- 0.19
पु.	- 63.66			

63.66 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

अनुदान संख्या 35 - (समाप्त)

पूँजी

दत्तमत

1. बचत मुख्यतः निम्न में रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	आधिक्य+ बचत -
5465. सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश			
01. सामान्य वित्तीय संस्थाओं में निवेश			
190. सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों, बैंकों आदि में निवेश			
मू.	4,32.00	..	..
पु.	- 4,32.00	..	..

31 मार्च 1999 को 4,32.00 लाख रुपये का सम्पूर्ण प्रावधान राज्य सरकार द्वारा बैंकों में विनियोजित नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर
पूँजीगत परिव्यय
800. अन्य व्यय
- (iii) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा कम्प्यूटर
एवं तत्सम्बंधी उपकरणों का क्रय

मू.	78.30	36.13	36.13	..
पु.	- 42.17			

31 मार्च 1999 को 42.17 लाख रुपये का प्रावधान आयोजना सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 36 - सहकारिता

मुख्य शीर्ष : राजस्व-2408. खाद्य भंडारण तथा भांडागार और

2425. सहकारिता

पूंजी-4425. सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय ,

4435. अन्य कृषि कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय,

5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय,

6408. खाद्य भंडारण तथा भांडागार के लिए कर्ज और

6425. सहकारिता के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग रु.	वास्तविक व्यय रु.	आधिक्य+ बचत - रु.
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	33,52,88,000	33,52,89,000	27,25,35,783	- 6,27,53,217
अनुपूरक	1,000			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1999)				6,23,56,000
प्रभारित				
मूल	1,000	1,000	..	- 1,000
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1999)				1,000
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	55,65,03,000	97,68,46,000	66,10,49,000	- 31,57,97,000
अनुपूरक	42,03,43,000			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1999)				31,57,97,000

अनुदान संख्या 36 - (क्रमशः)

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

दत्तमत

1. बचत मुख्यतः निम्न में रही :-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
2425. सहकारिता				
001. निदेशन तथा प्रशासन				
(i) निदेशन				
मू.	4,27.54	3,87.07	3,85.44	- 1.63
पु.	- 40.47			
001. निदेशन तथा प्रशासन				
(ii) अधीक्षण				
मू.	9,22.58	7,97.03	7,97.43	+ 0.40
पु.	- 1,25.55			
101. सहकारी समितियों की				
लेखा परीक्षा				
मू.	11,27.27	7,81.09	7,78.49	- 2.60
पु.	- 3,46.18			

उपरोक्त तीन शीर्षों में 5, 12.20 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत रिक्त रहे पदों को आरोपित की गई।

अनुदान संख्या 36 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
107. क्रेडिट सहकारी समितियों को सहायता			
(xiii) सहकारी साख संस्थाओं के ऋणों के असन्तुलन की राशि की पूर्ति हेतु सहायता			
मू.	5,45.00		
पु.	- 1,85.00	3,60.00	3,60.00

1,85.00 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत आयोजना सीमा में कटौती को आरोपित की गई।

2. उपरोक्त टिप्पणी (1) में वर्णित बचत को मुख्यतः निम्न में हुए आधिक्य द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
2408. खाद्य भंडारण तथा भांडागार			
02. भण्डारण तथा भण्डागार			
101. ग्रामीण गोदाम योजना			
(i) खाद्य विभाग की एजेन्सी के माध्यम से			
1. गोदामों का निर्माण कार्य			
मू.	12.70		
पु.	92.65	1,05.35	1,05.35

31 मार्च 1999 को पुनर्विनियोजन द्वारा 92.65 लाख रुपये की अतिरिक्त निधियाँ भारत सरकार से गोदामों के निर्माण हेतु अधिक निधियों की प्राप्ति के कारण उपलब्ध कराई गई।

अनुदान संख्या 36 - (क्रमशः)

पूंजी

दत्तमत

1. 31,57.97 लाख रुपये की अन्तिम बचत को देखते हुए, मार्च 1999 में लिया गया 42,03.43 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ ।
2. बचत मुख्यतः निम्न में रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
4425. सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय			
107. क्रेडिट सहकारी समितियों में निवेश			
(i) रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों के माध्यम द्वारा सहकारी समितियों के हिस्सों का क्रय			
मू. 5,87.50	3,84.80	3,84.80	..
पु. - 2,02.70			

31 मार्च 1999 को 2,02.70 लाख रुपये का प्रावधान आयोजना सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

3,84.80 लाख रुपये की राशि का सम्पूर्ण प्रावधान राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड की अंशपूंजी में निवेश करने हेतु पी.डी. खाते में स्थानान्तरित कर प्रावधान को उपयोजित माना गया । यद्यपि, 31 मार्च 1999 को उक्त बैंक के पी.डी. खाते में 21,06.35 लाख रुपये का शेष अवितरित था ।

108. अन्य सहकारी समितियों में निवेश
- (vii) समग्र सहकारी विकास हेतु विनियोजन

मू. 4,81.36	3,69.80	3,69.80	..
पु. - 1,11.56			

31 मार्च 1999 को 1,11.56 लाख रुपये का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति जारी नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

3,69.80 लाख रुपये की राशि का सम्पूर्ण प्रावधान अन्य सहकारी समितियों की अंशपूंजी में निवेश करने हेतु राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड के पी.डी. खाते में स्थानान्तरित कर प्रावधान को उपयोजित माना गया । यद्यपि, उक्त बैंक के पी.डी. खाते में काफी शेष रखा था ।

अनुदान संख्या 36 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
102. नागरिक आपूर्ति			
(x) खाद्य विभाग के द्वारा सबडिविजनल स्तर पर गोदाम के निर्माण हेतु			
मू. 1,23.00			
	58.72	58.72	..
पु. - 64.28			

31 मार्च 1999 को 64.28 लाख रुपये का प्रावधान संस्थाओं से उचित प्रस्तावों के कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

6425. सहकारिता के लिए कर्ज
107. जमा सहकारी समितियों को कर्ज
(ii) राजस्थान राज्य सहकारी
बैंक लिमिटेड को उधार

मू.	10.25		
अ.	30,13.20	15.00	15.00
पु.	- 30,08.45		

मार्च 1999 में 30,13.20 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान राजफैड को कर्ज उपलब्ध कराने हेतु लिया गया। लेकिन 31 मार्च 1999 को 30,08.45 लाख रुपये बैंक से प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण अभ्यर्पित और अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किये गये।

अनुदान संख्या 36 - (क्रमशः)

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को मुख्यतः निम्न में हुए आधिक्य द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	आधिक्य+ बचत -
6408. खाद्य भण्डारण तथा भण्डागार के लिये कर्ज			
02. भण्डारण तथा भण्डागार			
800. अन्य कर्ज			
(xv) रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, राजस्थान की एजेन्सी के द्वारा राजस्थान सहकारी क्रय-विक्रय संघ लिमिटेड को कर्ज			
मू.	0.01		
अ.	2,00.00	5,25.00	5,25.00
पु.	3,24.99		..

31 मार्च 1999 को पुनर्विनियोजन द्वारा 3,24.99 लाख रुपये की अतिरिक्त निधियाँ राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से अधिक सुरक्षित अंशधन कर्ज की प्राप्ति के कारण उपलब्ध कराई गई।

4. निम्न शीर्षों में निधियाँ पी.डी. खाते में स्थानान्तरित की गयी तथा व्यय को प्रावधान के विरुद्ध उपयोजित दिखाया गया। यद्यपि, पी.डी. खाते में काफी शेष रखा था :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	आधिक्य+ बचत -
4425. सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय			
107. क्रेडिट सहकारी समितियों में निवेश			
(ii) पुनर्स्थापना योजना के अन्तर्गत विनियोग			
मू.	1,75.00	1,75.00	1,75.00

1,75.00 लाख रुपये की राशि का सम्पूर्ण प्रावधान राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड की अंश पूंजी में निवेश करने हेतु पी.डी. खाते में स्थानान्तरित कर प्रावधान को उपयोजित माना गया। यद्यपि, 31 मार्च 1999 को उक्त बैंक के पी.डी. खाते में 21,06.35 लाख रुपये का शेष अवितरित था।

अनुदान संख्या 36 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
4435. अन्य कृषि कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
01. विपणन तथा गुणता नियंत्रण			
190. सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(i) विपणन समितियों में विनियोजन			
मू. 64.00			
पु. - 16.00			
	48.00	48.00	..

48.00 लाख रुपये की राशि का सम्पूर्ण प्रावधान भण्डारण तथा विपणन सहकारी समितियों की अंश पूंजी में निवेश करने हेतु राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड के पी.डी. खाते में स्थानान्तरित कर प्रावधान को उपयोजित माना गया। यद्यपि, उक्त बैंक के पी.डी. खाते में काफी शेष रखा था।

अनुदान संख्या 37 - कृषि

मुख्य शीर्ष : राजस्व-2401. फसल कृषि-कर्म,
 2415. कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा और
 2435. अन्य कृषि कार्यक्रम
 पूंजी-4401. फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय,
 4408. खाद्य भंडारण तथा भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय,
 4415. कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय और
 6401. फसल कृषि-कर्म के लिये कर्ज

अनुदान संख्या 37 - (क्रमशः)

		कुल अनुदान या विनियोग रु.	वास्तविक व्यय रु.	आधिक्य+ बचत - रु.
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	1,88,72,04,000	1,88,72,07,000	1,76,00,59,849	- 12,71,47,151
अनुपूरक	3,000			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1999)				12,62,90,000
प्रभारित				
मूल	2,000	1,73,000	93,872	- 79,128
अनुपूरक	1,71,000			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1999)				79,000
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	87,01,40,000	87,01,41,000	56,56,15,504	- 30,45,25,496
अनुपूरक	1,000			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1999)				21,84,58,000

अनुदान संख्या 37 - (क्रमशः)

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

दत्तमत

1. बचत (अन्य शीर्षों में हुए आधिक्य द्वारा प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न में रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
2401. फसल कृषि - कर्म			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(i) संचालन			
मू. ... 7,39.57			
पु. - 82.90	6,56.67	6,59.32	+ 2.65

82.90 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गई।

108. वाणिज्यिक फसलें कार्यक्रम
(ii) गहन कपास विकास कार्यक्रम

मू. 3,12.00			
पु. - 96.63	2,15.37	2,15.44	+ 0.07

96.63 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत बीज निगम द्वारा बीजों एवं बीज उपकरणों की आपूर्ति न किये जाने के कारण कम स्वीकृति प्राप्त होने को आरोपित की गई।

119. बागवानी तथा वनस्पति फसलें
(xi) शुष्क क्षेत्रीय फलों के समेकित विकास (ड्रिप सिंचाई)

मू. 5,78.50			
पु. - 3,45.71	2,32.79	2,32.84	+ 0.05

3,45.71 लाख रुपये का प्रावधान भारत सरकार से निधियाँ कम प्राप्त होने तथा आयोजना सीमा में कटौती के कारण अन्य शीर्षों में पुनर्विनियोजित किया गया।

अनुदान संख्या 37 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	आधिक्य+ बचत -
800. अन्य व्यय			
(ii) जल आयोजना हेतु सहायतार्थ अनुदान			
1. सिंचाई जल का समुचित उपयोग			
मू. 2,72.60	2,19.07	2,17.15	- 1.92
पु. - 53.53			

31 मार्च 1999 को 53.53 लाख रुपये का प्रावधान आयोजना सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।

800. अन्य व्यय
(iv) कृषि विकास परियोजना
(विश्व बैंक की सहायता से)

IX- सिंचित क्षेत्र विकास विभाग

1. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र
हेतु जल निकास संबंधी अध्ययन

मू. 4,60.00	1,97.67	1,97.67	..
पु. - 2,62.33			

31 मार्च 1999 को 2,62.33 लाख रुपये का प्रावधान आयोजना सीमा में कटौती के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।

800. अन्य व्यय
(iv) कृषि विकास परियोजना
(विश्व बैंक की सहायता से)

X- सिंचाई विभाग (मुख्य अभियंता
आई. एण्ड आर.)

5. तकनीकी सहायता व कन्सलटेन्ट्स

मू. 2,35.50	15.72	15.95	+ 0.23
पु. - 2,19.78			

31 मार्च 1999 को 2,19.78 लाख रुपये का प्रावधान आयोजना सीमा में कटौती के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।

अनुदान संख्या 37 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	आधिक्य+ बचत -
800. अन्य व्यय			
(iv) कृषि विकास परियोजना (विश्व बैंक की सहायता से)			
XIII- कृषि विश्वविद्यालय (पी.सी.यू. सचिवालय के माध्यम से)			
1. अनुसंधान व प्रशिक्षण हेतु सहायता			
मू. 1,45.65			
पु. - 1,45.55	0.10	0.10	..

31 मार्च 1999 को 1,45.55 लाख रुपये का प्रावधान आयोजना सीमा में कटौती के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।

800. अन्य व्यय			
(v) मृदा सुधार			
मू. 1,10.00			
पु. - 56.00	54.00	54.01	+ 0.01

56.00 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत आयोजना सीमा में कटौती को आरोपित की गई।

2415. कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा

01. फसल कृषि - कर्म

277. शिक्षा

(i) विश्वविद्यालयों में कृषि शिक्षा

1. सहायतार्थ अनुदान/अंशदान/सहाय्य

मू. 21,81.69			
पु. - 1,84.60	19,97.09	19,89.09	- 8.00

1,92.60 लाख रुपये की कुल बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

अनुदान संख्या 37 - (क्रमशः)

पूंजी

दत्तमत

1. 30,45.25 लाख रुपये की अन्तिम बचत में से 8,60.67 लाख रुपये अन्वर्धित रहे।

2. बचत मुख्यतः निम्न में रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
4401. फसल कृषि - कर्म पर पूंजीगत परिव्यय			
800. अन्य व्यय			
(iii) कृषि विकास परियोजना (विश्व बैंक की सहायता से)			
I- सार्वजनिक निर्माण विभाग			
3. उद्यान विभाग के निर्माण कार्य			
मू. 95.50			
पु. - 65.50	30.00	28.98	- 1.02
800. अन्य व्यय			
(iii) कृषि विकास परियोजना (विश्व बैंक की सहायता से)			
I- सार्वजनिक निर्माण विभाग			
6. ग्रामीण सड़कों का निर्माण			
मू. 16,29.40			
पु. - 4,25.71	12,03.69	11,89.40	- 14.29

अनुदान संख्या 37 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत -
800. अन्य व्यय			
(iii) कृषि विकास परियोजना (विश्व बैंक की सहायता से)			
IV- राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय (कृषि विभाग के माध्यम से)			
2. निर्माण कार्य			
मू. 25,04.35	15,00.00	15,00.00	..
पु. - 10,04.35			
800. अन्य व्यय			
(iii) कृषि विकास परियोजना (विश्व बैंक की सहायता से)			
V- पशु पालन विभाग			
9. राजस्थान इन्स्टीट्यूट ऑफ लाइव स्टॉक मैनेजमेण्ट			
मू. 66.35	2.25	2.25	..
पु. - 64.10			
800. अन्य व्यय			
(iii) कृषि विकास परियोजना (विश्व बैंक की सहायता से)			
X- विशिष्ट योजना एवं एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग			
2. वाटर कनवेन्स सिस्टम एवं पम्पसेट			
मू. 2,35.00	0.01	0.01	..
पु. - 2,34.99			

अनुदान संख्या 37 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
800. अन्य व्यय			
(iii) कृषि विकास परियोजना (विश्व बैंक की सहायता से)			
XI- सिंचाई (आई.डी.आर.) विभाग			
3. मशीनरी तथा उपकरण			
मू. 9,68.50	4,04.30	5,08.90	+ 1,04.60
पु. - 5,64.20			

800. अन्य व्यय
(iii) कृषि विकास परियोजना
(विश्व बैंक की सहायता से)
II- भू-जल विभाग
2. कृत्रिम रिचार्ज अध्ययन

मू. 1,46.00	7.88	7.88	..
पु. - 1,38.12			

उपरोक्त सात शीर्षों के अन्तर्गत 24,96.97 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत आयोजना सीमा में की गई कटौती को आरोपित की गई। परन्तु वास्तव में उसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

शीर्ष 800 (iii) I-6 में 14.29 लाख रुपये की अन्तिम बचत तथा शीर्ष 800 (iii) XI-3 में 1,04.60 लाख रुपये के अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

अनुदान संख्या 37 - (समाप्त)

3. निम्न शीर्षों में अन्तिम बचत को देखते हुए, 31 मार्च 1999 को पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में वृद्धि अनावश्यक सिद्ध हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
4401. फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय			
800. अन्य व्यय			
(iii) कृषि विकास परियोजना (विश्व बैंक की सहायता से)			
III- कृषि विपणन बोर्ड			
1. ग्रामीण सड़कें			
मू.	22,30.00	26,59.09	18,26.42
पु.	4,29.09		- 8,32.67

31 मार्च 1999 को पुनर्विनियोजन द्वारा 4,29.09 लाख रुपये की अतिरिक्त निधियाँ आयोजना सीमा में वृद्धि के कारण उपलब्ध कराई गई।

8,32.67 लाख रुपये की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

800. अन्य व्यय
(iii) कृषि विकास परियोजना
(विश्व बैंक की सहायता से)
XI- सिंचाई (आई.डी.आर.) विभाग
1. लघु निर्माण कार्य

मू.	50.00	1,04.02	..	- 1,04.02
पु.	54.02			

31 मार्च 1999 को 54.02 लाख रुपये की अतिरिक्त निधियाँ कार्य की प्रगति में वृद्धि के कारण उपलब्ध कराई गई। लेकिन व्यय शीर्ष "800 (iii) XI-3." में दर्ज किया गया जिसके परिणामस्वरूप 1,04.60 लाख रुपये की सीमा तक अधिक व्यय हुआ।

अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

अनुदान संख्या 38 - लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण

मुख्य शीर्ष : राजस्व-2402. मृदा तथा जल संरक्षण और

2702. लघु सिंचाई

पूंजी-4402. मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय,

4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय और

6705. कमान क्षेत्र विकास के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग रु.	वास्तविक व्यय रु.	आधिक्य+ बचत- रु.
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	1,06,98,08,000	1,06,98,14,000	99,89,18,485	- 7,08,95,515
अनुपूरक	6,000			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1999)				6,81,81,000
प्रभारित				
मूल	2,000	1,59,000	2,95,844	+ 1,36,844
अनुपूरक	1,57,000			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1999)				1,000
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	39,35,66,000	39,35,68,000	18,32,27,528	- 21,03,40,472
अनुपूरक	2,000			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1999)				20,50,43,000

अनुदान संख्या 38 - (क्रमशः)

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

दत्तमत

1. बचत मुख्यतः निम्न में रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
2402. मृदा तथा जल संरक्षण			
102. मृदा संरक्षण			
(i) जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग के अभिकरण से			
XI- जलग्रहों का निर्माण			
मू. 40,00.00			
पु. - 1,70.49	38,29.51	38,02.23	- 27.28

1,70.49 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) कोष अधिकारियों द्वारा बिल पारित करने के विलम्ब के कारण श्रमिकों के कम संख्या में आने, (ii) वेपकोष संस्था को 80.00 लाख रुपये का भुगतान न होना तथा (iii) निकनेट कलेक्टिविटी हेतु राज्य सरकार से स्वीकृति न मिलने के कारण को आरोपित की गई।

27.28 लाख रुपये की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

102. मृदा संरक्षण

(i) जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण
विभाग के अभिकरण से

XII- समन्वित जल ग्रहण विकास योजना

मू. 6,55.63			
पु. - 1,39.70	5,15.93	5,15.80	- 0.13

1,39.70 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत आई.डब्ल्यू.डी.पी. योजना की समाप्ति के कारण पदों में कटौती होने से वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गई।

अनुदान संख्या 38 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
2702. लघु सिंचाई 02. भू-जल 201. कुओं और तालाबों का निर्माण और उन्हें गहरा करना (ii) कार्यकारी			
मू.	27,86.02	24,65.89	24,65.85 - 0.04
पु.	- 3,20.13		

3,20.13 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) वेतन तथा भत्तों और मरम्मत पर कम व्यय होने तथा (ii) खरीद पर रोक को आरोपित की गई।

2. सरकारी वाणिज्यिक उपक्रमों के मूल्य ह्रास/ आरक्षित निधि के निक्षेप लेखे -राजस्थान भू-जल मण्डल- अनुदान के अन्तर्गत शीर्ष '2702- लघु सिंचाई' में व्यय हेतु प्रावधान 'शून्य' था। निक्षेप लेखों को (संयंत्र तथा मशीनों के नवीनीकरण और प्रतिस्थापना व्यय से पूरा करने के अभिप्राय से है) ऐसे अन्तरित अंशदानों द्वारा पूरित किया जाता है। नवीनीकरण तथा प्रतिस्थापना पर वास्तविक व्यय प्रथमतः इस अनुदान के मुख्य शीर्ष '2702-लघु सिंचाई' को डेबिट किया जाता है तथा वर्ष के लेखे बंद होने के पूर्व यह व्यय निक्षेप लेखे को अन्तरित कर दिया जाता है।

31 मार्च 1999 को निधि में 15,15.77 लाख रुपये का जमा शेष था।

प्रभारित

1. व्यय विनियोजन से 1,36,844 रुपये अधिक हुआ जिसका नियमन अपेक्षित है। व्यय शीर्ष 2702.02.201 (ii) निष्पादन के अन्तर्गत हुआ (प्रावधान : 1.32 लाख रुपये; व्यय: 2.70 लाख रुपये)।

पूँजी

दत्तमत

1. 21,03.40 लाख रुपये की अंतिम बचत में से 52.97 लाख रुपये अन्वर्धित रहे।

अनुदान संख्या 38 - (क्रमशः)

2. बचत मुख्यतः निम्न में रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
4402. मृदा तथा जल संरक्षण पर पूँजीगत परिव्यय			
102. मृदा संरक्षण			
(i) जलग्रहण एवं भू-संरक्षण विभाग के माध्यम से			
III- भू- संरक्षण कार्य			
मू. 15,27.05			
पु. - 8,91.67	6,35.38	6,35.38	..

8,91.67 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से भू संरक्षण कार्य हेतु स्वीकृति की कम प्राप्ति को आरोपित की गई।

102. मृदा संरक्षण
(i) जलग्रहण एवं भू-संरक्षण
विभाग के माध्यम से
VI- इण्डो स्विस प्रोजेक्ट
4. भू-संरक्षण कार्य

मू. 4,31.95			
पु. - 4,26.15	5.80	5.80	..

4,26.15 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय को आरोपित की गई क्योंकि पावड़ी परियोजना पूरा होने के कारण यूनिट कार्यालय बंद हुए।

अनुदान संख्या 38 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
102. मृदा संरक्षण			
(i) जलग्रहण एवं भू-संरक्षण विभाग के माध्यम से			
VII- इण्डो कनाडा प्रोजेक्ट			
1. भू - संरक्षण कार्य			
मू.	1,70.82	1,07.29	1,07.29
पु.	- 63.53		..

63.53 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत आयोजना सीमा में कटौती को आरोपित की गई।

102. मृदा संरक्षण				
(ii) वन विभाग के माध्यम से				
III- कडना परियोजना				
1. वानिकी निर्माण कार्य				
मू.	2,91.51	1,97.32	1,88.77	- 8.55
पु.	- 94.19			

94.19 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से कम निधियाँ प्राप्त होने को आरोपित की गई।

8.55 लाख रुपये की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

102. मृदा संरक्षण				
(ii) वन विभाग के माध्यम से				
IV- नदी घाटी परियोजना, चम्बल में भूमि संरक्षण				
1. वानिकी निर्माण कार्य				
मू.	2,59.40	1,80.08	1,38.90	- 41.18
पु.	- 79.32			

79.32 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत वानिकी निर्माण कार्यों हेतु भारत सरकार से कम निधियाँ प्राप्त होने को आरोपित की गई।

41.18 लाख रुपये की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

अनुदान संख्या 38 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
102. मृदा संरक्षण			
(ii) वन विभाग के माध्यम से			
VIII- नदी घाटी परियोजना, साहिबी नदी			
1. वानिकी निर्माण कार्य			
मू. 7,67.28			
	2,97.50	3,10.60	+ 13.10
पु. - 4,69.78			

4,69.78 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत वानिकी निर्माण कार्य हेतु भारत सरकार से कम निधियाँ प्राप्त होने को आरोपित की गई।

13.10 लाख रुपये के अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

6705. कमान क्षेत्र विकास के लिए कर्ज

800. अन्य कर्ज

(iii) विश्व खाद्य कार्यक्रम सं. 2600 के
अन्तर्गत विस्थापितों को उधार

मू. 60.00			
	14.55	..	- 14.55
पु. - 45.45			

60.00 लाख रुपये की कुल बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

अनुदान संख्या 39 - पशु पालन एवं चिकित्सा

मुख्य शीर्ष : राजस्व-2403. पशु-पालन,

2404. डेरी विकास,

2405. मछली-पालन और

2415. कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा

पूंजी-4403. पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय,

4404. डेरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय और

4405. मछली-पालन पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग रु.	वास्तविक व्यय रु.	आधिक्य+ बचत- रु.
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	1,08,05,76,000	1,11,85,76,000	1,05,17,69,724	- 6,68,06,276
अनुपूरक	3,80,00,000			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1999)				5,34,25,000
प्रभारित				
मूल	3,000	26,000	24,413	- 1,587
अनुपूरक	23,000			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1999)				1,000
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	86,68,000	86,69,000	25,22,017	- 61,46,983
अनुपूरक	1,000			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1999)				59,81,000

अनुदान संख्या 39 - (क्रमशः)

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

दत्तमत

1. मार्च 1999 में 3,80.00 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान वेतन तथा भत्तों पर बढ़े हुए व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया जो अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट प्रावधान से भी कम था।
2. 6,68.06 लाख रुपये की अंतिम बचत में से 1,33.81 लाख रुपये अन्वभ्यर्षित रहे।
3. बचत मुख्यतः निम्न में हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	आधिक्य+ बचत -
2403. पशुपालन			
102. पशु तथा भैंस विकास			
(iv) मूल ग्राम योजना			
मू. 2,21.73	1,37.98	1,35.14	- 2.84
पु. - 83.75			
103. कुक्कुट विकास			
(ii) मुर्गी पालन विकास योजना			
मू. 1,14.51	69.17	64.19	- 4.98
पु. - 45.34			
104. भेड़ तथा ऊन विकास			
(ii) प्रसार और ऊन कटाई केन्द्र			
मू. 9,12.36	8,28.98	8,28.88	- 0.10
पु. - 83.38			

उपरोक्त तीन शीर्षों में 2,12.47 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत रिक्त रहे पदों को आरोपित की गई।

अनुदान संख्या 39 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
2404. डेयरी विकास			
191. सहकारी समितियों तथा अन्य निकायों को सहायता			
(i) राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी संघ को सहायतार्थ अनुदान			
मू. 3,02.00	2.50	2.50	..
पु. - 2,99.50			

31 मार्च 1999 को 2,99.50 लाख रुपये का प्रावधान आयोजना सीमा में कटौती और वर्ष 1997-98 का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने से राज्य सरकार द्वारा निधियां स्वीकृत नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

2405. मछली-पालन
101. अन्तर्देशीय मछली पालन
- (v) मत्स्य पालक विकास अभिकरण के माध्यम से
1. सहायतार्थ अनुदान/अंशदान/सहाय्य

मू. 94.40	51.35	34.93	- 16.42
पु. - 43.05			

31 मार्च 1999 को 43.05 लाख रुपये का प्रावधान भारत सरकार से कम अनुदान प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

16.42 लाख रुपये की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

अनुदान संख्या 39 - (समाप्त)

पूँजी

दत्तमत

1. बचत मुख्यतः निम्न में हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	आधिक्य + बचत -
4404. डेयरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय			
190. सरकारी क्षेत्र के उपक्रम तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(i) राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी संघ को सहायतार्थ अनुदान			
मू.	50.00	..	..
पु.	- 50.00	..	..

31 मार्च 1999 को 50.00 लाख रुपये का समस्त प्रावधान आयोजना सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 40 - राजकीय उपक्रम

मुख्य शीर्ष : राजस्व-2852. उद्योग

पूँजी-6860. उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज

राजस्व	कुल अनुदान या विनियोग रु.	वास्तविक व्यय रु.	आधिक्य + बचत - रु.
दत्तमत			
मूल	2,71,67,000	2,71,67,000	88,10,319
अनुपूरक	..	..	- 1,83,56,681

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित
राशि (मार्च 1999)

1,83,56,000

अनुदान संख्या 40 - (समाप्त)

		कुल अनुदान या विनियोग रु.	वास्तविक व्यय रु.	आधिक्य+ बचत - रु.
प्रभारित				
मूल	1,000	1,000	..	- 1,000
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1999)				1,000
पूँजी				
दत्तमत				
मूल	1,000	1,000	..	- 1,000
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1999)				1,000
टिप्पणी तथा टीका :				
राजस्व				
दत्तमत				

1. बचत (अन्य शीर्ष में आधिक्य द्वारा प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न में रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
2852. उद्योग			
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(iii) राजकीय उपक्रम विभाग ब्यूरो			
मू.	2,11.80	11.11	- 0.01
पु.	- 2,00.69		

2,00.69 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत आयोजना सीमा में कटौती को आरोपित की गई।

अनुदान संख्या 41 - सामुदायिक विकास

मुख्य शीर्ष : राजस्व-2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम और

2810. अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत

पूंजी -4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग रु.	वास्तविक व्यय रु.	आधिक्य+ बचत - रु.
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	1,85,54,81,000	1,86,74,36,000	1,80,91,59,679	- 5,82,76,321
अनुपूरक	1,19,55,000			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1999)				
प्रभारित				
मूल	1,000	1,000	..	- 1,000
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1999)				
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	10,00,000	10,00,000	9,50,000	- 50,000
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				

अनुदान संख्या 41 - (समाप्त)

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

दत्तमत

1. 5,82.76 लाख रुपये की अंतिम बचत में से 5,82.75 लाख रुपये अन्अभ्यर्पित रहे।
2. मार्च 1999 में लिया गया 1,19.55 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट प्रावधान से भी कम था तथा प्रतीक प्रावधान तक सीमित किया जा सकता था।
3. बचत मुख्यतः निम्न में रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	आधिक्य+ बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
101. पंचायती राज			
(ii) पंचायत समितियों को सहायता			
2. पंचायत समितियों को कर वसूली में अनुदान			
मू. 1.00	3,35.68	3,23.88	- 11.80
पु. 3,34.68			

31 मार्च 1999 को पुनर्विनियोजन द्वारा 3,34.68 लाख रुपये की अतिरिक्त निधियां पंचायत समितियों को अगस्त 1998 से चुंगी संग्रहण के बन्द होने के बदले क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिये उपलब्ध कराई गई। 11.80 लाख रुपये की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

अनुदान संख्या 42 - उद्योग

मुख्य शीर्ष : राजस्व-2801. बिजली,

2851. ग्राम तथा लघु उद्योग और

2852. उद्योग

पूंजी-4851. ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय,

4885. उद्योगों और खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय,

6851. ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज और

6885. उद्योगों और खनिजों के लिये अन्य कर्ज

अनुदान संख्या 42 - (क्रमशः)

		कुल अनुदान या विनियोग रु.	वास्तविक व्यय रु.	आधिक्य+ बचत - रु.
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	92,70,90,000	92,70,90,000	80,75,09,222	- 11,95,80,778
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1999)				11,48,35,000
प्रभारित				
मूल	1,000	93,000	92,379	- 621
अनुपूरक	92,000			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	62,64,08,000	62,64,08,000	57,14,83,885	- 5,49,24,115
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1999)				5,73,60,000
टिप्पणियां तथा टीकाएं :				
राजस्व				
दत्तमत				

1. 11,95.81 लाख रुपये की अन्तिम बचत में से 47.46 लाख रुपये अन्अभ्यर्पित रहे।

अनुदान संख्या 42 - (क्रमशः)

2. बचत मुख्यतः निम्न में रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	आधिव्यय+ बचत -
2801. बिजली			
80. सामान्य			
800. अन्य व्यय			
(iv) जयपुर उद्योग की बकाया दायित्वों को राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल को भुगतान हेतु			
मू.	2,60.00	..	..
पु.	- 2,60.00		

31 मार्च 1999 को 2,60.00 लाख रुपये का सम्पूर्ण प्रावधान राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल को भुगतान करने हेतु निर्णय न लिये जाने के परिणामस्वरूप आयोजना सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।

2851. ग्राम तथा लघु उद्योग
103. हाथकरघा उद्योग
(i) राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास
निगम को सहायतार्थ अनुदान/
अंशदान/सहाय्य आदि

मू.	2,99.00	54.32	54.32	..
पु.	- 2,44.68			

31 मार्च 1999 को 2,44.68 लाख रुपये का प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने (2,20.52 लाख रुपये) तथा संशोधित अनुमानों में प्रावधान की कटौती (24.16 लाख रुपये) के कारण अभ्यर्पित किया गया।

105. खादी ग्रामोद्योग
(i) राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग
बोर्ड को सहायतार्थ अनुदान/
अंशदान/सहाय्य आदि

मू.	11,87.95	11,25.00	11,01.11	- 23.89
पु.	- 62.95			

86.84 लाख रुपये की कुल बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

अनुदान संख्या 42 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	आधिक्य+ बचत -
110. सम्मिश्र ग्राम एवं लघु उद्योग तथा सहकारी समितियां (ii) हाथकरघा सहकारी समितियां 1. सहाय्य			
मू.	3,06.64		
पु.	- 1,60.38	1,46.26	1,45.83 - 0.43

1,60.38 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा समय से निधियां जारी न किये जाने तथा हाथकरघा सहकारी समितियों से सहायता हेतु कम दावे प्राप्त होने को आरोपित की गई।

2852. उद्योग
80. सामान्य
003. औद्योगिक शिक्षा, अनुसंधान
तथा प्रशिक्षण
(vii) तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु

मू.	1,15.00		
पु.	- 1,12.98	2.02	2.02 ..

1,12.98 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत आयोजना सीमा में कटौती को आरोपित की गई।

80. सामान्य
102. औद्योगिक उत्पादकता
(iii) राजस्थान लघु उद्योग निगम को
सहायतार्थ अनुदान/ अंशदान/
सहाय्य आदि

मू.	4,17.00		
पु.	- 1,74.00	2,43.00	2,27.99 - 15.01

1,74.00 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत राज्य सरकार द्वारा राजस्थान लघु उद्योग की आयोजना सीमा में कटौती को आरोपित की गई।

15.01 लाख रुपये की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

अनुदान संख्या 42 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	आधिक्य+ बचत -
80. सामान्य			
102. औद्योगिक उत्पादकता			
(iv) राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड को सहायतार्थ अनुदान/अंशदान/सहाय्य आदि			
मू. 8,45.00	5,92.98	5,92.98	..
पु. - 2,52.02			

2,52.02 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से कम निधियां प्राप्त होने को आरोपित की गई।

80. सामान्य			
102. औद्योगिक उत्पादकता			
(x) औद्योगिक इकाईयों द्वारा जनरेटिंग सेट खरीदने हेतु सहायतार्थ अनुदान/ अंशदान/ सहाय्य			
मू. 2,98.00	2,49.14	2,49.55	+ 0.41
पु. - 48.86			

80. सामान्य
102. औद्योगिक उत्पादकता
(xvii) ग्रामीण गैर कृषि विकास एजेन्सी
(रूडा) को सहायतार्थ अनुदान/
अंशदान/सहाय्य

मू. 50.00	..	..	..
पु. - 50.00			

उपरोक्त दो शीर्षों में 98.86 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत आयोजना सीमा में कटौती को आरोपित की गई।

अनुदान संख्या 42 - (क्रमशः)

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत निम्न में हुए आधिक्य द्वारा प्रतिसंतुलित की गई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
2852. उद्योग			
80. सामान्य			
102. औद्योगिक उत्पादकता			
(ii) ब्यूरो ऑफ इण्डस्ट्रियल प्रमोशन को सहायतार्थ अनुदान/अंशदान/ सहाय्य			
मू.	2,00.00	5,50.00	5,50.00
पु.	3,50.00		..

31 मार्च 1999 को पुनर्विनियोजन द्वारा 3,50.00 लाख रुपये की अतिरिक्त निधियां ब्यूरो ऑफ इण्डस्ट्रियल प्रमोशन को परियोजना विकास निगम के विकास हेतु उपलब्ध कराई गई।

पूंजी

दत्तमत

- 5,49.24 लाख रुपये की अंतिम बचत को देखते हुए 5,73.60 लाख रुपये की राशि का अभ्यर्पण अत्यधिक था।
- बचत मुख्यतः निम्न में रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
4851. ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय			
103. हथकरघा उद्योग			
(v) इन्स्टीट्यूट ऑफ क्राफ्ट्स के भवन निर्माण			
मू.	1,05.00	20.00	20.00
पु.	- 85.00		..

अनुदान संख्या 42 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
200. अन्य ग्राम उद्योग (i) नमक क्षेत्रों का विकास			
मू. 2,50.00			
	9.07	9.07	..
पु. - 2,40.93			

उपरोक्त दो शीर्षों में 3,25.93 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत आयोजना सीमा में कटौती को आरोपित की गई।

4885. उद्योगों और खनिजों पर
पूँजीगत परिव्यय
60. अन्य
800. अन्य व्यय
(i) राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास
एवं विनियोजन निगम लिमिटेड में
विनियोजन

मू. 8,00.00			
	3,00.00	3,00.00	..
पु. - 5,00.00			

5,00.00 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा कम निधियां जारी करने के परिणामस्वरूप रीको के अनुमानों में कटौती को आरोपित की गई।

माह मार्च 1999 में 3,00.00 लाख रुपये का सम्पूर्ण प्रावधान रीको के पी.डी. खाते में स्थानान्तरित किया गया व्यय को प्रावधान के विरुद्ध उपयोजित दिखाया। यद्यपि, 31 मार्च 1999 को पी.डी. खाते में सम्पूर्ण प्रावधान अवितरित था।

60. अन्य
800. अन्य व्यय
(ii) जिला उद्योग केन्द्रों हेतु
भवन निर्माण

मू. 62.96			
	7.96	32.32	+ 24.36
पु. - 55.00			

55.00 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत आयोजना सीमा में कटौती को आरोपित की गई।

यद्यपि 24.36 लाख रुपये का अधिक व्यय हुआ, जिसके कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

अनुदान संख्या 42 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	आधिक्य+ बचत -
6851. ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज			
102. लघु उद्योग			
(i) राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड को उधार			
मू. 58.00			
पु. - 58.00			
58.00 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत आयोजना सीमा में कटौती को आरोपित की गई।			

103. हाथकरघा उद्योग

(iv) राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम को उधार

मू. 3,75.00	2,06.33	2,06.33	
पु. - 1,68.67			

1,68.67 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से केन्द्रीय हिस्से की प्राप्ति नहीं होने को आरोपित की गई।

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत मुख्यतः निम्न में हुए आधिक्य द्वारा प्रतिसंतुलित की गई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	आधिक्य+ बचत -
6885. उद्योगों और खनिजों के लिये अन्य कर्ज			
01. औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं को कर्ज			
190. सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज			
(i) राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास तथा विनियोजन निगम लिमिटेड को उधार			
मू. 26,32.50	27,69.50	27,69.50	
पु. 1,37.00			

अनुदान संख्या 42 - (समाप्त)

31 मार्च 1999 को पुनर्विनियोजन द्वारा 1,37.00 लाख रुपये की अतिरिक्त निधियां राज्य सरकार के फैसले के अनुसार रीको को अधिक उधार स्वीकृत करने के कारण उपलब्ध कराई गई।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
60. अन्य			
800. अन्य कर्ज			
(i) उद्योग व उद्योगपतियों को उधार			
V- अन्य निजी कम्पनियों को उधार			
मू.	1,27.62	5,77.62	5,77.62
पु.	4,50.00		..

31 मार्च 1999 को पुनर्विनियोजन द्वारा 4,50.00 लाख रुपये की अतिरिक्त निधियां अधिक कर्जों के जारी किये जाने के कारण उपलब्ध कराई गई।

4. निम्न शीर्ष में कुल राशि 20,00.00 लाख रुपये, जिसमें शामिल है मांग संख्या 30 शीर्ष 6885-02-796 (iv) राजस्थान वित्त निगम (आर.एफ.सी.) को उधार के अन्तर्गत 2,00.00 लाख रुपये, आर.एफ.सी. को जारी किये गये जिसके विपरीत 15,00.00 लाख रुपये 31 मार्च 1999 को पी.डी. खाते में शेष अवितरित थे। अतः इस सीमा तक पी.डी. खाते में स्थानान्तरण अत्यधिक था :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
6885. उद्योगों और खनिजों के लिये			
अन्य कर्ज			
01. औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं को कर्ज			
190. सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज			
(ii) राजस्थान वित्त निगम को उधार			
मू.	18,00.00	18,00.00	18,00.00

अनुदान संख्या 43 - खनिज

मुख्य शीर्ष : राजस्व-2802. पेट्रोलियम और

2853. अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग
 पूंजी-4852. लोहा तथा इस्पात उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय,
 4853. अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योगों पर
 पूंजीगत परिव्यय और
 6853. अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योगों के लिए कर्ज

कुल अनुदान या विनियोग रु.	वास्तविक व्यय रु.	आधिक्य+ बचत - रु.
---------------------------------	-------------------------	-------------------------

राजस्व

दत्तमत

मूल 26,69,97,000

28,24,94,000 27,59,49,526 - 65,44,474

अनुपूरक 1,54,97,000

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित
राशि (मार्च 1999)

89,48,000

प्रभारित

मूल 10,000

84,000 82,811 - 1,189

अनुपूरक 74,000

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित
राशि (मार्च 1999)

1,000

पूंजी

दत्तमत

मूल 1,65,00,000

1,65,00,000 45,32,506 - 1,19,67,494

अनुपूरक ..

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित
राशि (मार्च 1999)

1,19,72,000

अनुदान संख्या 43 - (क्रमशः)

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

दत्तमत

1. 65.44 लाख रुपये की अंतिम बचत को देखते हुए, मार्च 1999 में लिया गया 1,54.97 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ तथा 89.48 लाख रुपये की राशि का अभ्यर्पण भी अत्यधिक रहा।

2. बचत मुख्यतः निम्न में हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	आधिक्य+ बचत -
2802. पेट्रोलियम			
01. क्रुड आयल एवं गैस की खोज तथा उत्पाद			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(i) पेट्रोलियम निदेशालय			
मू. 40.00			
	30.00	..	- 30.00
पु. - 10.00			

10.00 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत आयोजना सीमा में कटौती को आरोपित की गई। 30.00 लाख रुपये का प्रावधान इस शीर्ष के अन्तर्गत उपलब्ध कराया गया परन्तु बिना प्रावधान का व्यय 'शीर्ष 2853-02-001(iii)' में दर्ज हुआ।

2853. अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग

02. खानों का विनियमन तथा विकास

102. खनिज खोज (समन्वेषण)

(i) पूर्वक्षण और व्यधन

मू. 3,69.87			
अ. 6.20	3,44.45	3,46.21	+ 1.76
पु. - 31.62			

31.62 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गई।

अनुदान संख्या 43 - (समाप्त)

3. निम्न शीर्ष में, व्यय बिना निधि के प्रावधान के हुआ, जिसके कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999) :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	आधिक्य+ बचत -
2853. अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग			
02. खानों का विनियमन तथा विकास तथा उत्पाद			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(iii) पेट्रोलियम निदेशालय	..	29.82	+ 29.82

पूंजी

दत्तमत

1. बचत मुख्यतः निम्न में हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	आधिक्य+ बचत -
6853. अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योगों के लिए कर्ज			
60. अन्य खनन तथा धातु कर्म उद्योग			
190. सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज			
(iii) राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम को उधार			

मू. 1,00.00

पु. - 1,00.00

1,00.00 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

अनुदान संख्या 44 - लेखन सामग्री एवं मुद्रण

मुख्य शीर्ष : राजस्व-2058. लेखन सामग्री तथा मुद्रण

पूंजी-4058. लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग रु.	वास्तविक व्यय रु.	आधिक्य+ बचत - रु.
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	15,71,28,000	16,94,73,000	16,89,83,756	- 4,89,244
अनुपूरक	1,23,45,000			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1999)				3,19,000
प्रभारित				
मूल	2,000	2,000	..	- 2,000
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1999)				2,000
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	38,40,000	38,40,000	..	- 38,40,000
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1999)				38,40,000

अनुदान संख्या 44 - (समाप्त)

टिप्पणी तथा टीका :

पूंजी

दत्तमत

1. बचत मुख्यतः निम्न में रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	आधिव्यय+ बचत -
4058. लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय			
103. सरकारी मुद्रणालय			
1. मशीनरी और साज/सामान और सामग्री			
मू.	38.40	..	..
पु.	- 38.40	..	..

31 मार्च 1999 को 38.40 लाख रुपये का सम्पूर्ण प्रावधान राज्य सरकार द्वारा मशीनरी इत्यादि के खरीद हेतु स्वीकृति जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 45 - राज्य कर्मचारियों को ऋण (समस्त दत्तमत)

मुख्य शीर्ष : पूंजी-7610. सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्ज

पूंजी	कुल अनुदान रु.	वास्तविक व्यय रु.	आधिव्यय+ बचत - रु.
मूल	64,99,16,000		
अनुपूरक	6,13,50,000		
	71,12,66,000	69,81,77,534	- 1,30,88,466

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित
राशि (मार्च 1999)

50,21,000

अनुदान संख्या 45 - (क्रमशः)

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

पूंजी

1. 1,30.88 लाख रुपये की अन्तिम बचत को देखते हुए, मार्च 1999 में 6, 13.50 लाख रुपये का लिया गया अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ तथा 80.67 लाख रुपये अन्वर्धित रहे।

2. बचत मुख्यतः निम्न में रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
7610. सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्ज			
202. मोटर वाहन का क्रय करने के लिये अग्रिम			
(iii) अन्य कर्मचारियों को मोटर गाड़ियों की खरीद हेतु उधार			
मू. 10, 15.00	9,58.33	9,31.40	- 26.93
पु. - 56.67			

56.67 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत कर्जों की कम मांग को आरोपित की गई।

26.93 लाख रुपये की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

800. अन्य अग्रिम

(v) खाद्यान्नों की खरीद के लिए
अग्रिम

मू. 36,00.00	32,30.00	32,13.24	- 16.76
पु. - 3,70.00			

3,70.00 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत कर्जों की कम मांग को आरोपित की गई। 16.76 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

अनुदान संख्या 45 - (समाप्त)

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को निम्न में हुए आधिक्य द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	आधिक्य+ बचत -
7610. सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्ज			
201. भवन निर्माण अग्रिम			
(iii) अन्य कर्मचारियों को भवन मरम्मत एवं परिवर्धन हेतु उधार			
मू. 48.00	43.10	90.68	+ 47.58
पु. - 4.90			

47.58 लाख रुपये के अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

201. भवन निर्माण अग्रिम
(iv) हाउसिंग डवलपमेंट फाइनेन्सिंग
कार्पोरेशन से अन्य कर्मचारियों
को गृह निर्माण हेतु उधार

मू. 15,00.00	24,75.21	23,67.39	- 1,07.82
अ. 6,13.50			
पु. 3,61.71			

31 मार्च 1999 को पुनर्विनियोजन द्वारा 3,61.71 लाख रुपये की अतिरिक्त निधियां कर्मचारियों को गृह निर्माण हेतु अधिक ऋण जारी किये जाने के कारण उपलब्ध कराई गई। यद्यपि 1,07.82 लाख रुपये की अन्तिम बचत रही जिसके कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

अनुदान संख्या 46 - सिंचाई

मुख्य शीर्ष : राजस्व-2701. मुख्य तथा मध्यम सिंचाई और

2702. लघु सिंचाई

पूंजी-4701. मुख्य तथा मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,

4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय और

4711. बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग रु.	वास्तविक व्यय रु.	आधिक्य+ बचत - रु.
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	5,84,95,60,000	6,59,80,96,000	6,38,28,55,662	- 21,52,40,338
अनुपूरक	74,85,36,000			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1999)				4,74,44,000
प्रभारित				
मूल	4,86,000	17,68,000	8,28,318	- 9,39,682
अनुपूरक	12,82,000			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	7,52,21,58,000	7,52,21,60,000	6,84,83,09,022	- 67,38,50,978
अनुपूरक	2,000			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1999)				82,13,09,000
प्रभारित				
मूल	12,00,000	37,33,000	22,33,956	- 14,99,044
अनुपूरक	25,33,000			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1999)				7,63,000

अनुदान संख्या 46 - (क्रमशः)

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

दत्तमत

1. 21,52.40 लाख रुपये की अन्तिम बचत को देखते हुए, मार्च 1999 में लिया गया 74,85.36 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ तथा 16,77.96 लाख रुपये अन्अभ्यर्पित रहे।
2. बचत मुख्यतः निम्न में रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
2701. मुख्य तथा मध्यम सिंचाई			
01. मुख्य सिंचाई -वाणिज्यिक			
101. भाखरा नांगल परियोजना (मुख्य अभियन्ता, सिंचाई (उत्तर) विभाग के माध्यम से)			
(x) अन्य व्यय			
1. पूंजी लेखे पर ब्याज			
मू. 2,70.28	2,70.82	2,28.04	- 42.78
पु. 0.54			
01. मुख्य सिंचाई -वाणिज्यिक			
104. लूणकरणसर लिफ्ट (कंवर सेट लिफ्ट) योजना के लागू होने तथा अनुकरण पर व्यय (मुख्य अभियन्ता, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर)			
I- राजस्व कर्मचारी वर्ग			
मू. 89.20	85.30	38.73	- 46.57
पु. - 3.90			

अनुदान संख्या 46 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
01. मुख्य सिंचाई -वाणिज्यिक			
105. इन्दिरा गांधी नहर फीडर (पंजाब हिस्सा) (मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग (नहरें) पंजाब/मुख्य अभियन्ता, सिंचाई (उत्तर) विभाग के माध्यम से)			
(i) अनुरक्षण व्यय			
I- इन्दिरा गांधी नहर फीडर			
मू. 4,25.50			
पु. 16.00	4,41.50	1,38.81	- 3,02.69

उपरोक्त तीन शीर्षों में 3,92.04 लाख रुपये की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

01. मुख्य सिंचाई -वाणिज्यिक				
103. व्यास परियोजना				
(i) सिंचाई योजनाएं (भाखरा व्यास प्रबंधक मण्डल द्वारा व्यय)				
I- सिंचाई सामान्य निर्माण कार्य				
1. सामान्य निर्माण कार्यो में राजस्थान सरकार का हिस्सा				
मू. 20,23.75				
अ. 3,73.69	23,13.27	18,09.61	- 5,03.66	
पु. - 84.17				

01. मुख्य सिंचाई -वाणिज्यिक				
103. व्यास परियोजना				
(i) सिंचाई योजनाएं (भाखरा व्यास प्रबंधक मण्डल द्वारा व्यय)				
II- भाखरा व्यास प्रबन्धक मण्डल को अग्रिम				
मू. 20,23.75				
अ. 5,00.82	23,13.27	23,13.27	..	
पु. - 2,11.30				

अनुदान संख्या 46 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
03. मध्यम सिंचाई-वाणिज्यिक			
242. परियोजनाओं का आधुनिकीकरण/ नवीनीकरण/पुनर्जीविकरण/उन्नयन			
(i) निर्माण कार्य			
मू.	1,73.09	..	..
पु.	- 1,73.09	..	..

उपरोक्त तीन शीर्षों में 4,68.56 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत निर्माण कार्यों के कम निष्पादन को आरोपित की गई। 'शीर्ष 01-103(i) I-1.' में 5,03.66 लाख रुपये की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

01. मुख्य सिंचाई -वाणिज्यिक				
104. इंदिरा गाँधी नहर परियोजना				
(iii) लूणकरणसर लिफ्ट (कंवरसेन लिफ्ट)				
योजना का प्रवर्तन व अनुरक्षण व्यय				
(मुख्य अभियन्ता, इन्दिरा गांधी नहर				
परियोजना, बीकानेर)				
II- प्रवर्तन व अनुरक्षण व्यय				
मू.	16,74.45	15,57.45	15,84.50	+ 27.05
पु.	- 1,17.00			

1,17.00 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत तथा 27.05 लाख रुपये के अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

01. मुख्य सिंचाई -वाणिज्यिक				
204. नर्बदा परियोजना				
(i) अन्य व्यय				
1. पूंजी लेखे पर ब्याज				
मू.	15,74.52	14,26.86	14,13.75	- 13.11
पु.	- 1,47.66			

अनुदान संख्या 46 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
01. मुख्य सिंचाई -वाणिज्यिक			
205. नोहर फीडर परियोजना			
(i) अन्य व्यय			
1. पूंजी लेखे पर ब्याज			
मू.	6,99.06		
		6,78.08	- 63.82
पु.	- 20.98		

03. मध्यम सिंचाई -वाणिज्यिक			
239. अन्य परियोजनायें			
(i) अन्य व्यय			
1. पूंजी लेखे पर ब्याज			
मू.	3,00.85		
		1,69.44	+ 0.31
पु.	- 1,31.41		

उपरोक्त तीन शीर्षों में 3,00.05 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत पूंजी लेखे पर ब्याज की कम राशि को आरोपित की गई। 'शीर्ष 01-204(i) 1.' एवं '01-205(i) 1.' में क्रमशः 13.11 लाख रुपये एवं 63.82 लाख रुपये की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

01. मुख्य सिंचाई -वाणिज्यिक			
207. माही परियोजना			
(i) अन्य व्यय			
1. पूंजी लेखे पर ब्याज			
अ.	57,81.73	57,81.73	- 12,28.99

03. मध्यम सिंचाई -वाणिज्यिक			
101. गंग नहर (मुख्य अभियन्ता, सिंचाई (उत्तर) विभाग के माध्यम से)			
(i) निष्पादन			
जोड़िये- उप मुख्य शीर्ष - '80' से स्थानान्तरित आनुपातिक व्यय			
I- स्थापना			

मू.	61.14		
		80.00	- 53.35
पु.	18.86		

अनुदान संख्या 46 - (क्रमशः)

उपरोक्त दो शीर्षों में 12,82.34 लाख रुपये की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	आधिक्य+ बचत -
80. सामान्य			
799. उच्चत			
1. विकलन			
मू.	16,00.00		
अ.	4,24.42	16,68.28	16,71.66
पु.	- 3,56.14		+ 3.38

मार्च 1999 में 4,24.42 लाख का अनुपूरक अनुदान उच्चत लेखे में अधिक प्रावधान हेतु लिया गया। लेकिन 3,56.14 लाख रुपये की बचत प्रत्याशित की गयी तथा उच्चत लेखे के अन्तर्गत कम समायोजन के कारण 31 मार्च 1999 को पुनर्विनियोजित/ अभ्यर्पित किये गये।

80. सामान्य				
800. अन्य व्यय				
(i) उपनिवेशन योजनायें				
मू.	7,88.95			
		7,29.72	6,89.85	- 39.87
पु.	- 59.23			

59.23 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय को आरोपित की गई।

39.87 लाख रुपये की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

2702. लघु सिंचाई
01. सतही जल
800. अन्य व्यय
(i) अन्य सिंचाई निर्माण कार्य
जोड़िये- मद 2701-80 साधारण से
स्थानान्तरित आनुपातिक व्यय
I- स्थापना

मू.	5,98.94			
		63.06	92.69	+ 29.63
पु.	- 5,35.88			

अनुदान संख्या 46 - (क्रमशः)

5,35.88 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत आनुपातिक व्ययों की गणना के आधार में परिवर्तन के कारण स्थापना में अनुरक्षण व्ययों को शामिल नहीं किये जाने को आरोपित की गई ।

29.63 लाख रुपये के अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999) ।

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत निम्न में हुए आधिक्य द्वारा प्रति संतुलित की गयी:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	आधिक्य+ बचत -
2701. मुख्य तथा मध्यम सिंचाई			
01. मुख्य सिंचाई -वाणिज्यिक		-	
102. चम्बल परियोजना			
(vi) जवाहर सागर बांध			
II- अन्य व्यय			
1. पूंजी लेखे पर ब्याज			
मू.	7.86	84.84	+ 84.84
पु.	- 7.86		

निधियों के प्रावधान के बिना हुए व्यय के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999) ।

01. मुख्य सिंचाई -वाणिज्यिक
104. इंदिरा गाँधी नहर परियोजना
- (i) इन्दिरा गांधी नहर कि.मी. 0 से
कि.मी. 74 (मुख्य अभियन्ता, सिंचाई
(उत्तर) विभाग के माध्यम से)

II- अनुरक्षण व्यय

मू.	8,54.80	10,08.88	10,09.57	+ 0.69
पु.	1,54.08			

31 मार्च 1999 को पुनर्विनियोजन द्वारा 1,54.08 लाख रुपये की अतिरिक्त निधियां वेतन एवं भत्तों पर अधिक व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध कराई गई ।

अनुदान संख्या 46 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
01. मुख्य सिंचाई -वाणिज्यिक			
104. इंदिरा गाँधी नहर परियोजना			
(iv) अन्य व्यय			
1. पूंजी लेखे पर ब्याज			
मू. 1,74,77.00			
पु. 9,82.30	1,84,59.30	1,84,46.64	- 12.66

31 मार्च 1999 को पुनर्विनियोजन द्वारा 9,82.30 लाख रुपये की अतिरिक्त निधियां पूंजी लेखे पर अधिक ब्याज के भुगतान करने हेतु उपलब्ध कराई गई।

03. मध्यम सिंचाई -वाणिज्यिक			
101. गंग नहर (मुख्य अभियन्ता, सिंचाई			
(उत्तर) विभाग के माध्यम से)			
(ii) उचन्त			
1. विकलन			
मू. 10.00			
पु. - 5.47	4.53	78.51	+ 73.98

73.98 लाख रुपये के अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(i) मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग			
राजस्थान के अभिकरण से			
II- अधीक्षण			
मू. 2,65.53			
पु. 48.50	3,14.03	3,33.34	+ 19.31

31 मार्च 1999 को पुनर्विनियोजन द्वारा 48.50 लाख रुपये की अतिरिक्त निधियां वेतन एवं भत्तों पर अधिक व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध कराई गई।

19.31 लाख रुपये के अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

अनुदान संख्या 46 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
2702. लघु सिंचाई			
01. सतही जल			
800. अन्य व्यय			
(i) अन्य सिंचाई निर्माण कार्य			
मू.	23,85.50		
		27,06.60	+ 2,08.24
पु.	3,21.10		

31 मार्च 1999 को पुनर्विनियोजन द्वारा 3,21.10 लाख रुपये की अतिरिक्त निधियां वेतन एवं भत्तों पर अधिक व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध कराई गई।

2,08.24 लाख रुपये के अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

4. निम्न शीर्षों में अंतिम आधिक्यों/बचतों को देखते हुए, 31 मार्च 1999 को पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान की कमी/आवर्द्धन, अनावश्यक/अत्यधिक थी :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
2701. मुख्य तथा मध्यम सिंचाई			
01. मुख्य सिंचाई- वाणिज्यिक			
101. भाखरा नांगल परियोजना (मुख्य अभियन्ता, सिंचाई (उत्तर) विभाग के माध्यम से)			
(i) निदेशन तथा प्रशासन			
जोड़िये- उप मुख्य शीर्ष '80' से स्थानान्तरित आनुपातिक व्यय			
मू.	52.00		
		78.31	- 45.00
पु.	26.31		

31 मार्च 1999 को पुनर्विनियोजन द्वारा 26.31 लाख रुपये की अतिरिक्त निधियां आनुपातिक व्यय के समायोजन हेतु उपलब्ध कराई गई।

यद्यपि, 45.00 लाख रुपये की अन्तिम बचत रही, जिसके कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

अनुदान संख्या 46 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
01. मुख्य सिंचाई- वाणिज्यिक			
102. चम्बल परियोजना			
(v) राणा प्रताप सागर बांध			
I- निष्पादन			
मू.	2,70.69		
अ.	32.60	2,63.31	2,95.05
पु.	- 39.98		+ 31.74

मार्च 1999 में 32.60 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अनुरक्षण पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया। लेकिन 31 मार्च 1999 को 39.98 लाख रुपये दूसरे शीर्षों को पुनर्विनियोजित किये गये क्योंकि वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय हुआ।

यद्यपि, 31.74 लाख रुपये का अन्तिम आधिक्य रहा, जिसके कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

01. मुख्य सिंचाई- वाणिज्यिक				
206. सिद्धमुख परियोजना				
(i) अन्य व्यय				
1. पूंजी लेखे पर ब्याज				
मू.	12,01.04			
		12,71.21	11,77.71	- 93.50
पु.	70.17			

31 मार्च 1999 को पुनर्विनियोजन द्वारा 70.17 लाख रुपये की अतिरिक्त निधियां पूंजी लेखे पर ब्याज के अधिक भुगतान हेतु उपलब्ध कराई गई।

यद्यपि, 93.50 लाख रुपये की अन्तिम बचत रही, जिसके कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

01. मुख्य सिंचाई - वाणिज्यिक				
208. बिसलपुर परियोजना				
(i) अन्य व्यय				
1. पूंजी लेखे पर ब्याज				
मू.	15,83.55			
		12,49.00	13,87.17	+ 1,38.17
पु.	- 3,34.55			

31 मार्च 1999 को 3,34.55 लाख रुपये का प्रावधान पूंजी लेखे पर ब्याज के कम आवश्यकता के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किये गये। यद्यपि, ब्याज अधिक चार्ज किया गया, 1,38.17 लाख रुपये के अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

अनुदान संख्या 46 - (क्रमशः)

5. उच्चतम लेन-देन: "उच्चतम" लेन देनों की प्रवृत्ति विनियोग लेख के अनुदान संख्या "19-लोक निर्माण कार्य" के नीचे टिप्पणी (3) (राजस्व अनुभाग) में स्पष्ट की गई है।

1998-99 में अनुदान के राजस्व अनुभाग में "उच्चतम" लेन-देनों का वर्गीकरण विभिन्न उप-शीर्षों के अन्तर्गत प्रारम्भिक और अंत शेषों सहित नीचे दिया गया है :-

"उच्चतम" के अंतर्गत उपशीर्ष	प्रारम्भिक शेष नामे(+) जमा(-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	अन्त शेष नामे(+) जमा(-)
(लाख रुपयों में)				
2701. मुख्य तथा मध्यम सिंचाई स्टॉक	(+) 5,22.72	11,07.64	10,94.16	(+) 5,36.20
विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	(+) 6,23.73	5,64.02	5,86.18	(+) 6,01.60
योग	(+) 11,46.45	16,71.66	16,80.34	(+) 11,37.80

प्रभारित

- 9.40 लाख रुपये की अन्तिम बचत को देखते हुए, मार्च 1999 में लिया गया 12.82 लाख रुपये का अनुपूरक विनियोजन अत्यधिक सिद्ध हुआ तथा सम्पूर्ण बचत अन्वर्धित रही।

पूंजी

दत्तमत

- 67,38.51 लाख रुपये की अन्तिम बचत को देखते हुए, 82,13.09 लाख रुपये की राशि का अभ्यर्पण अत्यधिक था।
- बचत मुख्यतः निम्न में रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
4701. मुख्य तथा मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. मुख्य सिंचाई - वाणिज्यिक			
102. चम्बल परियोजना			
(1) कोटा बैराज			
(i) मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग के माध्यम द्वारा			
II- बांध तथा अनुषंगिक निर्माण कार्य (कोटा बैराज का उद्योग)			
मू.	8,00.00		
		2,70.00	2,69.68
पु.	- 5,30.00		- 0.32

अनुदान संख्या 46 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	आधिक्य+ बचत -
01. मुख्य सिंचाई - वाणिज्यिक			
104. इंदिरा गांधी नहर परियोजना			
(iv) सीमा क्षेत्रों के विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त			
I- मुख्य अभियन्ता, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर के माध्यम द्वारा			
मू. 16,00.00	10,50.00	10,77.09	+ 27.09
पु. - 5,50.00			
01. मुख्य सिंचाई - वाणिज्यिक			
104. इंदिरा गांधी नहर परियोजना			
(iv) सीमा क्षेत्रों के विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त			
II- गजनेर लिफ्ट योजना			
मू. 5,40.00	4,00.00	4,00.00	..
पु. - 1,40.00			
01. मुख्य सिंचाई - वाणिज्यिक			
104. इंदिरा गांधी नहर परियोजना			
(iv) सीमा क्षेत्रों के विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त			
III- कोलायत लिफ्ट योजना			
मू. 6,35.00	3,35.00	3,54.32	+ 19.32
पु. - 3,00.00			
01. मुख्य सिंचाई - वाणिज्यिक			
104. इंदिरा गांधी नहर परियोजना			
(iv) सीमा क्षेत्रों के विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त			
IV- फलोदी लिफ्ट योजना			
मू. 2,00.00	95.00	52.11	- 42.89
पु. - 1,05.00			

अनुदान संख्या 46 - (क्रमशः)

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
01. मुख्य सिंचाई - वाणिज्यिक				
207. माही परियोजना				
(ii) इकाई संख्या 2- नहरें				
मू.	38,12.50	29,43.75	29,60.64	+ 16.89
पु.	- 8,68.75			
03. मध्यम सिंचाई- वाणिज्यिक				
203. पांचना परियोजना				
(i) निर्माण कार्य				
मू.	2,16.78	1,12.45	1,31.62	+ 19.17
पु.	- 1,04.33			
03. मध्यम सिंचाई- वाणिज्यिक				
203. पांचना परियोजना				
(iv) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम				
मू.	3,27.00	2,25.00	2,25.00	..
पु.	- 1,02.00			
03. मध्यम सिंचाई- वाणिज्यिक				
204. सोमकमला अम्बा परियोजना				
(i) निर्माण कार्य				
मू.	22,76.61	14,97.08	15,99.56	+ 1,02.48
पु.	- 7,79.53			

अनुदान संख्या 46 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	आधिक्य+ बचत -
03. मध्यम सिंचाई- वाणिज्यिक			
215. छापी परियोजना			
(i) निर्माण कार्य			
मू. 3,40.17			
पु. - 50.65	2,89.52	2,90.70	+ 1.18
03. मध्यम सिंचाई- वाणिज्यिक			
217. बिलास परियोजना			
(i) निर्माण कार्य			
मू. 89.67			
पु. - 74.40	15.27	15.60	+ 0.33
03. मध्यम सिंचाई- वाणिज्यिक			
223. चंवली परियोजना			
(i) निर्माण कार्य			
मू. 3,25.88			
पु. - 1,25.32	2,00.56	2,08.54	+ 7.98
03. मध्यम सिंचाई- वाणिज्यिक			
227. गालवा परियोजना			
(i) बांध सुरक्षा निर्माण कार्य			
मू. 4,68.12			
पु. - 1,80.05	2,88.07	2,89.45	+ 1.38

अनुदान संख्या 46 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत -
03. मध्यम सिंचाई- वाणिज्यिक			
240. बैथाली परियोजना			
(i) निर्माण कार्य			
मू. 9,57.63	6,10.56	6,21.43	+ 10.87
पु. - 3,47.07			
03. मध्यम सिंचाई- वाणिज्यिक			
242. परियोजनाओं का पुनर्जीविकरण/ उन्नयन/ आधुनिकीकरण/ नवीनीकरण			
(i) निर्माण कार्य			
मू. 2,06.89	30.53	35.08	+ 4.55
पु. - 1,76.36			
04. मध्यम सिंचाई- अवाणिज्यिक			
201. परवन लिफ्ट योजना			
(i) निर्माण कार्य			
मू. 7,83.42	6,86.88	6,90.63	+ 3.75
पु. - 96.54			
उपरोक्त सोलह शीर्षों में 45,30.00 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत मुख्यतः निर्माण कार्यों के कम निष्पादन को आरोपित की गई।			
विभिन्न शीर्षों में अंतिम बचत/आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।			
01. मुख्य सिंचाई - वाणिज्यिक			
102. चम्बल परियोजना			
(2) दाहिनी नहर			
(ii) क्षेत्रीय विकास आयुक्त, चम्बल के माध्यम से			
V- उच्चत			
1. विकलन			
मू. 4,17.00	1,78.27	1,78.75	+ 0.48
पु. - 2,38.73			

अनुदान संख्या 46 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	आधिक्य+ बचत -
01. मुख्य सिंचाई - वाणिज्यिक			
104. इंदिरा गांधी नहर परियोजना			
(iii) द्वितीय चरण			
XII- उच्चत			
1. विकलन			
मू.	67,43.23		
		38,55.49	40,22.85
पु.	- 28,87.74		+ 1,67.36
01. मुख्य सिंचाई - वाणिज्यिक			
204. नर्बदा परियोजना			
(iv) उच्चत			
1. विकलन			
मू.	2,15.00		
		1,30.00	1,20.19
पु.	- 85.00		- 9.81

उपरोक्त तीन शीर्षों में 32,11.47 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत उच्चत लेखों के अन्तर्गत कम समायोजन को आरोपित की गई।

'शीर्ष 01-104(iii)XII-1.' के अन्तर्गत 1,67.36 लाख रुपये के अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

01. मुख्य सिंचाई - वाणिज्यिक
104. इंदिरा गांधी नहर परियोजना
(iii) द्वितीय चरण
I- मुख्य अभियंता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर के माध्यम से

मू.	46,27.70			
		37,53.92	37,78.54	+ 24.62
पु.	- 8,73.78			

8,73.78 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय को आरोपित की गई।

24.62 लाख रुपये के अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

अनुदान संख्या 46 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
01. मुख्य सिंचाई - वाणिज्यिक			
104. इंदिरा गांधी नहर परियोजना			
(iii) द्वितीय चरण			
XI- मुख्य अभियंता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जैसलमेर के माध्यम से			
मू.	24,55.31		
		14,97.53	14,28.25
पु.	- 9,57.78		- 69.28

9,57.78 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय तथा (ii) निर्माण कार्यों के कम निष्पादन को आरोपित की गई।

69.28 लाख रुपये की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

01. मुख्य सिंचाई - वाणिज्यिक			
104. इंदिरा गांधी नहर परियोजना			
(iv) सीमा क्षेत्रों के विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त सहायता			
VI- मुख्य अभियंता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जैसलमेर के माध्यम से			
मू.	30,00.00		
		11,00.00	10,93.98
पु.	- 19,00.00		- 6.02

19,00.00 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत मुख्यतः निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के परिणाम स्वरूप सीमा क्षेत्रों के विकास कार्यक्रम के लिए भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने को आरोपित की गई (सितम्बर 1999)।

01. मुख्य सिंचाई - वाणिज्यिक			
204. नर्बदा परियोजना			
(ii) निर्माण कार्य			
मू.	20,61.58		
		14,70.35	14,71.55
पु.	- 5,91.23		+ 1.20

अनुदान संख्या 46 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
01. मुख्य सिंचाई - वाणिज्यिक 204. नर्बदा परियोजना (v) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम			
मू. 23,01.70	17,00.00	16,99.00	- 1.00
पु. - 6,01.70			
01. मुख्य सिंचाई - वाणिज्यिक 208. बीसलपुर परियोजना (iv) निर्माण कार्य			
मू. 51,99.55	30,93.97	30,96.90	+ 2.93
पु. - 21,05.58			

उपरोक्त तीन शीर्षों में 32,98.51 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत आयोजना सीमा में कमी के कारण निर्माण कार्यों के कम निष्पादन को आरोपित की गई।

01. मुख्य सिंचाई - वाणिज्यिक
208. बीसलपुर परियोजना
(vi) उचन्त
1. विकलन

मू. 18,00.00	10,73.10	11,35.82	+ 62.72
पु. - 7,26.90			

7,26.90 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत अन्तिम शीर्षों को उचन्त लेखों के अन्तर्गत कम समायोजन को आरोपित की गई।
62.72 लाख रुपये के अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

03. मध्यम सिंचाई- वाणिज्यिक
203. पांचना परियोजना
जोड़िये- आनुपातिक व्यय शीर्ष 2701 से स्थानान्तरित
I- स्थापना

मू. 1,04.22	1,06.55	41.57	- 64.98
पु. 2.33			

अनुदान संख्या 46 - (क्रमशः)

64.98 लाख रुपये की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
101. सतही जल			
(ii) लघु सिंचाई निर्माण कार्य			
II- निर्माण कार्य			
मू.	43,01.59	24,42.00	24,49.24 + 7.24
पु.	- 18,59.59		

31 मार्च 1999 को 18,59.59 लाख रुपये का प्रावधान आयोजना सीमा में कटौती के कारण निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया।

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत निम्न में हुए आधिक्य द्वारा प्रतिसंतुलित की गयी :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
4701. मुख्य तथा मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. मुख्य सिंचाई - वाणिज्यिक			
102. चम्बल परियोजना			
4. राणा प्रताप सागर बांध			
(i) बांध और सम्बन्धित कार्य			
मू.	2.00	67.10	66.82 - 0.28
पु.	65.10		

अनुदान संख्या 46 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	आधिक्य+ बचत -
01. मुख्य सिंचाई - वाणिज्यिक			
104. इंदिरा गांधी नहर परियोजना			
(ii) विस्तार, नवीनीकरण व आधुनिकीकरण योजना			
III- मुख्य नहर (कि.मी. 74 से कि.मी. 189)			
मुख्य अभियन्ता, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर के माध्यम से			
मू. 5,26.06	6,80.42	6,92.75	+ 12.33
पु. 1,54.36			
01. मुख्य सिंचाई - वाणिज्यिक			
104. इंदिरा गांधी नहर परियोजना			
(iii) द्वितीय चरण			
X- बांगढ़सर लिफ्ट योजना			
मू. 63.23	1,65.00	1,65.16	+ 0.16
पु. 1,01.77			
01. मुख्य सिंचाई - वाणिज्यिक			
104. इंदिरा गांधी नहर परियोजना			
(v) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि			
II- गजनेर लिफ्ट योजना			
मू. 1,50.00	3,00.00	3,00.80	+ 0.80
पु. 1,50.00			

अनुदान संख्या 46 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
01. मुख्य सिंचाई - वाणिज्यिक			
104. इंदिरा गांधी नहर परियोजना			
(v) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि			
III- कोलायत लिफ्ट योजना			
मू. 3,50.00	7,00.00	6,99.84	- 0.16
पु. 3,50.00			
01. मुख्य सिंचाई - वाणिज्यिक			
104. इंदिरा गांधी नहर परियोजना			
(v) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि			
V- मुख्य अभियन्ता, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, जैसलमेर के माध्यम से			
मू. 22,50.00	32,00.00	33,87.64	+ 1,87.64
पु. 9,50.00			
01. मुख्य सिंचाई - वाणिज्यिक			
104. इंदिरा गांधी नहर परियोजना			
(v) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि			
VI- मुख्य अभियन्ता, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर के माध्यम से			
मू. 50.00	8,00.00	7,91.22	- 8.78
पु. 7,50.00			

अनुदान संख्या 46 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
01. मुख्य सिंचाई - वाणिज्यिक			
104. इंदिरा गांधी नहर परियोजना			
(v) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि			
VII- पोकरण लिफ्ट योजना			
मू. 1,00.00	5,00.00	5,00.59	+ 0.59
पु. 4,00.00			
01. मुख्य सिंचाई - वाणिज्यिक			
202. जाखम परियोजना			
(ii) निर्माण कार्य व्यय			
मू. 1,87.70	2,42.46	2,71.67	+ 29.21
पु. 54.76			
03. मध्यम सिंचाई- वाणिज्यिक			
101. गंग नहर (मुख्य अभियन्ता, सिंचाई (उत्तर) विभाग के माध्यम से)			
(i) राजस्थान में निर्माण कार्य			
I- आधुनिकीकरण			
मू. 1,72.00	3,70.01	3,70.08	+ 0.07
पु. 1,98.01			
03. मध्यम सिंचाई- वाणिज्यिक			
104. पारबती परियोजना (धौलपुर)			
(i) बांध सुरक्षा निर्माण कार्य			
मू. 6,54.55	12,49.83	12,72.89	+ 23.06
पु. 5,95.28			

अनुदान संख्या 46 - (क्रमशः)

उपरोक्त ग्यारह शीर्षों में 31 मार्च 1999 को पुनर्विनियोजन द्वारा 37,69.28 लाख रुपये की अतिरिक्त निधियां अधिक निर्माण कार्यों के निष्पादन के कारण उपलब्ध कराई गई।

विभिन्न शीर्षों में हुए अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत -
01. मुख्य सिंचाई- वाणिज्यिक			
103. व्यास परियोजना			
(iii) व्यास बांध (व्यास निर्माण मण्डल द्वारा व्यय)			
मू.	3.28		
		3.18	2,67.60 + 2,64.42
पु.	- 0.10		
01. मुख्य सिंचाई- वाणिज्यिक			
202. जाखम परियोजना			
जोड़िये- मुख्य शीर्ष 2701 से स्थानान्तरित आनुपातिक व्यय			
I- स्थापना			
मू.	8.00		
		15.84	85.80 + 69.96
पु.	7.84		
01. मुख्य सिंचाई- वाणिज्यिक			
207. माही परियोजना			
(iii) यूनिट संख्या 3-सामान्य निर्माण कार्य			
मू.	2.00		
		1,50.00	+ 1,50.00
पु.	- 2.00		

उपरोक्त तीन शीर्षों में 4,84.38 लाख रुपये के अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

अनुदान संख्या 46 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	आधिक्य+ बचत -
01. मुख्य सिंचाई- वाणिज्यिक			
104. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना			
(ii) विस्तार, नवीनीकरण व आधुनिकीकरण योजना			
VI- उच्चन्त			
1. विकलन			
मू.	1,25.00		
पु.	1,43.00		
		2,68.00	2,68.65 + 0.65
01. मुख्य सिंचाई- वाणिज्यिक			
104. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना			
(iii) द्वितीय चरण			
II- उच्चन्त			
1. विकलन			
मू.	58,75.00		
पु.	35,32.50		
		94,07.50	1,03,69.13 + 9,61.63
01. मुख्य सिंचाई- वाणिज्यिक			
104. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना			
(iii) द्वितीय चरण			
III- नोहर सावा लिफ्ट योजना			
मू.	2,45.00		
पु.	1,10.00		
		3,55.00	4,00.65 + 45.65

उपरोक्त तीन शीर्षों में 31 मार्च 1999 को पुनर्विनियोजन द्वारा 37,85.50 लाख रुपये उच्चन्त लेखे द्वारा अधिक लेनदेन के कारण उपलब्ध कराई गई।

अन्तिम दो शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

अनुदान संख्या 46 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
01. मुख्य सिंचाई- वाणिज्यिक 104. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (iii) द्वितीय चरण IV- गजनेर लिफ्ट योजना जोड़िये- (iii)से स्टेज II (i) को स्थानान्तरित आनुपातिक व्यय			
मू. 1,00.00	2,05.00	2,05.00	..
पु. 1,05.00			
01. मुख्य सिंचाई- वाणिज्यिक 104. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (iii) द्वितीय चरण V- कोलायत लिफ्ट योजना जोड़िये- (iii)से स्टेज II (i) को स्थानान्तरित आनुपातिक व्यय			
मू. 1,50.00	2,10.00	2,10.00	..
पु. 60.00			
01. मुख्य सिंचाई- वाणिज्यिक 104. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (iii) द्वितीय चरण VI- फलौदी लिफ्ट योजना जोड़िये- (iii)से स्टेज II (i) को स्थानान्तरित आनुपातिक व्यय			
मू. 1,00.00	1,80.00	1,80.00	..
पु. 80.00			

अनुदान संख्या 46 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत -
01. मुख्य सिंचाई- वाणिज्यिक 104. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (iii) द्वितीय चरण VII- पोकरण लिफ्ट योजना जोड़िये- (iii) से स्टेज II (i) को स्थानान्तरित आनुपातिक व्यय			
मू. 45.00	1,70.00	1,70.00	..
पु. 1,25.00			
03. मध्यम सिंचाई- वाणिज्यिक 104. पारवती परियोजना (धौलपुर) (i) बांध सुरक्षा निर्माण कार्य जोड़िये- मुख्य शीर्ष 2701 से स्थानान्तरित आनुपातिक व्यय I- स्थापना			
मू. 2,45.45	3,87.17	4,01.99	+ 14.82
पु. 1,41.72			
04. मध्यम सिंचाई- अवाणिज्यिक 201. परबन लिफ्ट योजना जोड़िये- मुख्य शीर्ष 2701 से स्थानान्तरित आनुपातिक व्यय I- स्थापना			
मू. 1,16.58	2,13.12	2,18.11	+ 4.99
पु. 96.54			

उपरोक्त छः शीर्षों में 31 मार्च 1999 को पुनर्विनियोजन द्वारा 6,08.26 लाख रुपये की अतिरिक्त निधियां अधिक आनुपातिक व्यय के समायोजन के लिए उपलब्ध कराई गईं।

शीर्ष '03-104(i) I' में हुए अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

अनुदान संख्या 46 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	आधिक्य+ बचत -
03. मध्यम सिंचाई- वाणिज्यिक			
204. सोमकमला अम्बा परियोजना			
जोड़िये- मुख्य शीर्ष 2701 से स्थानान्तरित			
आनुपातिक व्यय			
I- स्थापना			
मू. 3,26.39	4,49.92	5,04.47	+ 54.55
पु. 1,23.53			

31 मार्च 1999 को पुनर्विनियोजन द्वारा 1,23.53 लाख रुपये का प्रावधान नाबार्ड द्वारा संधारित परियोजनाओं की आयोजना सीमा में वृद्धि के परिणामस्वरूप स्थापना व्यय के लिये निधियों में वृद्धि हेतु उपलब्ध कराया गया।

54.55 लाख रुपये के अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

01. मुख्य सिंचाई - वाणिज्यिक
104. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना
(iii) द्वितीय चरण
VII- पोकरण लिफ्ट योजना

मू. 25.00	6,70.00	6,46.12	- 23.88
पु. 6,45.00			

31 मार्च 1999 को पुनर्विनियोजन द्वारा 6,45.00 लाख रुपये की अतिरिक्त निधियां मुख्यतः (i)निर्माण कार्य के निष्पादन तथा (ii) उच्चतम लेखों के द्वारा अधिक लेनदेन के कारण उपलब्ध कराई गई।

23.88 लाख रुपये की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

4711. बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर
पूँजीगत परिव्यय

01. बाढ़ नियंत्रण

- III- अन्य जिलों में बाढ़ नियंत्रण
निर्माण कार्य

103. सिविल निर्माण कार्य

- (iii) अन्य जिलें

मू. 0.03	1,37.38	1,30.32	- 7.06
पु. 1,37.35			

अनुदान संख्या 46 - (क्रमशः)

31 मार्च 1999 को पुनर्विनियोजन द्वारा 1,37.35 लाख रुपये की अतिरिक्त निधियां अधिक निर्माण कार्यों के निष्पादन के लिए उपलब्ध कराई गई।

4. निम्न शीर्षों में अंतिम आधिक्य/बचत को देखते हुए, 31 मार्च 1999 को अभ्यर्पण/पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान की कमी/आवर्धन अत्यधिक/अनावश्यक सिद्ध हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	आधिक्य+ बचत -
4701. मुख्य तथा मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. मुख्य सिंचाई - वाणिज्यिक			
104. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना			
(iii) द्वितीय चरण			
V- कोलायत लिफ्ट योजना			
मू. 5,00.00	5,62.50	5,00.02	- 62.48
पु. 62.50			
01. मुख्य सिंचाई - वाणिज्यिक			
104. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना			
(v) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि			
IV- फलौदी लिफ्ट योजना			
मू. 4,50.00	7,50.00	5,86.16	- 1,63.84
पु. 3,00.00			
80. सामान्य			
800. अन्य व्यय			
(i) सामान्य निर्माण कार्य			
VIII- बांध सुरक्षा निर्माण कार्य- अन्य बांध			
मू. 5,22.01	6,29.64	5,80.47	- 49.17
पु. 1,07.63			

उपरोक्त तीन शीर्षों में 31 मार्च 1999 को पुनर्विनियोजन द्वारा 4,70.13 लाख रुपये की अतिरिक्त निधियां निर्माण कार्यों के निष्पादन के लिए उपलब्ध कराई गई।

अनुदान संख्या 46 - (क्रमशः)

यद्यपि, सभी शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत रही, जिसके कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
01. मुख्य सिंचाई - वाणिज्यिक			
104. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना			
(iii) द्वितीय चरण			
VI- फलौदी लिफ्ट योजना			
मू. 6,00.00	2,55.00	3,43.41	+ 88.41
पु. - 3,45.00			

3,45.00 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत निर्माण कार्यों के कम निष्पादन को आरोपित की गई।

यद्यपि, 88.41 लाख रुपये का आधिक्य रहा, जिसके कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

03. मध्यम सिंचाई- वाणिज्यिक
204. सोम कमला अम्बा परियोजना
(iii) उच्चत
1. विकलन

मू. 2,38.55	1,70.55	2,22.22	+ 51.67
पु. - 68.00			

68.00 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत अन्तिम शीर्ष को उच्चत लेखों के अन्तर्गत कम समायोजन को आरोपित की गई।

यद्यपि, 51.67 लाख रुपये का आधिक्य रहा, जिसके कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

03. मध्यम सिंचाई- वाणिज्यिक
214. छापी परियोजना
जोड़िये- शीर्ष 2701 से स्थानान्तरित
आनुपातिक व्यय
I- स्थापना

मू. 2,09.83	2,60.48	91.81	- 1,68.67
पु. 50.65			

अनुदान संख्या 46 - (समाप्त)

31 मार्च 1999 को पुनर्विनियोजन द्वारा 50.65 लाख रुपये की अतिरिक्त निधियां बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं की आयोजना सीमा में वृद्धि के परिणामस्वरूप स्थापना व्ययों हेतु निधियों में वृद्धि के कारण उपलब्ध कराई गई।

1,68.67 लाख रुपये की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	आधिक्य+ बचत -
03. मध्यम सिंचाई- वाणिज्यिक			
223. चवली परियोजना			
जोड़िये- शीर्ष 2701 से स्थानान्तरित			
आनुपातिक व्यय			
I- स्थापना			
मू. 64.12	1,89.44	65.86	- 1,23.58
पु. 1,25.32			

31 मार्च 1999 को पुनर्विनियोजन द्वारा 1,25.32 लाख रुपये की अतिरिक्त निधियां बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं की आयोजना सीमा में वृद्धि के परिणामस्वरूप स्थापना व्ययों हेतु निधियों में वृद्धि के कारण उपलब्ध कराई गई।

1,23.58 लाख रुपये की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय
101. सतही जल
(ii) लघु सिंचाई निर्माण कार्य
जोड़िये- शीर्ष 2701 से स्थानान्तरित
आनुपातिक व्यय
I- स्थापना

मू. 7,40.21	9,03.45	7,73.49	- 1,29.96
पु. 1,63.24			

31 मार्च 1999 को पुनर्विनियोजन द्वारा 1,63.24 लाख रुपये की अतिरिक्त निधियां आनुपातिक व्यय के समायोजन के लिए उपलब्ध कराई गई।

1,29.96 लाख रुपये की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

प्रभारित

1. 14.99 लाख रुपये की अन्तिम बचत को देखते हुए, मार्च 1999 में लिया गया 25.33 लाख रुपये का अनुपूरक विनियोजन अत्यधिक सिद्ध हुआ और 7.36 लाख रुपये अनुअभ्यर्पित रहे।

अनुदान संख्या 47 - पर्यटन

मुख्य शीर्ष : राजस्व-3452. पर्यटन

पूंजी-5452. पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान	वास्तविक	आधिक्य+
		रु.	व्यय रु.	बचत - रु.
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	7,81,08,000	7,81,08,000	6,08,20,705	- 1,72,87,295
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित				
राशि (मार्च 1999)				1,73,36,000
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	6,91,54,000	6,91,54,000	3,29,09,620	- 3,62,44,380
अनुपूरक	..			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित

राशि (मार्च 1999)

3,10,67,000

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

दत्तमत

- 1,72.87 लाख रुपये की अंतिम बचत को देखते हुए, 1,73.36 लाख रुपये की राशि का अभ्यर्पण अत्यधिक था।

अनुदान संख्या 47 - (क्रमशः)

2. बचत मुख्यतः निम्न में रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
3452. पर्यटन			
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
मू. 3,07.86	2,24.95	2,27.33	+ 2.38
पु. - 82.91			

82.91 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) पदों के रिक्त रहने, (ii) पर्यटन को प्रोत्साहन हेतु अनुदानों की स्वीकृति के प्रस्ताव कम प्राप्त होने और (iii) आयोजना सीमा में कटौती को आरोपित की गई।

80. सामान्य

800. अन्य व्यय

(ii) पर्यटक सूचना और प्रचार

मू. 3,21.00	2,72.06	2,70.41	- 1.65
पु. - 48.94			

48.94 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत आयोजना सीमा में कटौती को आरोपित की गई।

पूँजी

दत्तमत

1. 3,62.44 लाख रुपये की अन्तिम बचत में से, 51.77 लाख रुपये अन्वर्धित रहे।

2. बचत मुख्यतः निम्न में रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
5452. पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
800. अन्य व्यय			
(i) पर्यटन स्थलों का विकास			
मू. 6,41.50	3,36.87	3,15.10	- 21.77
पु. - 3,04.63			

अनुदान संख्या 47 - (समाप्त)

3,04.63 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत आयोजना सीमा में कटौती के कारण पर्यटन स्थलों के विकास पर कम व्यय होने को आरोपित की गई।

21.77 लाख रुपये की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

अनुदान संख्या 48 - विद्युत् (समस्त दत्तमत)

मुख्य शीर्ष : राजस्व-2801. बिजली

पूंजी-4801. बिजली परियोजनाओं पर
पर पूंजीगत परिव्यय,

4810. अपराम्परिक ऊर्जा स्रोतों पर पूंजीगत
परिव्यय और

6801. बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज

		कुल अनुदान	वास्तविक	आधिक्य+
		रु.	व्यय रु.	बचत - रु.
राजस्व				
मूल	2,01,72,26,000	2,97,80,35,000	2,97,80,35,875	+ 875
अनुपूरक	96,08,09,000			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
पूंजी				
मूल	2,44,10,00,000	2,55,34,08,000	2,55,31,00,000	- 3,08,000
अनुपूरक	11,24,08,000			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1999)				3,08,000

अनुदान संख्या 48 - (समाप्त)

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

दत्तमत

1. व्यय अनुदान से 875 रुपये अधिक हुआ जिसका नियमन अपेक्षित है।
2. निम्न शीर्षों के अन्तर्गत प्रावधान पूर्व शीर्ष में कराया गया लेकिन व्यय बाद वाले शीर्ष के द्वारा किया गया उसके परिणामस्वरूप इन शीर्षों के अन्तर्गत क्रमशः बचत और आधिक्य रहा :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
2801. बिजली			
80 सामान्य			
800. अन्य व्यय			
(ii) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल			
से ब्याज कटौती वाले अनुदान			
मू. 15,59.00			
	15,28.41	..	- 15,28.41
पु. - 30.77			
80 सामान्य			
800. अन्य व्यय			
(iii) विद्युत नियमावली - 1948 नियम			
63 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य			
विद्युत मण्डल को अनुदान			
मू. 1,81,53.08			
अ. 96,08.09	2,78,43.02	2,93,71.44	+ 15,28.42
पु. 81.85			

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत और आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

अनुदान संख्या 49 - स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन (समस्त दत्तमत)

मुख्य शीर्ष : राजस्व-3604. स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन

	कुल अनुदान रु.	वास्तविक व्यय रु.	आधिक्य+ बचत - रु.
राजस्व			
मूल	25,15,49,000		
अनुपूरक	3,53,43,000		
	28,68,92,000	28,51,82,382	- 17,09,618
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1999)			4,07,000
टिप्पणी तथा टीका:			
राजस्व			

दत्तमत

1. 17.10 लाख रुपये की अन्तिम बचत में से, 13.03 लाख रुपये अन्अभ्यर्पित रहे।

अनुदान संख्या 50 - ग्रामीण रोजगार

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2505. ग्राम्य रोजगार
पूंजी - 4515. अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत
परिव्यय और
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय

	कुल अनुदान रु.	वास्तविक व्यय रु.	आधिक्य+ बचत - रु.
राजस्व			
मूल	36,01,60,000		
अनुपूरक	..		
	36,01,60,000	4,33,07,000	- 31,68,53,000
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1999)			31,53,62,000

अनुदान संख्या 50 - (क्रमशः)

		कुल अनुदान रु.	वास्तविक व्यय रु.	आधिक्य+ बचत - रु.
तूजी				
मूल	1,22,86,40,000	1,22,86,41,000	67,09,38,000	- 55,77,03,000
अनुपूरक	1,000			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1999)				55,20,18,000

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

1. बचत मुख्यतः निम्न में रही :-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	आधिक्य+ बचत -
2505. ग्राम्य रोजगार				
01. राष्ट्रीय कार्यक्रम				
702. जवाहर रोजगार योजना				
(ii) जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को सहायतार्थ अनुदान				
I- निर्माण कार्य				
1. इन्दिरा आवास योजना				
मू.	19,29.55	3,57.50	3,53.10	- 4.40
पु.	- 15,72.05			
01. राष्ट्रीय कार्यक्रम				
702. जवाहर रोजगार योजना				
(ii) जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को सहायतार्थ अनुदान				
I- निर्माण कार्य				
2. जीवन धारा				
मू.	15,60.00	73.71	73.71	..
पु.	- 14,86.29			

अनुदान संख्या 50 - (क्रमशः)

उपरोक्त दो शीर्षों में 30,58.34 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा अनुदान सीधे ही जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को उपलब्ध कराई जाने को आरोपित की गई।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
01. राष्ट्रीय कार्यक्रम			
703. सुनिश्चित रोजगार योजना			
(i) जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को सहायतार्थ अनुदान			
मू.	61.60	..	..
पु.	- 61.60	..	..

31 मार्च 1999 को 61.60 लाख रुपये का सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

पूंजी

- 55,77.03 लाख रुपये की अन्तिम बचत में से, 56.85 लाख रुपये अन्अभ्यर्पित रहे।
- बचत मुख्यतः निम्न में रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
45 15. अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
101. ग्रामीण विकास			
(i) जवाहर रोजगार योजना			
I- जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को निर्माण कार्यों हेतु अनुदान			
मू.	67,60.00	28,14.29	- 49.35
पु.	- 38,96.36		

अनुदान संख्या 50 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	आधिक्य+ बचत -
101. ग्रामीण विकास			
(ii) सुनिश्चित रोजगार योजना			
I- जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को निर्माण कार्यो हेतु अनुदान			
मू. 25,12.40	20,43.75	20,36.25	- 7.50
पु. - 4,68.65			
101. ग्रामीण विकास			
(iii) अपना गांव अपना काम योजना			
I- जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को निर्माण कार्यो हेतु अनुदान			
मू. 29,75.00	18,58.84	18,58.84	..
पु. - 11,16.16			

उपरोक्त तीन शीर्षों में 54,81.17 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा अनुदान सीधे ही जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को उपलब्ध कराये जाने को आरोपित की गई।

शीर्ष 4515-101(i)I के अन्तर्गत 49.35 लाख रुपये की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)।

परि-
(पृष्ठ 18 पर विनियोग लेखों के
व्यय में कमी के रूप में लेखों में समायोजित वसूलियों
बजट अनुमान

अनुदान संख्या और नाम

	राजस्व रु.	पूंजी रु.
9. वन	71,50,000	..
12. अन्य कर	2,99,88,000	..
14. बिक्री कर	2,37,23,000	..
15. पेंशन व अन्य सेवा निवृत्ति लाभ	10,01,000	..
16. पुलिस	2,00,80,000	..
19. लोक निर्माण कार्य	2,17,23,25,000	..
20. आवास	..	..
21. सड़के एवं पुल	18,28,83,000	..
22. क्षेत्र का विकास	..	8,69,90,000
23. श्रम और रोजगार	5,00,000	..
24. शिक्षा, कला और संस्कृति	..	1,64,000
26. चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई	19,48,000	..
27. पेय जल योजना	85,20,77,000	1,49,50,00,000
33. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	14,69,86,000	..
34. प्राकृतिक आपदाओं से राहत	68,96,38,000	..
36. सहकारिता	..	..
39. पशुपालन एवं चिकित्सा	..	1,00,000
42. उद्योग	..	..
43. खनिज	..	..
46. सिंचाई	84,21,78,000	2,11,62,46,000
दत्तमत	4,97,04,77,000	3,69,85,00,000
कुल वसूलियाँ		

शिष्ट
सारांश में उल्लिखित)
के अनुमानों एवं वास्तविक आंकड़ों का अनुदान वार विवरण

वास्तविक		बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक आंकड़े	
राजस्व रु.	पूंजी रु.	वृद्धि + कमी - राजस्व रु.	वृद्धि + कमी - पूंजी रु.
..	..	- 71,50,000	..
2,64,44,166	..	- 35,43,834	..
2,18,97,000	..	- 18,26,000	..
..	..	- 10,01,000	..
1,48,36,422	..	- 52,43,578	..
1,82,65,87,048	22,61,000	- 34,57,37,952	+ 22,61,000
..	20,861	..	+ 20,861
14,28,08,369	..	- 4,00,74,631	..
..	1,48,07,317	..	- 7,21,82,683
12,14,156	..	+ 7,14,156	..
..	10,42,758	..	+ 8,78,758
14,37,790	..	- 5,10,210	..
85,57,71,909	2,06,12,41,694	+ 36,94,909	+ 56,62,41,694
14,52,27,591	..	- 17,58,409	..
2,43,74,75,862	..	+ 1,74,78,37,862	..
..	8,02,000	..	+ 8,02,000
..	1,24,017	..	+ 24,017
..	2,15,32,500	..	+ 2,15,32,500
..	1,350	..	+ 1,350
76,51,83,470	2,04,82,22,842	- 7,69,94,530	- 6,80,23,158
6,23,88,83,783	4,15,00,56,339	+ 1,26,84,06,783	+ 45,15,56,339

